ANNUAL REPORT

(2011-12)

ENGLISH

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

Himachal Pradesh Primary Education Society

-cum-

Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority

DPEP Bhawan, Lal Pani, Shimla-1

श्री वीरभद्र सिंह जी
माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश

ENGLISH ALPHABET

E.G.S.
रेतासान

राज्य स्तरीय बाल मेला, मीना उत्सव
एवं
टी० एल० एम० प्रदर्शनी
दिनांक 14-11-2009 से 15-11-2009
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कुल्लू (हि. प्र.)

वार्षिक रिपोर्ट

(2011-12)

हिन्दी

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति एवम्
सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन प्राधिकरण

डी.पी.ई.पी. भवन, लालपानी, शिमला-171001

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ मुद्रणालय, शिमला–4 द्वारा मुद्रित/200 किताबें।
फोन : 0177-2803323

हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में सामान्य सूचना

स्थापना	15 अप्रैल, 1948
राज्यत्व प्राप्ति	25 जनवरी, 1971
स्थान :	
दक्षांश	75^0, 45' 55'' E to 79^0 04' 20" E
अक्षांश	30^0 22' 40'' N to 33^0 12' 40" N
क्षेत्र	55,673 Sq. Km.
ज़िला	12
तहसील	83
विकास खण्ड	77
आबाद गांव	17495
जनसंख्या (2011)	
कुल जनसंख्या	68.57 लाख
पुरुष	34.74 लाख
महिलाएं	33.83 लाख
घनत्व	
जनसंख्या का घनत्व	123 प्रति वर्ग कि.मी.
अत्याधिक	406 per sq. Km. (हमीरपुर)
न्यूनतम	2 per sq. Km. (लाहौल-स्पिति)
लिंग अनुपात	974/1000 पुरुष/महिलाएं
जनसंख्या स्तर (2011) :	
ग्रामीण	61.7 लाख
शहरी	6.9 लाख
अनुसूचित जाति	15.0 लाख
अनुसूचित जनजाति	2.4 लाख
साक्षरता दर (2011)	
साक्षरता दर	83.78 प्रतिशत

पुरुष साक्षरता	90.83 प्रतिशत
महिला साक्षरता	76.60 प्रतिशत
गांव का विद्युतीकरण	100 प्रतिशत
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या :	68

संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या

लोकसभा	4
राज्यसभा	3

स्त्रोत :- वाणिज्य एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला

हिमाचल प्रदेश में जिलावार साक्षरता दर (2011)

ज़िला	जनसंख्या	पुरुष	महिलाएं	जन्म दर	लिंगानुपात	साक्षरता दर	घनत्व
बिलासपुर	382056	192827	189229	12.08	981	85.67	327
चम्बा	518844	260848	257996	12.58	989	73.19	80
हमीरपुर	454293	216742	237551	10.08	1096	89.01	406
कांगड़ा	1507223	748559	758664	12.56	1013	86.49	263
किन्नौर	84298	46364	37934	7.61	818	80.77	13
कुल्लू	437474	224320	213154	14.65	950	80.14	79
लाहौल-स्पिति	31528	16455	15073	-5.1	916	77.24	2
मण्डी	999518	496787	502731	10.89	1012	82.81	253
शिमला	813384	424486	388898	12.58	916	84.55	159
सिरमौर	530164	276801	253363	15.61	915	79.98	188

सोलन	576670	306162	270508	15.21	884	85.02	298
ऊना	521057	263541	257516	16.24	977	87.23	338

ज़िला	पुरुष/महिलाएं प्रति हजार
किन्नौर	818
सोलन	884
सिरमौर	915
लाहौल–स्पिति	916
शिमला	916
कुल्लू	950
ऊना	977
बिलासपुर	981
चम्बा	989
मण्डी	1012
कांगड़ा	1013
हमीरपुर	1096

अध्याय - 1

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)

सर्व शिक्षा अभियान स्कूलों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर एक समयावधि विशेष में गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लक्ष्य पर आधारित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 6-14 वर्ष आयुवर्ग के हर बच्चे को स्कूल पहुंचाना तथा उसे अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है। अतः सर्व शिक्षा अभियान स्कूल प्रणाली में सुधार लाने तथा सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से गुणात्मक प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन मोड में उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रयास है।

पिछले पाँच दशकों में योजनाकारों, प्रशासकों, शिक्षाविदों एवं सम्पूर्ण राष्ट्र का ध्यान प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा भारतीय संविधन के निर्देशों की पूर्ति की ओर आकृष्ट हुआ है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्ययोजना 1992 में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को उच्च प्राथमिकता दी गई है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इस दिशा में अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम लघु एवं बड़े स्तर पर चलाए गए हैं। परिणामस्वरूप बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा तक पहुंच, स्कूल प्रवेश एवं स्कूल में बने रहने, स्कूल में उपस्थिति तथा शिक्षा विशेषकर लड़कियों की शिक्षा की मांग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति को गति देने के उद्देश्य से वर्ष 2001 में राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा मिशन का गठन किया गया। राज्य स्तर पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में इसी प्रकार का मिशन बनाया गया। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संवैधानिक वचनबद्धता को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है।

- सार्वभौमिकरण प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम।
- देश भर में गुणात्मक शिक्षा की मांग को पूरा करने की दिशा में एक कदम।
- आधारभूत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का अवसर।
- देश भर में सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा हेतु राजनैतिक इच्छाशक्ति का भाव।
- केन्द्रीय, राज्य एंव स्थानीय सरकारों के मध्य भागीदारी।
- राज्यों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपना दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त अवसर।

- स्कूल प्रबन्धन समितियों (SMCs) का स्कूलों के प्रबंधन में सक्रिय एवं प्रभावशाली भागीदारी का प्रयास।

- गरीबी उन्मूलन एवं जीवन स्तर ऊँचा उठाने की दिशा में कार्यशील अन्य विभागों के साथ कारगर नियोजन।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जब सभी राज्यों में संरचनात्मक ढांचे संबंधी सुविधाओं में सुधार दर्ज कर लिया गया है, बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने का मुद्दा अन्य सभी उद्देश्यों से महत्वपूर्ण हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार सर्व शिक्षा अभियान को 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009' को लागू करने का साधन बनाया गया है। 'सर्व शिक्षा अभियान' के उद्देश्य अब शिक्षा का अधिकार के उद्देश्य में परिवर्तित हो गए है। सर्व शिक्षा अभियान का पूरा तंत्र शिक्षा के अधिकार 2009 के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अग्रसर है।

कार्यक्रम क्रियान्वयन :

सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी 12 ज़िलों में क्रियान्वित किया जा रहा है तथा कार्य में कई गुणा बढ़ौत्तरी हो गई है। ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के अन्तर्गत स्थापित राज्य परियोजना कार्यालय को ही एस.एस.ए. के क्रियान्वयन हेतु उपयोग में लाया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान की शासकीय परिषद् की बैठक साल में 2 बार आयोजित की जाती है जबकि कार्यकारी परिषद् की बैठक तीन माह में एक बार आयोजित होती है। राज्य में अध्यापन संबंधी नवीकरण के कार्य क्षेत्र और अक्षम बच्चों की समेकित शिक्षा के लिए राज्य स्त्रोत समूह (एस. आर.जी.) को सक्रिय किया गया है। इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अन्य संस्थानों द्वारा की जा रही है ताकि एस.एस.ए. का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा सके। आन्तरिक समीक्षा, लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण भी नियमित रूप से योजनाबद्ध तरीके से किए जाते हैं ताकि धन राशि का उचित उपयोग कर इसके खर्चे को गति प्रदान कर एस.एस.ए. के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण, प्रशिक्षण माड्यूल व अनुसंधान कार्य भी सम्मिलित हैं।

मुख्य प्रशासकीय धारा से भी सम्पर्क बेहतर बनाने के प्रयास किए गए हैं। खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों तथा केन्द्र मुख्य अध्यापकों की वित्त प्रबन्धन एवं प्रशासन संबंधी क्षमता को बेहतर बनाने हेतु भी प्रयास किए गए हैं। उनसे अध्ययन संबंधी शैक्षिक सहायता भी प्राप्त की जाएगी। राज्य सरकार के साथ संयुक्त प्रयासों में तेज़ी लाकर युक्तिकरण, पुनः तैनाती, अध्यापकों के रिक्त पदों की भर्ती, डाइट्स (DIETs), एस.सी.ई.आर.टी. (SCERT) और सीमेट (SIEMAT) को सशक्त करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है।

अध्याय - 2

कार्यक्रम प्रबन्धन

हि.प्र. में एस.एस.ए., तथा डी.पी.ई.पी. के क्रियान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश प्राथमिक समिति (एच.पी.पी.ई.एस.) नाम एक स्वायत्त संस्था को जिला शिमला में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ द्वारा पंजीकृत किया गया है। यह संस्था क्रम सं. 120/95 के अन्तर्गत हिमाचल सरकार के प्रधान सचिव (शिक्षा) के नाम से बतौर अध्यक्ष पंजीकृत हुई है तथा इसका मुख्यालय प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, ग्लेन हॉगन, लालपानी शिमला-171001 में स्थित है।

प्रबन्धन ढाँचा

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा समिति (एच.पी.पी.ई.एस.) द्वारा मिशन के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है तथा इसके दो मुख्य संगठन शासकीय परिषद् जिसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं तथा कार्यकारी परिषद् है जिसके अध्यक्ष हि.प्र. राज्य सरकार में प्रधान सचिव (शिक्षा) हैं। सर्व शिक्षा अभियान को लागू करने की जिम्मेदारी भी उपरोक्त समिति को सौंपी गई। इसके बाद वर्ष 2009-10 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारम्भ होने पर इस नई परियोजना को क्रियान्वित करने का कार्य भी इसी समिति को दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समिति के नियमों के वांछित संशोधन के उपरान्त अब यह समिति हि.प्र. स्कूल शिक्षा समिति के नाम से पंजीकृत की गई है।

शासकीय परिषद्

(संघीय ज्ञापन के नियम-7 के अन्तर्गत गठित)

1.	माननीय मुख्यमंन्त्री, हि०प्र०	अध्यक्ष
2.	माननीय शिक्षा मंत्री, हि०प्र०	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य सचिव, हि०प्र० सरकार	पदेन सदस्य
4.	सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, हि०प्र० सरकार	पदेन सदस्य
5.	सचिव वित्त, हि०प्र० सरकार	पदेन सदस्य
6.	सचिव सामाजिक और महिला कल्याण हि०प्र० सरकार	पदेन सदस्य
7.	प्रधान सचिव, शिक्षा, हि०प्र०	पदेन सदस्य
8.	प्रधान, सचिव जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हि०प्र० सरकार	पदेन सदस्य
9.	प्रधान, सचिव पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, हि०प्र० सरकार	पदेन सदस्य
10.	सचिव स्थानीय स्वयत्त प्रशावन, हि०प्र० सरकार	पदेन सदस्य
11.	प्रधान सचिव, जन सम्पर्क, हि०प्र० सरकार	पदेन सदस्य
12.	आयुक्त/सचिव जनजातीय विकास, हि०प्र० सरकार	पदेन सदस्य
13.	अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश, स्कूल शिक्षा बोर्ड	पदेन सदस्य

14.	प्राचार्य, एससीईआरटी, सोलन	पदेन सदस्य
15.	सुश्री इंदिरा चौहान, के.मु.शि., रा.प्रा.पा. पांवटा साहिब, जिला सिरमौर	नामित सदस्य
16.	श्री चमन ठाकुर, सेवानिवृत्त, बी०पी०ई०ओ०, ग्ग्रम कोठी, डा० चौलथरा, सरकाघाट, जिला मंडी	नामित सदस्य
17.	श्री रजनीश ठाकुर, जे.बी.टी., रा.प्रा.पा., बेलाग दा घाट, भोरंज, हमीरपुर	नामित सदस्य
17.	श्री बलदेव चंद धीमान सेवानिवृत, प्रधानाचार्य, ग्राम ककरयाना, टिक्कर (डिडवीं), हमीरपुर	नामित सदस्य
19.	श्री ब्रहम दत्त शर्मा, सेवानिवृत उप-निदेशक गांव व डाकघर बेला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर	नामित सदस्य
20.	श्रीमती प्रेमी देवी, बी०ई०ई०ओ०, झंडुता जिला बिलासपुर	नामित सदस्य
21.	श्रीमती किरण गेरा, प्रज्ञा(एनजीओ), जीवन ज्योति बिल्डिंग, वी०पी०ओ० रिकांगपिओ किन्नौर	नामित सदस्य
22.	श्रीमती संचना गोयल, आई०ए०एम०डी०, अस्पताल रोड, सोलन	नामित सदस्य
23.	डॉ० एन०के० शर्मा, क्लीनिकल मनोविज्ञानी, नेशनल स्ट्रीट, मंडी	नामित सदस्य
24.	श्री बलदेव राज अवस्थी(आयुर्वेदिक अधिकारी) नजदीक गैस एजेंसी, कुल्लू	नामित सदस्य
25	श्रीमती चन्द्रकला, सी०डी०पी०ओ०, ग्राम द्रंग, डाकघर कुन्नू जिला मंडी	नामित सदस्य
26.	श्रीमती सतवीर कौर, धर्म पत्नी श्री पी०एस० बोंसरा, गांव व डाकघर देहलां ऊना	नामित सदस्य
27.	श्री एस०एन० शौरी, सेवानिवृत उपनिदेशक धर्मशाला	नामित सदस्य
28.	श्री जगदीश शर्मा, श्री हरि कुंज, लोअर कैथू शिमला-3	नामित सदस्य
29.	संबन्धित संयुक्त सचिव अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	भा.स.द्वारा नामित
30.	वित्तीय सलाहकार् मानव संसाधन विकास मंत्रालय या उनके द्वारा नामित सदस्य	भा.स.द्वारा नामित
31.	डॉ० गोविन्द, एन०यू०ई०पी०ए०	भा.स.द्वारा नामित
32.	उप कुलपति हि०प्र० विश्वविद्यालय शिमला (एस०एस०ए० मॉनिटरिंग संस्थान)	भा.स.द्वारा नामित
33.	श्री जे०बी०जी० तिलक, वरिष्ठ फैलो एन०यू०ई०पी०ए०	भा.स.द्वारा नामित
34.	प्रो. श्याम मेनन, सी०आई०ई० दिल्ली विश्वविद्यालय	भा.स.द्वारा नामित
35.	प्रो. आलोक गुहा, विकंलागता कारपोरेशन नई दिल्ली	भा.स.द्वारा नामित
36.	श्री आर०डी० मुडां, पूर्व कुलपति, रांची विश्वविद्यालय	भा.स.द्वारा नामित
37.	श्री सुभाष माहादपुरकार, सूत्र सोलन	भा.स.द्वारा नामित
38.	सुश्री कुजंना सिंह, रेंजर पैलेस, जिला सिरमौर, हि०प्र०	भा.स.द्वारा नामित
39	डॉ. पाम राजपूत, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़	भा.स.द्वारा नामित
40.	निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	भा.स.द्वारा नामित
41.	निदेशक, एन.यू.ई.पी.ए. अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	भा.स.द्वारा नामित
42.	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं मिशन निदेशक, एस.एस.ए., हि.प्र.	सदस्य सचिव
43.	अतिरिक्त/संयुक्त/उप सचिव शिक्षा	सदस्य
44.	राज्य परियोजना निदेशक, एस.एस.ए., हि.प्र.	सदस्य

कार्यकारी परिषद्

(संघीय ज्ञापन के नियम-24 के अन्तर्गत गठित)

1.	प्रधान सचिव (शिक्षा) हि०प्र० सरकार	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव (वित्त) हि०प्र० सरकार	सदस्य
3.	प्रधान सचिव (योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी) हि०प्र० सरकार	सदस्य
4.	प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण) हि०प्र० सरकार	सदस्य
5.	अतिरिक्त/उप सचिव शिक्षा, हि०प्र० सरकार	सदस्य
6.	निदेशक उच्च शिक्षा, हि.प्र.	सदस्य
7.	निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं मिशन निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, हि.प्र.	सदस्य
8.	राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, हि.प्र.	सदस्य सचिव
9.	श्री ब्रह्मदत्त शर्मा, सेवानिवृत उपनिदेशक, ग्रा. बेला, नादौन, हमीरपुर	सदस्य
10.	सुश्री संजना गोयल, आई.ए.एम.डी., हॉस्पिटल रोड, सोलन	सदस्य
11.	प्राचार्य एस.सी.ई.आर.टी, सोलन	सदस्य
12.	सचिव हि.प्र. स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला	सदस्य
13.	श्री जगदीश शर्मा, श्री हरि कुंज, लोअर कैथू, शिमला	सदस्य
14.	संयुक्त सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मा.सं.वि.मं., नई दिल्ली	भा.स.द्वारा नामित
15.	वित्त सलाहकार, प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मा.सं.वि.मं., निई दिल्ली	भा.स.द्वारा नामित
16.	डॉ. गाविन्दा, एन.यू.ई.पी.ए., नई दिल्ली	भा.स.द्वारा नामित
17.	डॉ. रीता मल्होत्रा, अमर ज्योति ट्रस्ट, नई दिल्ली	भा.स.द्वारा नामित
18.	डॉ. सुदेश नेगी, हि.प्र. विश्वविद्यालय, शिमला	भा.स.द्वारा नामित
19.	सुश्री विमला रामचन्द्रन, ई.आर.यू., नई दिल्ली	भा.स.द्वारा नामित

राज्य स्तरीय

माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शासकीय परिषद्

↓

प्रधान सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में कार्यकारी परिषद्

↓

मिशन निदेशक एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक

↓

राज्य परियोजना निदेशक

प्रशासनिक विभाग	लेखा प्रभाग	एम.आई.एस प्रभाग	निर्माण कार्य प्रभाग	शिक्षण शास्त्र	मीडिया प्रभाग	सीमेट
अधीक्षक	उप नियंत्रक *(विएवले.)*	एम.आई.एस प्रभाग	कनिष्ठ अभियंता	अध्यापक प्रशिक्षण प्रभारी	मीडिया अधिकारी	प्रवक्ता
व. सहायक	सहायक उप नि *(विएवले.)*	सहायक	ड्राफ्ट्समैन	महिला विकास प्रभारी		सांख्यिकी
वरिष्ट लिपिक	*लेखाकार*	डाटा एंटो ऑप्रेटर		डी.ई.पी. समन्वयक		डाटा एंटो ऑप्रेटर
लिपिक	लिपिक			मूल्यांकन विशेषज्ञ		स्टोर कीपर
सेवादार	सेवादार			आई.ई.डी समन्वयक		लिपिक
चालक						चालक
अंशकालिक स्फाई कर्मचारी						सेवादार

सर्व शिक्षा अभियान, हि०प्र० के अन्तर्गत पदों की श्रेणीवार स्थिति

जिला स्तर

↓

अध्यक्ष (एस.एस.ए) एवं उपायुक्त

↓

जिला समन्वयक अधिकारी (एस.एस.ए) एंव उप– निदेशक (प्रा.) व (उ. प्रा.)

↓

जिला परियोजना अधिकारी (एस.एस.ए) एवम प्राचार्य डाईट

↓

अनुभाग अधिकारी

↓

जिला समन्वयक टी.टी. आई / पदेन डब्लयू डी. आई / आई.ई.डी / ई.ई

↓

एम. आई.एस. प्रभारी एवम डाटा एंट्रीआप्रेटर

↓

सहायक अभियंता,ड्राफटस मैन

↓

स्टेनोग्राफर

↓

लिपिक, चालक, सेवादार

↓

खंड स्तर सी. डी./ शिक्षा खंड — प्रत्येक विकास खंड में कनिष्क अभियंता, लिपिक,एवम सेवादार — प्रत्येक शिक्षा खंड में प्राथमिक / उच्चतर माध्यमिक संकुल केन्द्र

↓

संकुल — सभी सी. एच. टी. पदेन सी. आर. सी. स्कूल प्राचार्य द्वारा नामांकित अध्यापक (संकुल प्रभारी)

श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे गये	रिक्त	टिप्पणी
राज्य परियोजना कार्यालय				
मिशन निदेशक	1	1	0	पदानुसार
राज्य परियोजना निदेशक	1	1	0	हि०प्र०से० अधिकारी
उप नियंत्रक (वि० एवं ले०)	1	1	0	
सहायक नियंत्रक (वि० एवं ले०)	1	1	0	अस्थायी स्थानांतरण आधार पर
अधीक्षक, ग्रेड–II	1	1	0	अस्थायी स्थानांतरण आधार पर
वरिष्ठ सहायक	1	1	0	अस्थायी स्थानांतरण आधार पर
विधि सहायक	1	0	1	
कनिष्ठ सहायक	1	0	1	
प्रवक्ता	6	6	0	अस्थायी स्थानांतरण आधार पर
निजी स० मिशन निदेशक	1	0	1	
निजी स० राज्य परियोजना निदेशक	1	0	1	
लेखाकार	2	2	0	अस्थायी स्थानांतरण आधार पर/अनुबंध
एम०आई०एस० प्रभारी	1	1	0	अनुबंध आधार पर
सांख्यिकीविद्	1	1	0	अनुबंध आधार पर
सहायक अभियन्ता	1	0	1	
सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	अनुबंध आधार पर
कनिष्ठ अभियन्ता	2	1	1	प्रारुपकार वर्तमान में कनिष्ठ अभियन्ता की जगह पर कार्यरत
महिला विकास प्रभारी	1	1	0	अनुबंध आधार पर
शिक्षक प्रशिक्षण प्रभारी	1	1	0	अस्थायी स्थानांतरण आधार पर
मूल्यांकन विशेषज्ञ	1	1	0	अस्थायी स्थानांतरण आधार पर
मीडिया अधिकारी	1	1	0	अस्थायी स्थानांतरण आधार पर
आई०ई०डी० समन्वयक	1	1	0	अनुबंध आधार पर
डी०ई०पी० समन्वयक	1	1	0	
डाटा एंट्री ऑपरेटर	4	4	0	
आशुलिपिक	1	0	1	अनुबंध आधार पर
स्टेनो टाईपिस्ट	1	0	1	
लिपिक	6	6	0	
भंडार रक्षक	1	1	0	अनुबधं आधार पर
चालक	4	4	0	अनुबधं आधार पर

चौकीदार	1	1	0	अनुबधं आधार पर
चपरासी	10	6	4	अनुबधं आधार पर
सफाई कर्मचारी	1	1	0	अनुबधं आधार पर
कुल योग (क) d	**59**	**47**	12	
जिला स्तर				
आर०सी०–कम –ए०पी०सी० (जिला चम्बा)	1	1	0	
ए०डी०सी०–कम–ए०पी०सी० (सर्व शिक्षा अभियान) काजा	1	1	0	प्राचार्य डी०आई०ई०टी० उप–निदेशक जिला परियोजना अधिकारी के रुप में कार्य कर रहे हैं और जिला परियोजना समन्वयक आर०सी० कम ए०पी०सी०, ए०डी०सी० कम ए०पी०सी० को सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। खण्ड् स्त्रोत समन्वयकों को प्रारंम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा नियुक्त किया गया है।
जिला परियोजना अधिकारी	12	12	0	
जिला परियोजना समन्वयक	12	12	0	
अनुभाग अधिकारी	12	9	3	
लेखाकार	12	12	0	
सहायक अभियन्ता	12	2	10	
प्रवक्ता	9	6	3	
एम०आई०एस० प्रभारी	12	9	3	
महिला विकास प्रभारी	3	2	1	
मूल्यांकन विशेषज्ञ	3	2	1	
कनिष्ठ सहायक	77	73	4	
प्रारुपकार	12	11	1	
स्टेनो	12	3	9	
डाटा एंट्री ऑपरेटर	24	21	3	
लिपिक	87	61	26	
चालक	7	7	0	
चपरासी	87	52	35	
खंड स्त्रोत समन्वयक (उ०शि०)	124	97	27	
खंड स्त्रोत समन्वयक (प्रा०शि०)	124	113	11	
कुल योग (ख)	**643**	**506**	**137**	
कुल योग (क+ख)	**702**	**553**	**149**	

अध्याय - 3

विभिन्न गतिविधियों में प्रगति

1. निर्माण कार्य

राज्य में सभी स्थलों पर जन–सहभागिता के माध्यम से एस.एस.ए. के अन्तर्गत निर्माण कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं। डी.पी.ई.पी. के अनुभव तथा स्थानीय सामग्री व प्राद्यौगिकी के किफायती डिज़ाईन, वैकल्पिक नमूने; बालोपयोगी तत्त्व तथा सौर प्रतिभावी डिज़ाईन जैसे पक्षों को सांझा किया जा रहा है। सामुदायिक प्रतिभागिता से निर्माण कार्य निष्पादन हेतु राज्य परियोजना कार्यालय स्तर पर निर्मित, वी.ई.सी. मैनुअल भी सभी पाठशालाओं को जारी की गई है। स्टाफ की क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण को नियमित प्रक्रिया बनाया गया है क्योंकि इनकी नियुक्ति सभी जिलों में सी.डी. खण्ड स्तर पर की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 'बाला' फीचर्ज़ भी पाठशालाओं में डाले जा रहे हैं। सिंचाई व जन–स्वास्थ्य विभाग व ग्रामीण विकास विभाग के साथ अभिसरण द्वारा स्कूलों में पानी और शौचालय की सुविधा प्रदान की जा रही है।

एस.पी.ओ. में निर्माण शाखा निम्नलिखित कार्यों को सुगमीकृत कर रही है :

- एस.एस.ए. के अन्तर्गत किफायती तकनीक व स्थानीय सामग्री का प्रयोग कर डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत बनाये गए कक्ष निर्माण डिज़ाईन का अनुकरण/सुधार।
- एस.एस.ए. के अन्तर्गत बी.आर.सी. भवनों का डिज़ाईन, ड्राईंग तथा प्राकलन तैयार कर उसे क्षेत्र में निर्माण हेतु प्रदान करना।
- छोटे–छोटे कार्यों का आकलन व निष्पादन।
- एस.एस.ए. के क्रियान्वयन हेतु अन्य विभागीय एककों के साथ समन्वयन।
- सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के साथ स्कूलों में शौचालय तथा जल आपूर्ति हेतु संयुक्त प्रयास।
- भवन का अध्ययन के साधन के रूप में प्रयोग (बाला) सम्बंधी पुस्तक को ज़िला स्तर पर सांझा करना ताकि इसमें से कुछ आकृतियों को स्कूलों को छात्रा मैत्रीपूर्ण बनाने हेतु शामिल किया जा सके।
- एस.एस.ए. के अन्तर्गत राज्य में किये जा रहे निर्माण कार्य के संबंध में क्रियान्वयन हेतु मासिक बैठकें, देखरेख व अन्य निर्देश जारी करना।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एड.सिल., विभिन्न ज़िलों, भारत सरकार, हि.प्र. सरकार तथा जन प्रतिनिधियों आदि से पत्राचार।
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी विद्यालयों में पाक–शालाओं का निर्माण।

➢ सर्व शिक्षा अभियान के तहत बुनियादी ढ़ाचों को सदृढ़ एवं निर्माण की क्षमता विकास को प्रोत्साहन देने हेतु स्कूल प्रबन्धन समिति को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

➢ शिक्षा के क्षेत्र में वंचित समूह की लड़कियों के लिए शिक्षा ग्रहण करने हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाए गए है।

वर्ष 2011-12 **के लिए भौतिक एवं वित्तीय स्थिति :**

क्र० सं०	कार्य	अद्यतन योजना (ईकाइयां)	पूर्णतया निर्मित (ईकाइयां)	प्रगति पर (ईकाइयां)	खर्चे (लाखों में)	पूर्ण कार्य
1	बी.आर.सी	56	55	1	336.00	98.21
2	सी.आर.सी	538	512	26	1061.09	95.17
3	नए पाठशाला भवन (प्रा.)	80	0	4	45.50	0.00
4	नए पाठशाला भवन (उ.प्रा.)	20	0	0	0.00	0.00
5	मौजूदा स्कूल/भवन रहित स्कूल (प्रा.)					
6	मौजूदा स्कूल/भवन रहित स्कूल (उ.प्रा.)					
7	अतिरिक्त कक्षा (प्रा.)	11087	9021	933	12989.53	81.36
8	अतिरिक्त कक्षा (उ.प्रा.)					
9	शौचालय (प्रा.)	4448	4441	7	1365.95	99.84
10	शौचालय (उ.प्रा.)					
11	लड़कियों के लिए अलग शौचालय (प्रा.)	9819	3421	4044	3613.95	36.22
12	लड़कियों के लिए अलग शौचालय (उ.प्रा.)					
13	पेयजल (प्रा.)	2417	2323	94	464.03	96.12
14	पेयजल (उ.प्रा.)					
15	चार दीवारी (प्रा.)	3607	2802	567	2212.24	77.68
16	चार दीवारी (उ.प्रा.)					
	चार दीवारी (2010-11) पद rmts.	216323	0	0		
17	पाक शाला	88	87	1		
18	बड़ी मुरम्मत द्धप्रा.ऋ	1051	519	106		
19	बड़ी मुरम्मत द्धउ.प्रा.ऋ	389	179	50		
20	फर्नीचर					

	मुख्याध्यापक कक्ष द्धप्रा.ऋ	28	0	0		
	मुख्याध्यापक कक्ष द्धउ.प्रा.ऋ	1624	297	870		
22	पुस्तकालय द्धप्रा.ऋ	19479	6363			
23	पुस्तकालय द्धउ.प्रा.ऋ	7875	2768			
24	बी.आर.सी.सी. के संवर्धन	25	0	0		
25	विद्युतीकरण	6398	0	0		
	कुल जोड़	69029	32788	6703		

वित्तीय स्थिति :

निर्माण कार्य हेतु अभी तक अनुमोदित सकल राशि (लाखों में)	निर्माण कार्य हेतु सकल व्यय राशि (लाखों में)	संचयी व्यय प्रतिशत
		%

SOURCE PMIS

एन.पी.ई.जी.ई.एल. (NPEGEL) निर्माण कार्य पर आज तक उपलब्ध अनुमोदित संचयी राशि (लाखों में)	NPEGEL पर आज तक निर्माण व्यय पर संचयी राशि (लाखों में)	संचयी व्यय प्रतिशत
102.00	101.70	99.70%

के.जी.बी.वी. (KGBV) निर्माण कार्य पर आज तक उपलब्ध अनुमोदित संचयी राशि (लाखों में)	KGBV पर आज तक निर्माण व्यय पर संचयी राशि (लाखों में)	संचयी व्यय प्रतिशत
150.00	114.75	76.50%

2. वैकल्पिक विद्यालय

शिक्षा का अधिनियम–2009 के प्रावधानों के अनुसार कक्षा तथा उम्र के मुताबिक शिक्षा स्कूल से बाहर (घूमन्तू एवम् अन्य) बच्चों को प्रदान की जाती है। हिमाचल प्रदेश में वैकल्पिक विद्यालयों के रूप में (NRSTC) गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं। ऐसे स्कूल खोलने का उद्देश्य उन बच्चों को पढ़ाना है जो दुर्गम इलाकों में रहते हैं या ऐसे लोगों के बच्चे जो माता–पिता के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में आते जाते रहते हैं। वैकल्पिक

शिक्षा का प्रावधान 3 महीने से 2 वर्ष का है। यह सुविधा उन लोगों के बच्चों के लिए है जो कम समय के लिए एक राज्य में रहते है या किसी कारण वश अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेज पाते।

हर साल दिसम्बर माह में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों का सर्वेक्षण किया जाता है। स्थानाान्तरित होने वाले बच्चों को जो लम्बे समय के लिए एक स्थान पर टिके रहते हैं। उनका नामांकन औपचारिक रूप से सरकारी विद्यालय में कर लिया जाता है। इसके पश्चात उन्हे विशेष प्रशिक्षण सेतु पाठ्यक्रम के माध्यम से उम्र के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है।

हिमाचल प्रदेश में स्थानान्तरित होने वाले बच्चों में गुज्जर समुदाय के बच्चे बड़ी तादाद में हैं। यह बच्चें गर्मियों में अपने माता–पिता के साथ ऊँचे स्थानों पर और सर्दियों में निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं। इन बच्चों के लिए मोबाइल NRSTC स्कूलों का प्रावधान है और अध्यापक भी इसी समुदाय से नियुक्त किया जाता है जो बच्चों के साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है।

वर्तमान में 21 मोबाइल NRSTC केन्द्र चल रहे हैं, जिनमें 15 शिमला में, 5 सिरमौर में, 1 चम्बा में स्थित है जिन में 482 गुज्जर समुदाय के बच्चे हैं। दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले गुज्जर समुदाय व अन्य समुदाय के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना ही इन स्कूलों का ध्येय हैं। मार्च 2011 में स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या 2309 थी इन बच्चों को दिसम्बर 2010 में सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हित किया गया इसमें अधिकतम बच्चे घुमन्तू हैं। वर्ष 2011–12 में मोबाइल केन्द्रों को मिलाकर कुल 119 NRSTC स्थापित किए गये। ये केन्द्र आवश्यकता के अनुसार खोले गये। इन स्कूलों में E.C. के निर्देशों के अनुसार ही अनुदेशकों का चयन किया जाता है। इन सभी केन्द्रों में दिसम्बर 2011 तक लगभग 4250 (नये चिन्हित बच्चे और इन केन्द्रों में पिछले वर्षों से पढ़ रहे बच्चे) को उम्र के अनुसार शिक्षा प्रदान की गई।

शहरी क्षेत्रों में NRST केन्द्र उन बच्चों के लिए खोले गए हैं जो बच्चे आजीविका के लिए स्कूल छोड़ चुके हैं या किन्ही सामाजिक आर्थिक कारणों से सरकारी स्कूलों में भर्ती नही हो पा रहे हैं। इन बच्चों को उम्र के अनुसार सेतू पाठयक्रम दिया जाता हैं। हिमाचल प्रदेश में समय से पहले (drop-out) स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या न के बराबर है। इसके अतिरिक्त KGBV और NPEGEL केन्द्रों का प्रावधान उन लड़कियों के लिए है जो गरीबी या अन्य कारणों से विद्यालय छोड़ चुकी है या आर्थिक तंगहाली के चलते स्कूल नहीं आ पाती ।

स्थानान्तरित होने वाले बच्चों का (DATA) डाटा समय–समय पर बदलता रहता है। वर्ष 2011–12 मे कुल 2309 बच्चे स्कूलों से बाहर पाए गए। इन बच्चों को भी NRST केन्द्र में दाखिल किया गया है। इन बच्चों को उम्र के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा रही है। सर्वशिक्षा अभियान के लिए यह घूमन्तू बच्चे बहुत बड़ी चुनौती हैं क्योंकि ये बच्चे उन्हीं स्थानों पर मिलते हैं, जहाँ पर या तो कोई फैक्ट्री हो या अन्य निर्माण कार्य चल रहा हो। इसी कारण राज्य के हर जिले में इनका डाटा आए दिन बदलता रहता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को पहचान पत्र भी दिए जाते हैं ताकि यह दूसरे राज्यों में जाकर अपनी शिक्षा जारी रख सकें।

इसके अतिरिक्त गरीब और घूमन्तु समुदाय को प्रेरणा शिविरों एवं बातचीत द्वारा समझाया जाता है कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा उनके बच्चों के लिए कितनी

आवश्यक है। इन समुदाय के लोगों को समझाया जाता है कि आजीविका जितनी ज़रुरी है, उतनी ही ज़रुरी उनके बच्चों के लिए पढ़ाई भी है। शिक्षा के साथ–साथ इन बच्चों के लिए अन्य विभागों जैसे (स्वास्थ्य विभाग) आदि से मिलकर इनके लिए दवाईयों का प्रबन्ध भी किया जाता है। इन बच्चों व उनके माता–पिता को स्वास्थ्य व स्वच्छता सम्बन्धी जानकारी दी जाती है। Red Cross Society इन बच्चों के लिए मुफ्त में दवाईयां व अन्य स्वयं सेवी संस्थाएं इनके लिए कपड़े व अन्य ज़रुरी सामान का प्रबन्ध करती है। स्वयं सेवी संस्थाएं इन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित करती हैं। पुलिस व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग स्कूल से बाहर बच्चों को जीवन के अधिकारों से अवगत करवाते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान इन सभी विभागों से तालमेल बिठाकर स्कूल से बाहर बच्चों को शिक्षा के प्रति रूचि लाने में प्रेरित कर रहा है और शिक्षा के अधिनियम 2009 के प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है।

3. प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम

हिमाचल प्रदेश में शालापूर्व शिक्षा कार्यक्रम को महिला एवं शिशु कल्याण विभाग के साथ मिलकर चलाया गया है। राज्य द्वारा शालापूर्व और प्राथमिक शिक्षा के बीच सम्बन्ध स्थापित करने हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक पाठशालाओं में या इसके आसपास स्थापित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत निम्न कार्यों पर बल दिया गया है :–

- ❖ 18736 आंगनबाड़ी केन्द्रों में 1926 आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक प्राइमरी स्कूलों में या स्कूल के आसपास खोला जा रहा है।
- ❖ DIETs में शालापूर्व शिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं।
- ❖ शालापूर्व शिक्षण को बलप्रदान करने के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं व प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षण महिला एवं शिशु कल्याण विभाग के सहयोग से DIET केन्द्रों में दिया गया।

जून 2011 को आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों का दिल्ली दूरदर्शन टीम द्वारा विशेष कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें जिला शिमला के आंगनबाड़ी केन्द्रों के शिशुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का प्रसारण 18 जून 2011 को दिल्ली दूरदर्शन पर हुआ।

4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा

इस लक्ष्य के साथ कि हर बच्चे को उचित वातावरण में शिक्षा प्राप्त हो चाहे वह किसी भी जाति, समुदाय और विशेष आवश्यकता वाला हो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समायोजित शिक्षा 1999–2000 में शुरू की गई। सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एक कार्यक्रम है जिसके अर्न्तगत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी कवर किए जाते हैं। हि0 प्र0 में 18211 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जो एक या अन्य आवश्यकता से ग्रसित है। 15616 विशेष बच्चों को स्कूलों में दाखिल किया जा चुका है। 2595 बच्चों को स्कूलों तक लाने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ चलाई जा रही है। 2595 विशेष आवश्यकता

वाले बच्चे अतिगम्भीर रूप से ग्रसित है। इन 6–14 वर्ष के बच्चों की देख रेख के लिए गृह आधारित शिक्षा चलाई जा रही है। 2595 बच्चों में से 550 बच्चों को 24 गैर सरकारी संस्थाएं देख रही हैं तथा शेष बच्चों को प्रशिक्षित अध्यापक देख रहे हैं।

- अतिगम्भीर रूप से ग्रसित बच्चों को गृह आधारित शिक्षा दी जा रही है। इन बच्चों की IEP/ITP भी बनाई जा चुकी है।
- गैर सरकारी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं के साथ लगातार मीटिंग की जाती है ताकि गृह आधारित शिक्षा सुचारू रूप से चलाई जा सके। गंभीर रूप से ग्रसित बच्चों के लिए इन संस्थानों को रू० 1037/प्रति बच्चा प्रति महीना दिया जाता है। 550 बच्चे हैं जो कि इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे है।
- शेष स्कूलों से बाहर बच्चों को प्रशिक्षित अध्यापक देख रहे हैं।
- 2 डे केयर सैंटर शिमला व मण्डी में प्राथमिक पाठशालाओं में चलाए जा रहे हैं। इन सैंटर में 32 मानसिक रूप से अक्षम बच्चे पढ़ रहे हैं।
- जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं तथा विशेष उपकरण भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अधिक से अधिक जांच शिविर आयोजित हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ मेल–जोल बनाया गया है।
- जांच शिविरों में आने व जाने का किराया व एक व्यक्ति साथ में हो उसका किराया भी दिया जाता है।
- जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन्हे मुफ्त किताबें बांटी गई हैं।
- कक्षा 1 से 8 वीं तक ब्रेल लिपि की किताबें दी जा चुकी हैं व अच्छी किस्म की अक्षरों वाली किताबें सभी जिलों को दी जा चुकी हैं।
- 10 दिन के प्रशिक्षण में समायोजित शिक्षा पर बल दिया जाता है।

- 8530 स्कूलों को बाधारहित बनाया गया है। 120 स्कूलों में शौचालय भी बाधारहित बनाए गए हैं।
- गृह आधारित शिक्षा में माता– पिता को भी प्रशिक्षण दिया जाता है।
- मोमबती बनाना, चॉक बनाना, कम्पयूटर शिक्षा भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दी जा रही है।
- एस्कार्ट अलाउंस भी दिया जाता है।
- 375 प्रशिक्षित अध्यापकों को 20 दिन का बहुवर्गीय प्रशिक्षण दिया गया है।

- 141 स्पेशल एजुकेटर भी उन स्कूलों में लगाए गए हैं जहां पर बच्चों की संख्या अधिक है।
- रू० 300/ प्रति उस व्यक्ति को दिया जाता है जो विशेष आवश्यक्ता वाले बच्चे को घर से स्कूल व स्कूल से घर ले जाता है।

5. दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम-सर्व शिक्षा अभियान

यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की सहायता से चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान में चलाए जाने वाली गतिविधियों को दूरस्थ शिक्षण माध्यम से सभी तक पहुंचाने का प्रयास है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अध्यापक प्रशिक्षण में लिखित, दृश्य, श्रव्य सामग्री की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम को बेहतर बनाना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवा पूर्व, सेवा कालीन प्रशिक्षण अप्रशिक्षित एवं प्रशिक्षित अध्यापकों का क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण हेतु अनुपूरक सामग्री का निर्माण किया जा रहा है।

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यः

- शैक्षणिक संस्थानों की क्षमता निर्माण।
- अध्यापक प्रशिक्षण हेतु अनुपूरक सामग्री का निर्माण (लिखित, दृश्य, श्रव्य, टेली कान्फ्रेन्सिंग)
- सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों को दूरशिक्षा सम्मेलन द्वारा जन–जन तक पहुंचाना।

दृश्य–श्रव्य सामग्री निर्माण

दूरवर्ती कार्यक्रमः–सर्व शिक्षा अभियान ने इग्नू की सहायता से विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषय में दृश्य श्रव्य सामग्री का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर किया है।

दूरसम्मेलन कार्यक्रमः– यह दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम कम लागत में प्रभावी रूप से अधिकतर लोगों तक पहुंचता है। इस कार्यक्रम को वर्ष में तेरह बार आयोजित किया गया। यह दूरसम्मेलन विभिन्न मुद्दों पर आयोजित किए गए जैसे–

- शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन प्रारम्भिक स्तर पर
- प्रारम्भिक स्तर पर गणित विषय में मूल्यांकन।
- विस्तृत गुणात्मक योजना–दो आयोजन
- पूर्ण स्कूल विकास

- पूर्व गणितीय एवं पढ़ने की गतिविधियां
- विशेष बच्चों की शिक्षा
- प्रारम्भिक शिक्षा में समेकित शिक्षा का पाठ्यचर्या शिक्षण
- विज्ञान शिक्षण के लिए प्रभावी रणनीति स्कूल विकास हेतु समुदाय सहभागिता
- प्रारम्भिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु प्रभावी रणनीति
- गुणात्मक सेवा कालीन शिक्षण प्रशिक्षण

लगभग बीस टैलीकान्फ्रैंसिंग का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर अगस्त 2009 से दिसम्बर, 2010 तक गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, आर.टी.ई., समेकित शिक्षा एवं सतत् समग्र मूल्यांकन पर किया गया।

राज्य स्तर पर स्त्रोत समूह की बैठक का आयोजन किया गया।

समय–समय पर राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई अनुपूरक सामग्री को जिला स्तर पर उपयोग किया गया।

जोन स्तर पर अध्यापकों की क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन चरणों में आयोजित किए गए जिनमें लगभग 110 अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया। ये अध्यापक सर्व शिक्षा अभियान में आयोजित होने वाले अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मुख्य स्त्रोत व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं।

6. अनुसंधान गतिविधियां

शिक्षा में गुणवत्ता लाना प्रारम्भिक शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का मुख्य उद्देश्य है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए वार्षिक कार्य योजना तथा बज़ट 2011–12 में अपत्यय एवं अवरोधन (गुणवत्ता शिक्षा का सूचक) आन्तरिक दक्षता, स्नातर दर, जीवनदर आदि को निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। सरकार द्वारा किसी भी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने तथा उसका मूल्यांकन करने हेतु शोध/अनुसंधान आवश्यक है क्योंकि शोध द्वारा ही किसी भी कार्यक्रम के लिए आगामी नीति एवं योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जा सकता है। गुणात्मक एवं परिणात्मक आँकड़ों द्वारा ही सर्वशिक्षा की योजना के प्रभाव को निश्चित किया जा सकता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत "कोहार्ट" माध्यमिक व उच्चतर स्तर पर शोध कार्य आरम्भ किया गया है। यह शोध कार्य राज्य के सभी जिलों के उन सभी स्कूलों में किया जा रहा है जो 2003 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अस्तित्व में थे। इस शोध द्वारा स्कूल छोड़ने व एक ही कक्षा में पुर्नावृत्ति के कारणों का भी अध्ययन किया जा रहा है।

अध्ययन के उद्देश्य :-

- विद्यालयों में बच्चों के नामांकन तथा उच्च प्राथमिक और उच्चतर स्तर की शिक्षा पूर्ण करने के सूचकों का अध्ययन।
- पाठशाला प्रणाली में दक्षता के सूचकों का अध्ययन
- 'कोहार्ट विधि' से कक्षा छठीं से आठवीं तथा नौवीं व दसवीं कक्षा के बच्चों में परिवर्तनकाल (Transition) बदलाव का अध्ययन।

अध्ययन के निष्कर्ष :-

- सामान्य वर्ग में ड्रॅापआऊट लाहौल स्पिति में शून्य व जिला शिमला में 3.06 प्रतिशत तथा बाकी सभी जिलों में ड्रॅापआऊट 0–3.06 प्रतिशत के बीच में रहा।
- दूसरे सभी वर्गों का ड्रॅापआऊट रेट 1.00 प्रतिशत और 3.67 प्रतिशत के बीच में रहा।
- सभी वर्गों में Survival दर 6 से 8 कक्षाओं में लाहौल–स्पिति में शत–प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जनजाति में यह दर 99.22 प्रतिशत पाया गया।
- बाकी जिलों में सभी वर्गों में Survival दर VI-VIII कक्षाओं के लिए 81.29 से 100.00 प्रतिशत है।

जिला स्तर पर अनुसंधान गतिविधियां (2011-12)

- कक्षा 6 से 8 तक का गणित में उपलब्धि स्तर (जिला चम्बा)
- सतत् समग्र मूल्यांकन लागू होने पर पर्यावरण विज्ञान रुझान में बच्चों की संज्ञानात्मक उपलब्धि –एक विशलेशण (जिला हमीरपूर)
- जिला कॉंगडा में Monograde और Mulitgrade स्कूलों का एक तुलनात्मक अध्ययन (जिला कॉंगडा)
- प्रारंम्भिक स्तर पर अध्यापक अनुपस्थिति व विद्यार्थी की उपस्थिति पर एक शोध (जिला किन्नौर)
- जिला कुल्लू में प्रारंम्भिक स्तर पर शौचालय सुविधाएं (जिला कुल्लू)
- मण्डी जिला के प्रारम्भिक स्कूलों में शौचालय सुविधाएं–एक मूल्यांकन (जिला मण्डी)
- महिला शक्ति समूह के कार्य पर एक अध्ययन (जिला सिरमौर)
- प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का अध्यापन (जिला सिरमौर)
- वास्तविक कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग पर एक सूक्ष्म अध्ययन (जिला सोलन)
- कक्षा 5 के छात्रों में गणित की अवधारणाओं को समझने में कठिनाइयों पर एक अध्ययन (जिला ऊना)

अनुसंधान सलाहकार समिति की प्रथम बैठक 2011–12 के लिए अप्रैल, 2011 में राज्य परियोजना कार्यालय (सर्व शिक्षा अभियान) में की गई। इस बैठक में वर्तमान शोध गतिविधियों व आगामी शोध कार्य पर चर्चा की गई।

7. बालिक शिक्षा

मुख्य गतिविधियां (2011-12) :

<u>स्त्रोत समूहों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम</u> :-

स्त्रोत समूह अध्यापक प्रशिक्षण, समुदाय अभिविन्यास कार्यक्रमों एवं विभिन्न बालिका शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों में कार्य करते हैं। राज्य स्त्रोत समूह को राज्य स्तर तैयार किया जाता है। इस समूह में समय–समय पर नए सदस्य शामिल किए जाते हैं ये समूह कार्यक्रम के उददेश्यों की पूर्ति में सहायता करते हैं। जिला स्त्रोत समूहों के लिए लैंगिक संवेदनशीलता हेतु अभिविन्यास कार्यशाला आयोजित की गई। नवाचारी गतिविधियों में कौन–कौन से कार्यक्रम किये जा सकते हैं के बारे में भी जानकारी दी। जेंडर समन्वयकों की जेंडर के क्षेत्र में प्रगति को राज्य परियोजना कार्यालय की त्रैमासिक बैठकों में जांचा गया। इन बैठकों से वर्ष भर चल रही गतिविधियों का मूल्यांकन कर सुधार हेतु सुझाव दिए गए।

<u>लैंगिक संवेदनशीलता हेतु अध्यापक प्रशिक्षण</u> :-

अध्यापकों को प्रशिक्षण के दौरान लैंगिक संवेदनशीलता पर भी प्रशिक्षण दिया गया। इन प्रशिक्षणों में अध्यापकों को इस मुददे से सम्बन्धित पठन सामग्री भी दी गई।

<u>जीवन कौशल शिक्षा (नवचारी मद)</u> :-विभिन्न जिलों में आवश्यकता के अनुसार गतिविधियां की गई जिनमें कराटे, बागवानी, मशरुम उगाना, पुस्तक बाईंडिंग, floriculture, electrification, कम्प्यूटर, कराटे, कारपेट बनाना व मोमबत्ती बनाना आदि सिखाया गया। प्रारम्भिक स्तर पर पढ़ने वाली छात्राओं में आत्म विश्वास पैदा करने के लिए कराटे प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया। यह प्रशिक्षण पुलिस विभाग के कराटे प्रशिक्षित कर्मचारियों की सहायता से करवाया गया।

मीना उत्सव व बाल मेले

लड़कियों को विभिन्न स्तरों पर व्यक्तित्व विकास के मौके दिए जाते हैं। प्रदेश में संकुल स्तर पर मीना सप्ताह का सितम्बर माह में आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेशभर से छात्राओं ने भी भाग लिया व उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक मंच भी मिला। इन चयनित बालिकाओं की भागीदारी सह–शैक्षिक गतिविधियों में बढ़ी। मीना मंच व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने विशेष तौर पर इसमें भाग लिया।

<u>अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस</u> :-

प्रत्येक वर्ष की तरह 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का राज्य स्तरीय समारोह मनाया गया जिसमें प्रदेश भर से स्कूल प्रबन्धन समिति की महिलाओं ने भाग लिया ।

<u>शैक्षिक भ्रमण</u> :-

जिला स्तर पर चयनित बालिकाओं के लिए शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया गया। इससे बालिकाओं के दृष्टिकोण में बदलाव आता है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम

शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों में विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं व Minority बालिकाओं के लिए दस कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों (KGBV) का प्रावधान ।

इन विद्यालयों में बालिकाओं को मुफ्त आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है। उन विद्यालयों में बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा, शैक्षिक भ्रमण, लाईब्रेरी सुविधा का भी प्रावधान है। प्रत्येक विद्यालय में 50 बालिकाएं इस सुविधा का लाभ उठा रही है।

सभी कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में 'रूम टू रीड' गैर सरकारी संस्था के सहयोग से पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। संस्था द्वारा समय–समय पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत staff को पुस्तकालय उपयोग व प्रबन्धन पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

प्रदेश के चार जिलों शिमला, मंडी, सिरमौर तथा चम्बा जिला के आठ शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों में प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) चल रहा है।

चम्बा–तीसा , भरमौर, घरोला, सलूनी , सुंडला , पांगी

शिमला – चौहारा, डोडरा क्वार

सिरमौर– शिलाई, बकरास

मण्डी– सराज–1 सराज–2

समुदाय सहभागिता हेतु कार्यक्रम :- प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) खण्डों में समुदाय सहभागिता हेतु अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गये। इन कार्यक्रमों में NPEGEL को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए योजना तैयार की गई व समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की गई।

जीवन कौशल शिक्षण / उपचारात्मक शिक्षण :

सभी शैक्षिक खण्डों व प्रदेश के अन्य खण्डों में जीवन कौशल शिक्षण के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां की गई। शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों में निम्न जीवन कौशल प्रशिक्षण करवाए गयेः–

क्र०सं०	जिला	गतिविधियां
1	चम्बा	जुडो कराटे, सिलाई, चम्बा रूमाल कढ़ाई, स्वास्थ्य शिक्षा, प्राथमिक उपचार, योग, चित्रकला, दरी बनाना, उपचार, चटनी बनाना।
2	शिमला	सिलाई, स्वास्थ्य शिक्षा योग, कम्पयूटर शिक्षा , कराटे
3.	मण्डी	कराटे, योग, सिलाई, प्राथमिक उपचार, मोमबत्ती बनाना, हस्तकला, उद्यान एवं बागवानी, अग्निशमन , मशरूम उत्पादन।
4	सिरमौर	कराटे, स्वास्थ्य शिक्षा, खिलौने बनाना, बुनाई, टाट–पटटी बनाना झाडू बनाना, योग

पैड़ागौजिकल नवीनीकरण

पैडागाजिकल नवीकरण तथा गुणवत्ता सुधार हेतु कक्षा पहली से पांचवीं में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों का NCF–2005 के अनुसार नवीकरण किया जा रहा है। इस कार्य को पूरा करने के लिए पाठयक्रम लेखकों के समूह को चिन्हित किया गया है। पाठयक्रम को तैयार करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।

8. <u>समुदाय सहभागिता</u>

हिमाचल प्रदेश के सभी 15085 स्कूलों में विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन किया गया। छः दिनों का "समुदाय प्रशिक्षण" (तीन दिन का आवासीय और तीन दिन का गैर–आवासीय) प्रशिक्षण प्राथमिक व उच्च स्कूलों के विद्यालय प्रबन्धन समिति के छः सदस्यों को दिया गया। इसमें से एक अध्यापक, चार छात्रों के अभिभावक, सम्बन्धित पंचायत/वार्ड का चुना हुआ प्रतिनिधि शामिल है। तीन दिन का गैर–आवासीय प्रशिक्षण विद्यालय स्तर पर उपरोक्त अन्य सात सदस्यों को दिया गया। इस उद्देश्य के लिए तीन दिन का प्रशिक्षण(राज्य/जिला) स्तर पर स्त्रोत व्यक्तियों को मुख्य प्रशिक्षक बनाने हेतु दिया गया।

विद्यालय प्रबन्धन समिति के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण मार्गदशिका राज्य स्तर पर विभिन्न जिलों के समुदाय समन्वयकों की सहायता से तैयार की गयी और लगभग 106600 प्रतियां राज्य स्तर पर छपवायी गई। सात प्रतियां प्रत्येक विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों को प्रदान की गई।

अगस्त व सितम्बर 2011 में लगभग 250 स्त्रोत व्यक्तियों को विभिन्न प्रशिक्षण स्थलों में जैसे कि राज्य परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान शिमला, सिमेट शामलाघाट व एस.सी.ई.आर.टी. सोलन में प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण के लिए दो सदस्य प्रत्येक प्रारम्भिक शिक्षा खण्ड से तथा एक सदस्य प्रत्येक डाईट के समुदाय समन्वयकों मे से लिया गया। इन 250 स्त्रोत व्यक्तियों ने जिला स्तर पर लगभग 744 सदस्यों को समुदाय प्रशिक्षण दिया। इसके पश्चात् इन सभी प्रशिक्षित स्त्रोत व्यक्तियों ने संकुल स्तर पर लगभग 40 से 50 तक विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया।

राज्य स्तर के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान राजेन्द्रनगर हैदराबाद से डा० टी. विजयकुमार (वरिष्ठ सलाहकार) व श्रीमती टी० प्रवीणा (सलाहकार) को विशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर के स्त्रोत व्यक्ति के रूप में बुलाया गया। उन्होंने समुदाय सहभागिता, समुदाय नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाने आदि विषयों के सत्र प्रदान किए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान हिमाचल प्रदेश से डॉ० गोपाल चौहान ने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का सत्र लिया।

9. मीडिया गतिविधियां

सर्व शिक्षा अभियान, हि.प्र. के अन्तर्गत अभियान संबंधी विभिन्न सूचनाओं एवं संदेशों को लक्षित समूहों तक प्रचारित एवं प्रसारित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रोनिक मीडिया, परिवहन तथा डाक सेवाओं का प्रयोग शामिल है।

वर्ष 2011-12 की प्रमुख गतिविधियाँ :

1. सर्व शिक्षा अभियान सम्बन्धी गतिविधियों एवं जानकारियों के प्रचार–प्रसार तथा उपलब्धियों को उजागर करने के उद्देश्य से हिमाचल सरकार द्वारा प्रकाशित गिरिराज साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में दो मध्य पृष्ठ प्रकाशित किए जाते हैं। यह साप्ताहिक समस्त पंचायतों, महिला मण्डलों, स्कूलों व प्रदेश के विभिन्न विभागों में पहुँचता है। अतः यह अभियान का संदेश प्रचारित करने में एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है।
2. प्रिंट मीडिया व इलैक्ट्रोनिक मीडिया के लिए प्रैस विज्ञप्तियां नियमित रूप से जारी की गईं।
3. प्रदेश में खण्ड, ज़िला व राज्य स्तरीय विभिन्न गतिविधियों की ऑडियो–वीडियो कवरेज के लिए इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचारों में सर्व शिक्षा अभियान संबंधी समाचार नियमित रूप से प्रसारित किए गए।
4. विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाली बैठकों, कार्यशालाओं व प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मीडिया में नियमित कवरेज की गई।
5. वर्ष 2011–12 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं बजट प्रकाशित किया गया तथा वर्ष 2012–13 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं बजट मुद्रण हेतु तैयार है।
6. प्रिंट/इलैक्ट्रोनिक मीडिया के लिए विज्ञापन तैयार कर प्रचारित/प्रसारित किए गए।
7. विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्व शिक्षा अभियान संबंधी समाचारों की कतरनें काट कर मीडिया फाईल तैयार की गई जिसको संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।
8. सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियों को उज़ागर करने के लिए समय–समय पर लेख व फीचर आदि तैयार किए गए और उनको सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग हि. प्र. के माध्यम से विभिन्न मीडिया को व्यापक प्रचार हेतु प्रेषित किया गया ।

9. प्रचार सामग्री एवं बाल पत्रिका के प्रकाशन हेतु सामग्री तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

10. शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत ''गुणात्मक शिक्षा के शिखर पर हिमाचल'' पुस्तक का प्रकाशन किया गया।

11. राज्य, जिला, खंड व स्कूल स्तर पर शिक्षा का अधिकार दिवस 11 नवम्बर को मनाया गया।

<u>प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.)</u>

स्कूलों की वार्षिक सूचना को एकत्रित करने और सर्व शिक्षा अभियान के आंकड़ों से सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, प्रबन्धन सूचना प्रणाली, BRCs, DIETs और SPO स्तर पर गठित की गई है। इन सूचना प्रबन्धन प्रणाली की शाखाओं में वांछित कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ–साथ कुशल और पेशावर कर्मचारी भी कार्यरत हैं।

राज्य परियोजना कार्यालय, जिलों और ब्लौक में हार्डवेयर का विवरण निम्न प्रकार से है: प्रत्येक गैर डी.पी.ई.पी. जिले में एक Server और सात Nodes, दो Laser Printers, एक Dot Matrix Printer और एक UPS है। जबकि डी.पी.ई.पी. जिले (चंबा, कुल्लू, सिरमौर, और लाहौल स्पीति) प्रत्येक में आठ PCs चार Printers (2 & Laser, Dot Matrix, Inkjet) और एक UPS है। ब्लॉक स्तर पर भी एक कम्पयूटर, प्रिन्टर और UPS उपलब्ध करवाया गया हैं।

राज्य परियोजना कार्यालय में दो Servers, 12 Nodes, 5 Printers और दो UPS हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अधिकारी को एक–एक कम्प्यूटर दिया गया है। राज्य परियोजना कार्यालय में सभी कम्प्यूटर LAN के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं।

राज्य परियोजना कार्यालय और जिलों में सॉपफटवेयर का विवरण : Window-NT 4.0 Server, MS Office 97, Office XP, Office 2003, Office 2007, Professional, Visual Fox Pro, Oracle 8i, DISE, STEPS उपलब्ध करवाए गये हैं।

राज्य परियोजना कार्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के HIMSUAN कनेक्शन के अलावा Broad Band की सुविधा के साथ INTERNET CONNECTION स्थापित है। सर्व शिक्षा अभियान के सभी कार्यालयों व DIET में INTERNET की सुविधा है।

वेब साइट का पता: <u>www.hp.gov.in/ssa</u>

ई–मेल पता: <u>spdssahp@gmail.com</u>

मानव शक्ति: राज्य परियोजना कार्यालय में एक पद MIS Incharge, एक पद Assistant Programmer और दो पद Data Entry Operator के हैं। प्रत्येक जिला परियोजना कार्यालय में एक पद MIS Incharge और दो पद Data Entry Operators के है और शिक्षा खण्ड में एक–एक पद भरा है।

सशक्तिकरण:

- एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रबन्धन सूचना प्रणाली कार्यशाला 6 अगस्त, 2011 को राज्य परियोजना कार्यलय में आयोजित की गई जिसमें DISE DATA ,कत्रित करने का समय निर्धारित तथा वर्ष 2011–12 के लिए DISE प्रपत्र को अंतिम रूप दिया गया। इस कार्यशाला में सभी जिलों के MIS अधिकारियों ने भाग लिया तथा अपने अपने विचार रखे।
- राज्य परियोजना कार्यालय के प्रबन्धन सूचना प्रणाली प्रभारी व योजना समन्वयक ने 3 से 4 नवम्बर, 2011 को महाराष्ट्र राज्य के पूना में एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में भाग लिया।
- राज्य परियोजना कार्यालय के प्रबन्धन सूचना प्रणाली प्रभारी व एक डाटा एन्ट्री ओपरेटर तथा सभी जिलों के प्रबन्ध्न सूचना प्रणाली प्रभारियों ने दिनांक 23 और 24 दिसम्बर, 2011 को पटना (बिहार) में प्रशिक्षण व सशक्तिकरण पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में भाग लिया।
- राज्य परियोजना कार्यालय के प्रबन्धन सूचना प्रणाली प्रभारी व एक डाटा एन्ट्री ओपरेटर ने 30 दिसम्बर, 2011 को नई दिल्ली में वर्ष 2012–13 के लिए AWP&B की तैयारी पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में भाग लिया।

परियोजना प्रबन्धन सूचना प्रणाली (पी.एम.आई.एस.): सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 5 प्रारूपों की मासिक तथा तिमाही पी.एम.आई.एस रिपोर्ट नियमित रूप से भारत सरकार को भेजी जाती है।

शिक्षा प्रबन्धन सूचना प्रणाली (इ.एम.आई.एस.): राज्यों के सभी जिलों का 2011–12 का DISE डाटा compile करके जनवरी, 2012 को भारत सरकार को भेज दिया गया है। जिलों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे DISE REPORT को स्कूलों CRCCs, BRCCs, BPEOs के साथ share करें। आगे जिलों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे जन वाचन (Social Audit) करके DISE-School Report Card को स्कूल प्रबन्धन समिति के साथ साझा करें।

डाइस डाटा में सुधार हेतु उठाए गए कदम: प्रत्येक स्कूल से DISE पर प्रमाणित सूचना एकत्रित करने के लिए DCF प्रशिक्षण के अंतर्गत सभी स्कूलों को लाने के लिए जिलों को निर्देश दिए गए हैं।

जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे DCF की भौतिक रूप से जांच व गणना संकुल स्तर पर तैयार की गई पंजीकृत स्कूलों की सूची से करें और यह सुनिश्चित करे कि सभी पंजीकृत स्कूल सम्मिलित किए गए हैं और कोई भी स्कूल छोड़ा नहीं गया है। इस गतिविधि के लिए संकुल स्त्रोत समन्वयक को उत्तरदायी बनाया गया है।

जिलों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह DCF के प्रत्येक कालम की जांच कर यह सत्यापित करें कि कोई भी कालम रिक्त नहीं छोड़ा गया है।

खण्ड स्तर पर खण्ड स्रोत समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके खण्ड के अंर्तगत आने वाले सभी पंजीकृत स्कूल सम्मिलित किए गए हैं और उनसे DCF प्राप्त किए गए हैं। वह यह

भी सुनिश्चित करेगा कि DCF को जिले में भेजने से पहले DCF में कोई रिक्त प्रविष्टि तो नहीं है।

जिले को सलाह दी गई है कि जिला स्तर पर जब खण्ड के आंकड़ों की प्रविष्टि का कार्य शुरू होगा तो उस खण्ड का खण्ड स्रोत समन्वयक आंकड़ों को प्रविष्ट करने के लिए 1 या 2 दिन के लिए उपस्थित रहे ताकि आंकड़ों का स्पष्टीकरण किया जा सके।

2011–12 में DISE आंकड़ों की 5 प्रतिशत आकस्मिक नमूना जांच को कांगडा और ऊना जिलों में एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया गया। इस एजेंसी की रिपोर्ट को भारत सरकार (NUEPA) और जिलों के साथ बांटा गया है। इस सर्वेक्षण के परिणामों ने यह दर्शाया कि दो विभिन्न एजेंसियों के द्वारा एक ही तिथि 30 सितंबर 2011 को एकत्रित किए गए आंकड़ों में बहुत कम अन्तर है।

DISE आंकड़ों का आबंटन: जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विभिन्न DISE रिपोर्टें को संबधित प्राधिकारियों जैसे कि उपनिदेशक (प्रा० और उच्च प्रा०), खण्ड शिक्षा अधिकारियों, खण्ड स्रोत समन्वयक केन्द्र, संकुल स्रोत समन्वयक केन्द्र इत्यादि को आबंटित करे। DISE के द्वारा निकाले गए स्कूल रिपोर्ट कार्ड सभी स्कूलों को पुष्टि और रिकार्ड रखने हेतु भेजे जा रहे हैं। जिलों से कहा गया है कि वे DISE डाटा को जिले में दूसरे विभागों के साथ बांटे। जिलों को यह निर्देश भी दिये गये है कि DISE आंकडों की रिपोर्ट का जनवाचन स्कूल प्रबन्धन समिति (SMC) के साथ किया जाये।

DISE Data का विश्लेषण और प्रयोग: DISE Data का राज्य और जिला स्तर पर विश्लेषण किया गया है और योजना में प्रयोग किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान की राष्ट्रीय कार्यकारी योजना DISE Data पर आधारित है। प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभाग भी अपनी योजनाओं के लिए DISE Data का प्रयोग करते हैं

राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट) :

स्थापना वर्ष 2000 में राज्य परियोजना कार्यालय (डी. पी. ई. पी.) के एक अंग के रूप में राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई।

कर्मचारी संरचना:

स्थापना के समय तीन संकाय सदस्यों और एक सांख्यिकी सहायक का पद सृजित किया गया था। वर्ष 2002–03 में तीन अन्य संकाय सदस्यों के पद शामिल किए गए। अब सीमेट में कुल 13 पद स्वीकृत हैं जिनमें 6 संकाय सदस्य, एक सांख्यिकी सहायक, 2 लिपिक, 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक चपरासी तथा एक चालक है।

सीमेट द्वारा क्रियान्वित की गई गतिविधियां:

सीमेट मुख्यतः जिला अधिकारियों में वार्षिक कार्य योजना तथा प्रबन्धन हेतु क्षमता निर्माण के लिए उत्तरदायी है। दो संकाय सदस्य प्रशासन, योजना एवं प्रबन्धन प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। शैक्षिक प्रशासकों को वित्तीय नियमों में भी प्रशिक्षित किया जाता है। सीमेट

सदस्य सूक्ष्म योजना तथा स्कूल विकास योजना का प्रशिक्षण भी देते हैं। दो संकाय सदस्य सूक्ष्म योजना,स्कूल विकास योजना तथा शोध एवं मूल्यांकन का कार्य देखते हैं। इसके अलावा दो सदस्य स्कूल से वंचित रह गए बच्चों को स्कूली शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिए रणनीति तैयार करने का कार्य कर रहे हैं जबकि एक सदस्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का दायित्व संभाले है।

वर्ष 2011–12 के दौरान किए गए कार्यकलापः

1. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ज़िला योजनाओं का प्राकलन किया गया तथा राज्य परियोजना कार्यालय की वर्ष 2011–12 हेतु वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट को अंतिम रुप देकर भारत सरकार को फरवरी 2011 में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

2. सीमेट संकाय सदस्यों ने मिशन निदेशक एवं राज्य परियोजना निदेशक के साथ 15.02. 2010 को नई दिल्ली में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पी.ए.बी.) की बैठक में भाग लिया। अनुमोदन बोर्ड द्वारा वर्ष 2010–11 के लिए 244.65 करोड़ (जिसमें 41.82 लाख NPEGEL तथा 147.20 लाख कस्तूरबा गान्धी बालिका विद्यालय के लिए भी सम्मिलित हैं की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रदेश के लिए (SSA-RTE) बोर्ड द्वारा (अनुपूरक योजना) के अन्तर्गत परियोजना अनुमोदिन 10.17 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।

3. सीमेट संकाय द्वारा कार्यकारी परिषद् एवं शासकीय परिषद की बैठकें भी आयोजित की जाती हैं और साथ ही आन्तरिक एवं संयुक्त पुनर्निरीक्षण मिशन पर भी कार्य होता है।

4. सीमेट संकाय सर्व शिक्षा अभियान गतिविधियों के नियोजन एवं पर्यवेक्षण में भी भाग लेता है। अभियान की जिला स्तरीय प्रगति को जानने तथा इसे गति देने हेतु जिला अधिकारियों की मासिक बैठक राज्य परियोजना कार्यालय में नियमित रूप से आयोजित की जाती है। इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान की खण्ड स्तर पर प्रगति जांचने हेतु राज्य के सभी खण्ड स्त्रोत समन्वयकों के साथ SIEMAT संस्थान में त्रैमासिक आधार पर समीक्षा बैठकों का आयोजन भी किया गया।

5. एस.एस.ए. के माध्मय से कम्प्यूटर संबंधी नवाचारी परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सीमेट के संकाय सदस्य, परियोजना प्रबन्धन सूचना प्रणाली (PMIS) तथा इसके मुख्य बिन्दुओं पर सूचना की जानकारी निर्धारित अवधि के दौरान भारत सरकार को प्रस्तुति का कार्य कर रहे हैं।

6. वर्ष 2007–08 के आंकड़ों के आधार पर सूचना प्रबन्धन प्रणाली की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की गई तथा वर्षवार एवं खण्डवार विश्लेषण के उपरान्त शैक्षिक विकास सूचक का निर्माण किया गया। जिला तथा खण्डों को पहुँच, संरचना, अध्यापक एवं परिणामों के आधार पर वर्गीकरण किया गया। इन आंकड़ों को विभिन्न स्तरों पर योजना बनाने के लिए उपयोग किया गया।

7. संकाय सदस्यों द्वारा शैक्षिक विकास सूचक, वार्षिक जिला योजनाओं के आकलन, शैक्षिक योजनाओं में परिणात्मक तकनीक, स्कूल मैपिंग तथा बालश्रम आदि पर

आयोजित कार्यशालाओं में भाग लिया। जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रबन्धन विश्वविद्यालय नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

8. वर्ष 2011–12 हेतु जिला वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट विकास हेतु नवम्बर–दिसम्बर के दौरान प्रयोजन गतिविधियां आयोजित की गईं। योजना समूहों से जनवरी 2012 के दौरान लगातार बैठकों का आयोजन किया गया। जिला योजनाओं की समीक्षा के उपरान्त जनवरी 2011 के अन्तिम सप्ताह में अन्तिम रूप दिया गया ।

9. वर्ष 2011–12 की राज्य योजना का निर्माण सभी संबधित समन्यवकों के साथ मिलकर जनवरी 2011 को तैयार किया गया तथा फरवरी, मार्च 2011 में योजनाओं को भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेज दिया गया।

मूल्यांकन गतिविधियां

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के अर्न्तगत छात्रों का आठवीं कक्षा तक सतत समग्र मूल्यांकन किया जाना तय है। इसके तहत इस सत्र से सतत समग्र मूल्यांकन को कक्षा आठवीं तक लागू किया गया है।

13. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

भूमिकाः– लोकतंत्र की सामाजिक रचना ने सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा की मजबूती के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निर्णायक पात्र की भूमिका गणतंत्र के आरंभ होने से ही स्वीकार कर ली थी। भारत के संविधान में (86वां संशोधन) 2002 में अनुच्छेद 21–A के जुड़ जाने से भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को कानूनी रूप दिया जो 1 अप्रैल, 2010 से इस आश्य के साथ कि देश 6–14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को संवैधानिक रूप से अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार देगा।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम में वो सारी बातें निहित है जो बच्चों की शिक्षा पूर्ण करने में बाधा हैं जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा शारीरिक पृष्ठभूमि की ध्यानहीन अधूरी जगहों को कैसे पूरा किया जाएगा। यह उचित यथार्थ में न्याय और समानता की स्थापना पर भी जोर देता है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे के अधिकार के लिए कर्तव्यों के परिवेश में राज्य, अध्यापकों, माता पिता, स्कूल प्रबन्धन समितियों और समुदायों को न्याय परिचालन के रूप में शामिल किया गया है। प्रत्येक बच्चे के लिए पड़ोस में गुणवत्तापूर्ण सुविधा निर्धारण करने के लिए राष्ट्र ने अपने आपको 31 मार्च, 2013 की समय सीमा में बांधा है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम को हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित करने के प्रावधान और हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की स्थिति

शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धाराएँ	प्रभाग	कार्यान्वित स्थिति
	(i) अभिगम	
3(1)	6–14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के पड़ोस के स्कूल में मुफ्त व अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार होगा।	हिमाचल प्रदेश सरकार ने इन धाराओं को लागू करने के लिए विज्ञप्ति संख्या ई.डी. एन.–सी.–एफ–(10)–8/09 दिनांक 5 मार्च, 2011 के अन्तर्गत आदेश पारित किये हैं।
6	अधिनियम की इस धारा के पूरा करने के लिए सरकार और स्थानीय प्राधिकरण को पड़ोस में स्कूल खोलना होगा।	
18(1)	सरकार या स्थानीय प्राधिकार से मान्यता प्रमाणपत्र लिए बिना कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह स्कूल स्थापित नहीं कर सकता।	हिमाचल प्रदेश सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन.–सी.–एफ–ए(3) –3/11 दिनांक 25–11–2011 के अन्तर्गत आदेश पारित किये हैं।
	(ii) नामांकन	
9 (डी)	स्थानीय प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के 14 वर्ष तक के बच्चों का अभिलेख जिस रूप में निर्धारित किया जाएगा तैयार करेगा।	5 मार्च,2011 के अन्तर्गत नियम 7 के अधीन आदेश पारित कर दिये हैं।
9 (के)	स्थानीय प्राधिकार प्रवासी परिवारों के बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।	
11	सरकार स्कूल.पूर्व शिक्षा की आवश्यक प्रबन्धन इस विकल्प के साथ करेगी कि बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश के लिए तैयार हो जाएं।	हिमाचल सरकार ने आंगनबाडी केन्द्रों के प्राथमिक स्कूलों में समारोपण हेतू प्रत्र संख्या एच.पी.पी. ई.एस.–एस.एस.ए. एच. क्यू–ई.सी.सी.ई./2009 वालयम् दिनांक 8 जूलाई, 2010 के दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं जिससे पहली कक्षा में बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके।
12(1) (c)	कमजोर वर्ग और अलाभित समूह से 25% बच्चों का निजी विद्यालयों में प्रवेश	विचाराधीन

13(1)	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया	राज्य सरकार ने स्कूलों में प्रवेश के तरीके हेतु पत्र सरकार ई.डी.एन.–सी ए.(3)–3/2011 मार्ग दर्शन जारी कर दिए हैं।
14(2)	किसी भी बच्चे का उम्र प्रमाणपत्र के अभाव में स्कूल में प्रवेश नहीं रोका जाएगा।	राज्य सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन. सी.एफ (10)–8/09 दिनांक 5 मार्च 2011 के अन्तर्गत नियम आठ के अधीन आदेश जारी कर दिए हैं ।
(i) उम्र के अनुसार स्कूलों से बाहर बच्चों का प्रवेश		
4	जहां 6 वर्ष से उपर के सभी बच्चे जो अभी तक स्कूल नहीं गए या स्कूल छोड़ चुके हैं को आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश देना।	राज्य सरकार ने पत्र संख्या ई.डी.एन.सी. ए.(3)3/2011 दिनांक 20-12-2011 तथा मुफत व अनिवार्य शिक्षा हिमाचल प्रदेश नियम, 2011 की नियमावली 3 के अन्तर्गत इन बच्चों के विशेष प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
15	किसी बच्चे को शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ पर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा।	राज्य सरकार ने मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा हिमाचल प्रदेश नियम, 2011 की नियमावली 6 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी कर दी है।
(ii) ठहराव		
16	स्कूल में प्रवेशित बच्चे को न तो किसी कक्षा में फेल किया जाएगा और न ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा जब तक कि वह प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण न कर ले	शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार।
17	किसी भी बच्चे को न तो शारीरिक दण्ड और न ही मानसिक उत्पीड़न किया जाएगा।	राज्य सरकार ने पत्र संख्या ई.डी. एन.–सी–ए.(3)–3/2011 दिनांक 20.10.2011 के अन्तर्गत बच्चों के शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
24(1) (ई)	बच्चों के माता पिता के साथ अध्यापक लगातार मुलाकात करके उनकी उपस्थिति में नियमिती और प्रगति के	सरकार ने मुफत तथा अनिवार्य शिक्षा हिमाचल प्रदेश नियम, 2011 की नियमावली 16 के अन्तर्गत

	बारे में अवगत करवाएंगे।	अध्यापकों के कर्तव्य बारे में विज्ञप्ति जारी कर दी है।
25(1)	सरकार और स्थानीय प्राधिकार छात्र अध्यापक अनुपात को प्रत्येक स्कूल में बनाए रखेंगे।	शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रसममानों और मानकों के अनुसार विज्ञप्ति जारी कर दी है।
(i) विशेष केन्द्रीयभूत समूह		
8 (सी)	सरकार सुनिश्चित करेगी कि गरीब वर्ग और अलाभित समूह के बच्चों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए जो उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने में बाधा उत्पन्न करे।	सरकार ने मुफत तथा अनिवार्य शिक्षा हिमाचल प्रदेश नियम, 2011 की नियमावली 5(2) और 5(3) के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीयकृत समूह के बारे में विज्ञप्ति जारी कर दी है।
21(1)	गरीब वर्ग और अलाभित समूह के बच्चों के माता–पिता को स्कूल प्रबंधन समितियों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।	सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन. –सी.–एफ. (10)1/2010 दिनांक 6मार्च 2010 के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिए हैं।
(ii) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे		
3(2)	अशक्तता से ग्रसित बच्चों (भाग–2 की धारा (1) में अयोग्यता अधिनियम, 1996 में परिभाषित व्यक्तियों को भी निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।	सरकार ने मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा हिमाचल प्रदेश नियम, 2011 की नियमावली 4(7) के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी कर दी है।
(iii) गुणात्मक शिक्षा		
8 (ग)	स्थानीय प्राधिकार शैक्षणिक तिथि–पत्र का निर्णय करेगा।	प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन. –सी.–एफ. (10)7/2010 दिनांक 6मार्च 2010 के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिये हैं।
19(1)	कोई भी स्कूल प्रसममानों और मानकों (भाग 18) को पूरे किए बिना स्थापित नहीं किया जा सकता। • प्रत्येक अध्यापक के लिए कक्षा कक्ष • बिना बाधित प्रवेश	हिमाचल प्रदेश सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन.–सी.–ए. (3)3/2011 दिनांक दिनांक 25-11-2011 के अर्न्तगत आदेश दिए हैं।

	• लड़कों और लड़कियो के लिए अलग शौचालय • सुरक्षित और पर्याप्त पीने योग्य पानी • रसोईघर • खेल सामाग्री के साथ खेल का मैदान • चारदीवारी • किताबों के साथ स्कूल पुस्तकालय • मानकों के अनुसार मुख्याध्यापक का कार्यालय	
21(2)	स्कूल प्रबंधन समिति • स्कूल की कार्यप्रणाली का निरीक्षण • स्कूल विकास योजना को तैयार करना • अनुदानों की उपयोगिताओं का निरीक्षण	प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन. –सी.–एफ. (10)7/2010 दिनांक 6मार्च 2010 के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिये हैं।
23(1)	अध्यापक की नियुक्ति के लिए वही व्यक्ति वांछनीय होगा जो शैक्षिक प्राधिकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता पूरी करता हो।	मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिकार हि. प्र. नियम, 2011 की नियमावली 16 के अधीन निर्देश जारी
24(1)	अध्यापकों के कर्तव्य	मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिकार हि. प्र. नियम, 2011 की नियमावली 14 के अधीन निर्देश जारी कर दिये हैं।
28	कोई भी अध्यापक निजी शिक्षण नहीं करेगा।	सरकार ने पत्र संख्या ई.डी.एन. –एच (211वीं (15)–1/2008 दिनांक 01-03-2008 के अधीन निर्देश जारी कर दिये है।
29(1)	प्रारम्भिक शिक्षा के पाठयक्रम योजना कार्य और मूल्यांकन प्रक्रिया के उद्देश्य के लिए शैक्षिक प्राधिकार का गठन।	सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन. –सी.–ए. (3)–3/2011 दिनांक 12.12.2011 के अन्तर्गत निर्देश जारी कर दिये हैं।
30(1)	प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रत्येक बच्चे को बोर्ड परीक्षा पास नहीं करनी होगी लेकिन स्कूल परीक्षा देनी होगी जो सतत समग्र मूल्यांकन के सिद्वान्त पर आधारित होगी।	सरकार ने विज्ञप्ति संख्या शिक्षा–11–ख (12)–3/2010 दिनांक 23–07–2010 के अन्तर्गत निर्देश जारी कर दिये है।

30(2)	प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक बच्चे को प्रमाण पत्र जारी करना होगा।	सरकार ने पत्र संख्या एच.पी.पी.ई. एस–एस.एस.ए–6/2011–आर.टी.ई. एक्ट 2009 दिनांक 05-10-2011 के अधीन निर्देश जारी कर दिये हैं।
(iii) बच्चों के सुरक्षित अधिकारों की पालना		
31(3)	बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार प्राधिकार/आयोग का गठन करेगी।	सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन. –सी–ए(3) – 3/2011 दिनांक 12. 12.2011 अन्तर्गत शिक्षा संरक्षण अधिकार प्राधिकरण का गठन कर दिया है।
32	बच्चों के अधिकारों के प्रति शिकायतों को सुनने के लिए अलग अलग स्तर पर निर्वाण प्राधिकार का गठन। • स्कूल स्तर पर • संकुल/केन्द्रीय स्कूल स्तर पर • खंड स्तर पर • जिला स्तर पर • राज्य स्तर पर	शिक्षा संरक्षण अधिकार प्राधिकरण का गठन राज्य स्तर पर अपील के निपटारे हेतु गठित।
34(1)	शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अच्छे तरीके से लागू करने के लिए राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी।	सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन. –सी.–ए. (3)–3/2011 दिनांक 08.11.2011 के अन्तर्गत परिष्द का गठन कर दिया है।
(iv) विविध		
	किसी भी तरह के अपराधों का दण्ड धारा–13 की उपधारा (2), धारा 18 की उपधारा (5), और धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन तब तक नहीं चलेगा जब तक कि प्राधिकृत अधिकारी धारा अभियोजन की मंजूरी न मिल जाए।	सरकार ने विज्ञप्ति संख्या ई.डी.एन. –सी.–ए. (3)–3/2011 दिनांक 12.12.2011 के अधीन प्राधिकृत अधिकारीयों की नियुक्ति हेतु निर्देश जारी।

14. शिक्षा का हक अभियान 2012–13 का प्रगति निर्धारण

बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को भारतीय संसद ने 27 अगस्त 2009 को पारित किया और 1 अप्रैल 2010 से लागू होने में भारतीय विधि–निर्माण के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ।

शिक्षा के मौलिक अधिकारों में शामिल करके सभी बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य अभिगम सुनिश्चित करना राज्यों के कर्तव्यों में निहित किया गया है। इस अधिनियम के पारित होने से भारत संसार के 135 देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने शिक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में घोषित किया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है कि दाँवेदारों द्वारा विविध दृष्टिकोण अपनाकर समन्वय प्रयत्न करने होंगे। विभिन्न दाँवेदारों और आम जनता में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के नियमों और अधिकारों की जानकारियां प्रचारित करना इसका एक भाग है। क्योंकि यह अधिनियम प्रत्येक बच्चे के लिए है, चाहे उसका सम्बन्ध किसी भी लिंग, जाति, वर्ग और शारीरिक क्षमताओं से हो। अधिनियम शिक्षा प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी और स्वामित्व के महत्व को जोरदार तरीके से स्वीकार करता है। क्योंकि समुदाय के सदस्यों को स्कूल प्रबंन्धन समितियों में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के निश्चितात्मक कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राष्ट्र निर्माण और आपतियों के प्रभावी महत्व को समझना होगा । इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्षभर संपूर्ण देश में सभी स्कूलों में 11 नवम्बर 2011 को शिक्षा का हक अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री का संदेश सुनाया गया और विभिन्न गतिविधियॉ की गई। दावेदारों ने भी कर्मठता से भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया।

15. सफलता की कहानी

रा०व०पा० पनारसा में वर्ष 2012–13 की स्कूल प्रबंधन समीति के गठन हेतु दिनांक 09.05.2012 के विद्यालय में आम सभा की बैठक का आयोजन प्रधानाचार्य श्रीमति नीता शर्मा की अध्यक्षता में किया गया जिसमें लगभग 206 अभिभावकों ने भाग लिया। अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई जिसमें श्री दामोदर सिंह जी को अध्यक्ष चुना गया तथा समीति के अन्य सदस्यों (7 पुरुष तथा 11 महिला) का चुनाव सर्वसम्मति से कर दिया गया। सचिव का कार्यभार प्रधानाचार्य श्रीमति नीता शर्मा को सौंपा गया। इस प्रकार अध्यापक सदस्यों सहित बीस सदस्यों की समीति का गठन पाठशाला में किया गया।

समीति द्वारा कार्यभार संभालने के बाद समीति के अध्यक्ष तथा पूरी समीति का विद्यालय की समस्याओं को सुलझाने में सराहनीय योगदान रहता है। बच्चों की उपस्थिति पढ़ाई कार्य तथा

अन्य समस्याओं को सुलझाने में विद्यालय प्रशासन को पूरा सहयोग सचिव व समीति अध्यक्ष व समीति के सदस्यों द्वारा दिया जाता है।

विद्यालय में अगस्त माह 2012 में U-14 छात्र खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात विद्यालय परिसर में रहकर समय समय पर आने वाली समस्याओं का समाधान अध्यक्ष तथा समीति द्वारा किया गया। आयोजन करवाने के लिए बर्तन आदि की व्यवस्था करना प्रतियोगिता के दौरान बच्चों को खाना खिलाना, टैंट की व्यवस्था करना, मुख्य अतिथि की व्यवस्था करना तथा अनुशासन व्यवस्था करने में समीति ने पूर्ण सहयोग दिया। अध्यक्ष द्वारा प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी बच्चों की सुरक्षा का भी पूरा इन्तजाम किया गया जिसमें स्थानीय युवक मण्डल का भी सहयोग लिया गया। प्रतियोगिता के आयोजन हेतु समीति द्वारा स्थानीय जनता से अतिरिक्त राशि की व्यवस्था भी की गई जिस कारण एक सफल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो सका। इसके अतिरिक्त अन्य छात्र एवं छात्राओं (U-14,U-19) प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले छात्र एवं छात्राओं के जाने हेतु प्रबंध करने में भी अध्यक्ष तथा समीति का सहयोग मिलता रहता है।

विद्यालय में चल रहे अन्य कार्य जैसे चार दिवारी का कार्य Kitchen Shed का कार्य तथा अन्य मुरम्मत कार्य अध्यक्ष तथा समीति के सदस्यों के सहयोग से संभव हो पाते है।

विद्यालय में NSS का सात दिवसीय शिविर का सफल आयोजन करवाने में भी अध्यक्ष तथा समीति का पूरा सहयोग रहता है।

इसके अतिरिक्त पाठशाला को कभी भी किसी भी समय किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए यदि अध्यक्ष या समीति की आवश्यकता पड़ती है तो तुरन्त पाठशाला में उपस्थित होकर समस्या का समाधान करवाने में हमेशा तत्पर रहते हैं। पाठशाला में अध्यापकों तथा अभिभावकों का समन्वय स्थापित करने में भी समीति अपना योगदान देती है।

पाठशाला में MDM में भी अध्यक्ष व अन्य सदस्य निरंतर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते है तथा साफ सफाई रखने में विशेष योगदान देते है।

अनिल के, सूद एवं कंपनी
सन्दी लेखाकार

यू/एफ. लोअर बाजार, शिमला
दूरभाष नं०— 0177—2652285, 98160—54000

लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

मिशन निदेशक,
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति (सर्व शिक्षा अभियान)
डी०पी०ई०पी० भवन लालपानी शिमला (हि०प्र०)

हमने समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकरणं संख्या 120/95 दिंनाक 03.11.1995 के अंतर्गत पंजीकृत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति लालपानी शिमला (हि०प्र०) सर्व शिक्षा अभियान तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के तुलन पत्र 31.03.2012 के अनुसार, निर्दिष्ट तिथि अनुसार उक्त समिति के आय व व्यय खाते तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते का परीक्षण किया जो उक्त समिति द्वारा अनुरक्षित लेखा पुस्तकों के मिलान में है।

हमने लेखा परीक्षा स्थापित परीक्षण मानकों तथा सर्व शिक्षा अभियान की लेखा पुस्तक के अनुसार किया। उन मानकों के अनुसार ऑडिट योजना व कार्य किया गया जो तर्कपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं कि वित्तिय विवरण भौतिक त्रुटिपूर्ण टिप्पणियों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में परीक्षण जांच आधार, वित्तिय विवरण में राशि और अभिव्यक्ति सहायक साक्ष्य सम्मिलित है। लेखा परीक्षा में अपनाए गए लेखा सिद्धातों का अनुमान तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए विशिष्ट अनुमान तथा पूर्ण वित्तिय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होते है। हमें यह विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा इस मत को तर्क पूर्ण आधार प्रदान करता है।

हमारे द्वारा किया गया अंकेक्षण हमें प्रदान किये गये टर्म ऑफ रिफरेन्स के अनुसार है। हमारे द्वारा दी गई विसंगतियां और टिप्पणियां इस प्रकार से हैः—

अतीत में स्कूलों को जो अनुदान की राशि दी जाती थी उसे व्यय के रूप में ही मान लिया जाता था जिसे इस वर्ष ऑडिट के अन्तर्गत बदल दिया गया है और स्कूल स्तर पर वास्तविक व्ययों को ही व्यय के रूप में दिखाया गया है जो मानक लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप है। स्कूल स्तर पर किए गए व्यय के बारे में जानकारी स्कूलों द्वारा प्रदान किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र पर आधारित है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र में निहित जानकारी की पुष्टि के अनुरूप 1/3 स्कूलों का लेखा परिक्षण किया गया है जिसमें हमने पाया कि पिछले वर्ष के अनुदान की कुछ शेष राशि अभी भी स्कूलों में बकाया है।

वित्तीय ब्योरों के अनुसार रू० 63,89,71,267.00 की राशि चालू वर्ष में स्कूलों और बी.आर.सी. सी. के पास अग्रिम के रूप में दिखाया गया है। यह राशि स्कूलों और बी.आर.सी.सी द्वारा दिये गए उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर है। इन आंकडों की पुष्टि केवल एक तिहाई स्कूलों

के लेखा परीक्षण के आधार पर की गई है तथा स्कूलों के उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर यह आंकड़े तैयार किये गए है। अतः इनकी पुष्टि की जानी है।

हमारे मतानुसार और महत्वपूर्ण लेखा सिद्धांतों तथा लेखों पर टिप्पणियां जो प्रबंधन पत्र में दी गई है के अतिरिक्त वर्ष 31/3/2012 के अंत में बने वित्तिय विवरण तथा हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा समिति (सर्व शिक्षा अभियान) वर्ष 31/3/2012 को समाप्त हुए वर्ष की निधियों के स्त्रोंतो और उपयोग का सही व वास्तविक विवरण प्रस्तुत करता है।

कृते अनिल के, सूद एवं कंपनी
सन्दी लेखाकार
फर्म रजि० नं० 07360एन

हस्ता–
(जितेन्द्र शर्मा)

साझेदार
एम० नं० 511025

स्थान : शिमला
दिनांक : 31.01.2013

अनिल के, सूद एवं कंपनी
सन्दी लेखाकार

यू/एफ. लोअर बाजार, शिमला
दूरभाष नं०– 0177–2652285, 98160–54000

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति सर्व शिक्षा अभियान तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना से संबंधित वर्ष 2011–12 का वित्तीय विवरण जो यहां संलग्न हैं का भारतीय सन्दी लेखाकार संस्थान के नियमों एवं मानकों के अनुसार अंकेक्षण किया गया है तथा तदानुसार पुष्टि हेतु लेखों की जांच, अभिलेख, आन्तरिक जांच एवं अंकेक्षण की अन्य विधियों को सम्मिलित किया गया।

1) अभिव्यक्तियाँ एवं टिप्पणियाँ जो इसी तिथि के अनुसार संलग्न किए गए तुलन पत्र का अभिन्न भाग है के अतिरिक्त स्त्रोत सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों के लिए है।

2) वित्तीय विवरण सही है।

उपरोक्त वित्तीय विवरण के अंकेक्षण के समय सम्बद्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया तथा वे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सहायक प्रत्याहरण हेतु विश्वसनीय हैं।

सूचना एवं विवेचना के आधार पर वांछित परीक्षण अंकेक्षण से हमारी जानकारी के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय विवरण तथा अलग से दी गई अभिव्यक्तियाँ वर्ष 2011–12 में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन तथा प्रक्रिया का एक सही तथा स्पष्ट दृश्य दर्शाता है।

कृते अनिल के, सूद एवं कंपनी
सन्दी लेखाकार
फर्म रजि० नं० 07360एन

हस्ता–
(जितेन्द्र शर्मा)

साझेदार
एम० नं० 511025

स्थान : शिमला
दिनांक : 31.01.2013

अनिल के, सूद एवं कंपनी
सन्दी लेखाकार

यू/एफ. लोअर बाजार, शिमला
दूरभाष नं०– 0177–2652285, 98160–54000

अधिप्राप्ति तथा प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने सर्व शिक्षा अभियान के लिए प्रयोग किए गए अधिप्राप्ति नियम का अध्ययन किया जो वर्ष 2011–12 के हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा समिति के अभिलेखों और जिलों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से उदग्रहण के आधार पर है। हम प्रमाणित करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंर्तगत वित्तिय प्रबंध और अधिप्राप्ति नियम पुस्तिका में निर्धारित अधिप्राप्ति प्रक्रिया अनुपालना की गई है।

कृते अनिल के, सूद एवं कंपनी
सन्दी लेखाकार
फर्म रजि० नं० 07360एन

हस्ता–
(जितेन्द्र शर्मा)

साझेदार
एम० नं० 511025

स्थान : शिमला
दिनांक : 31.01.2013

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति एवं सर्व शिक्षा अभियान-राज्य मिशन अथौरिटी

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विशेष लेखानितियां व लेखों पर टिप्पणियां

1. समिति के खातों की किताबें संकर प्रणाली आधार पर बनाई गई है। अधिकतर व्यय नगदी आधार पर लेखाबद्ध किया गया है। जहां कुछ मामलों का व्यय प्रोद्भवन आधार पर निर्धारित किया गया है। अतीत में स्कूलों व बी.आर.सी.सी. को जो अनुदान की राशि दी जाती थी। उसे राज्य परियोजना कार्यालय के स्तर पर व्यय मान लिया जाता था जिसे इस वर्ष के अन्तर्गत बदल दिया गया है। स्कूल व बी.आर.सी.सी. स्तर पर अब वास्तविक व्ययों को ही व्यय के रूप में दिखाया गया है। स्कूल स्तर पर व्ययों की जानकारी स्कूलों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर निहित है।

2. स्थाई जमा पर ब्याज

समिति ने विभिन्न बैंकों के साथ आयोजित स्थायी जमा पर अर्जित ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। एफ.डी.आर की परिपक्वता के समय ब्याज की गणना वास्तविक रसीद के आधार पर की गई है।

3. सहायता अनुदान

(अ) पूंजीगत व्ययः

आरक्षित निधि की गणना समिति द्वारा खरीदी गई सम्पत्तियों के विपरीत की जाती है। इन अचल सम्पतियों पर ह्यसमूल्य के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(ब) राजस्व व्यय

I) राजस्व व्यय अनुदान को वर्ष के दौरान उपयोग करने के लिए आय माना गया है। व्यय नहीं हुए अनुदान को लेखा पुस्तकों में अलग से दर्शाया गया है।

II) सिविल कार्यों पर खर्च की गई अनुदान की राशि को पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में दिखाया गया है और पुस्तकों में इसके लिए सम्पति का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

लेखों पर टिप्पणियां

1. वित्तिय विवरण उन निधियों के लिए तैयार किया गया है जो सर्व शिक्षा अभियान व अन्य योजनाओं के लिए प्राप्त/उपयोग की गई।
2. सहायता अनुदान का उपयोगः– उपयोग नहीं हुए अनुदान के वापिस प्राप्त होने पर उपयोग किए गए अनुदान में से घटाया जाता है।

3 खण्ड स्त्रोत समन्वयक केंद्र तथा संकुल स्त्रोत समन्वयक केंद्र के असमायोजित शेष जिला स्तर पर मिलान व पुष्टिकरण पर आधारित है।

4 विभिन्न शीर्षों जैसे स्टाफ को वेतन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, टेलीफोन व अन्य व्यय को प्रबंधन लागत में नाम खाते डाला गया है और अधिकांश जिला स्तर पर इसका शीर्षानुसार विघटन नहीं किया गया है।

5 **न्यायिक मामले**– निम्नलिखित न्यायिक मामले लंबित हैं जिनमें कुछ प्रगति हुई है उनका नवीनतम तिथि अनुसार स्थिति यहां प्रतिवेदित की जा रही है :

अ) परियोजना कार्यालयः डॉ० श्री०ओ०सी० गुलेरिया ने समिति के रू० 1,40,700.00 का गबन किया। इस व्यक्ति को दोषारोपण पत्र दिया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान से इन्हें पैतृक विभाग को भेज दिया गया। हमें बताया गया कि श्री०ओ०सी० गुलेरिया ने विभागीय जांच पर न्यायलय से रोक लगा दी। आगामी कार्यवाही में निदेशक सर्व शिक्षा अभियान ने पैतृक विभाग से उपरोक्त मामले में कानूनी परामर्श लेने हेतु पत्र संख्या 3713 दिनांक 03.10.2011 द्वारा कहा तथा पैतृक विभाग ने भी श्री० ओ०सी० गुलेरिया के मामले में माननीय न्यायलय को अपना उत्तर दे दिया है।

ब) श्री राजेश कुमार चालक(डी०पी०ई०पी०): उनके विरूद्ध रू० 1,81,995 के अग्रिम के दुर्विनियोजन का मामला दायर किया गया। न्यायलय ने मामले को समिति के पक्ष में निपटाया है। जैसा की बताया गया यह व्यक्ति अभी भी नहीं खोजा जा सका है। निदेशक सर्व शिक्षा अभियान ने जिलाधीश सोलन को उसकी चल व अचल संपत्ति की स्थिति जानने के संबध में पत्र संख्या 2600–2601 दिनांक 04.08.2011 के अनुसार लिखा हैं ताकि श्री राजेश कुमार से वसूली की जा सके।

स) रू० 2,25,210.00 (श्री मधु कुमार से) जिला परियोजना कार्यालय सोलन स्टाफ द्वारा दुर्विनियोजन छानबीन अधीन है। जिला परियोजना कार्यालय सोलन ने श्री मधु कुमार के मामले में इस व्यक्ति को दोषारोपित करके पैतृक विभाग को भेज दिया गया है और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के पत्र दिनांक 04.03.2008 द्वारा निलंबित भी किया गया है। हमें बताया गया की श्री मधु कुमार ने जांच पर माननीय न्यायलय से रोक लगा दी है।

6 **<u>एन०पी०ई०जी०ई०एल० अनुदान पर प्राप्त ब्याज</u>**

एन०पी०ई०जी०ई०एल० के बैंक खाते का अलग अनुरक्षण नहीं किया गया और वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान को सर्व शिक्षा अभियान के खाते में जमा किया गया। परिणाम स्वरूप उस पर अर्जित ब्याज सर्व शिक्षा अभियान के खाते में जमा हो गया।

7 वसूलने योग्य शेष तथा देय शेष पुष्टिकरण पर आधारित है।

8. पिछले वर्षों के आंकड़ें जहां पर आवश्यक समझा गया का पुनः सामूहिकरण/व्यवस्था की गई है।

कृते अनिल के, सूद एवं कंपनी
सन्दी लेखाकार
फर्म रजि० नं० 07360एन

हस्ता–
(जितेन्द्र शर्मा)

साझेदार
एम० नं० 511025

स्थान : शिमला
दिनांक : 31.01.2013

अनिल के, सूद एवं कंपनी
सन्दी लेखाकार

यू/एफ. लोअर बाजार, शिमला
दूरभाष नं०– 0177–2652285, 98160–54000
E-mail : aksco@rediffmail.com

मिशन निदेशक,
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति
सर्व शिक्षा अभियान,
डी०पी०ई०पी० भवन लालपानी,
शिमला (हि०प्र०)

विषय :– सर्व शिक्षा अभियान की 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष की लेख परीक्षा पर प्रबंधन पत्र।

मान्यवर,

हमने 31/03/2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति अर्थात सर्व शिक्षा अभियान तथा अन्य योजनाओं की लेख परीक्षा पूरी कर ली है। लेखा परीक्षित तुलन पत्र, आय व व्यय लेखे प्राप्तियां तथा भुगतान लेखे और उन पर लेखे परीक्षा प्रतिवेदन संलग्न है। हमारे द्वारा नमूना जांच आधारित हमारे विचार/सुझाव आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु दिए जा रहे हैं।

1. अपनाई गई लेखा पद्धति/प्रणाली तथा अनुरक्षित लेखा पुस्तकें :–

1) लेखा पद्धति :– पिछले वर्षों में स्कूलों को दी गई अनुदान की राशि को राज्य परियोजना कार्यालय के अन्तर्गत व्यय ही मान लिया जाता था, जिसे इस वर्ष के अंकेक्षण के दौरान बदल दिया गया है तथा स्कूल स्तर पर वास्तविक व्ययों को ही व्यय के रूप में दर्शाया गया है। स्कूल स्तर पर किये गए व्यय के बारे में जानकारी स्कूलों द्वारा प्रदान किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र पर आधारित है। उपयोगिता प्रमाण पत्र में निहित जानकारी की पुष्टि के अनुरूप एक तिहाई स्कूलों का परीक्षण किया गया है।

   समिति में मिश्रित संकट लेखा पद्धति अपनाई गई है। समिति के द्वारा दी गई जानकारी के अनुरूप यह ज्ञात हुआ कि समिति ने PAN धारण नहीं किया और ना हि धारा 12 ए ए के तहत पंजीकरण के लिए प्रयास नहीं किया और ना हि धारा 10(23) सी के तहत छूट का प्रयास नहीं किया।

अनापेक्षित खाता शेष :– लेखा पुस्तकों में कुछ डेबिट/क्रेडिट शेष 2–3 वर्षों से अग्रेशित किए जा रहें हैं। यह शेष नीचे दिए गए हैः–

क्र.सं.	खाता का नाम	प्रकृति	राशि (Rs.)
1	जि० परि० का० शामलाघाट की पुस्तकों में	–	–

I	अन्य देयताएं	क्रेडिट	905,551.00
	जि०परि० का० स्पिति की पुस्तकों में	—	—
2	चालू देयताऐं	क्रेडिट	727,500.00

- हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक कोर्पोरेशन के नाम रू. 2,61,98,945.00 डेविड शेष दर्शाया गया है। इस शेष का कोई भी पुष्टि प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं
- SCERT राज्य प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक अनुसंधान केन्द्र (एस०सी०ई०आर०टी०) से प्रारम्भिक शेष रू 4,50,413 को गत वर्ष में समायोजित नहीं किया गया है।
- EDCIL एजुकेशन कन्सलटैंसी (इ०डी०सी०आई०एल०) के नाम प्रारम्भिक शेष रू 7,20,000.00 का भी कोई समायोजन नहीं किया गया है।

(2) पुराने कालातीत चैक वापिस करने पर विविध लेनदार :—रा०वरि०मा०व जि० परि० का० ने चैकों की अवधि को निर्धारित करने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। जिसके कारण वे चैक वैसे के वैसे ही बने रहे। तीन साल से ज्यादा पुराने वे चैक वापिस होने चाहिए थे।

(3) लेखा पुस्तकों को बन्द करना :—जैसा कि हमारे पहले प्रतिवेदन में सम्मिलित है पुस्तकें आडिट पूरा होने तक प्रविष्टियों हेतु खुला रखा जाता है। यह स्वीकृति पत्र मे दर्शायी गई तिथि से मालूम हुआ जिस में व्यय पुस्तक बद्ध करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए।

(4) नवाचार कम्पयूटर शिक्षा :— भारत सरकार द्वारा इस क्रियाक्लाप के अनुदान के तहत समान राशि स्कूलों की संख्या पर विचार किये बिना सभी ज़िलों को जो कम्पयूटर शिक्षा के अन्तर्गत हैं, स्वीकृत की जा रही है। राज्य परियोजना निदेशालय में व्यय भी सभी ज़िलों को बराबर बांटते हुए लेखबद्ध किया जा रहा है।

2. आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा नियंत्रण :— वर्ष 2011—12 का आन्तरिक लेखा परीक्षण के० संधू एवं कम्पनी संदि लेखाकार को दिया गया है प्रतिवेदन हमारे साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किए गए। आन्तरिक लेखा परीक्षण संबंधि वर्ष अनुसार किया जा रहा है। तथापि कुछ ज़िलों में निम्न स्तर पर आन्तरिक लेखा परीक्षण (ग्राम शिक्षा समिति तथा खण्ड स्त्रोत समन्वय) किया गया लेकिन राज्य परियोजना कार्यालय निदेशालय तथा ज़िला परियोजना कार्यालयों में पुष्टिकरण किये गए तलपट शेष नहीं पाए गए। योजना में जोखिमों व जनहित को देखते हुए गुरूत्व अनुशंसा की जाती है कि उपरोक्त चर्चित त्रुटियों से बचने हेतु स्थाई लेखा प्रणाली सथापित की जानी चाहिए।

I) **स्टॉक रजिस्टर** :— स्टॉक रजिस्टर के अनुसरण में कोई भी प्रगति नहीं देखी गई। स्टॉक रजिस्टर यह मानते हुए लिखे जाते है। कि यह केवल लेखा परिक्षण के लिये आवश्यक है क्योंकि अधूरे स्टॉक रजिस्टर किसी भी कर्मचारी के काम नहीं है। विशेष जब सामान जारी होने के बाद भी स्टॉक रजिस्टर में शेष रहता है।

II) **आपूर्ति प्रणाली का पालन न करना** :– कैलाश डिस्रीक को०–ओपरेटिव सोसायटी से बिल न० 3008 दिनांक 6.6.2001 के अन्तर्गत रूपए 1,43,935/– का फर्नीचर खरीदा गया जिसके लिए कोई भी कोटेशन/टेन्डर नहीं किया गया।

III) **अन्य अभियुक्तियां** :– हमने इस कार्यक्रम से सम्बनिधत कुछ जटिलताओं/समस्याओं पर चर्चा की है गत वर्ष हमने प्रतिवेदन को वर्ष में प्रगतियों को साथ ताजातरीन किया।

1. पुराने असमायोजित अग्रिम :

विभिन्न ज़िलों की लेखा पुस्तकों में विभिन्न खाते एक वर्ष से भी अधिक अवधि से चला रहता है। इन खातों का समायोजन/बटटा खाता किया जाना है।

क्र०सं०	खाते का नाम	राशि (रू में)
	राज्य परियोजना कार्यालय की पुस्तकों में	
1	DC लवी मेला, शिमला	10000.00 (Cr.)
2	निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	415263 (Cr.)
3	हिमालयण डॉन साप्ताहिक	3000 (Cr.)
4	रेणुका देवी मण्ड़ल, नाहन	10000 (Cr.)
5	जी.डी. शर्मा	7500 (Cr.)
6	गिरिराज	1190 (Cr.)
7	सामाजिक न्याय एवं महिला कल्याण	19034447 (Cr.)

2. ज़िला परियोजना कार्यालय स्तर पर वर्ष 2011–12 में बजट राशि से अधिक व्यय

ज़िला परियोजना अधिकारी का नाम	गतिविधि का नाम	बजट	वास्तविक व्यय	व्यय अधिव्यय
शिमला	CAL	50	52.37	2.37

3. रूम टू रीड (के०जी०बी०वी०) ज़िला चम्बा :– पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 31–03–2010 तक उक्त खाता में 16673.00 रू क्रेडिट शेष था लेकिन 31–03–2011 को डैबिट शेष रू 16,278.00 है। अभी तक उसी शीर्ष में उतना ही डेबिट शेष दर्शाया जा रहा है, जिसके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण हमें नहीं दिया गया।

I) लेखा परीक्षाधी लाई गई स्कूल प्रबन्धन समितियां :–

स्कूल प्रबंधन समितियों का निरीक्षण करने पर कुछेक स्कूल प्रबन्धन समितियों में निम्नलिखित त्रुटियों पाई गई।

1 लेखा पुस्तकों का सही अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है।
2 व्यय से सम्बन्धित बिल वाउचर अभिलेख में नहीं रखे हैं।
3 स्टॉक रजिस्टर आदि का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है।
4 निर्माण कार्य संतोषजनक नहीं हैं।
5 निमार्ण कार्यों के पूर्ण होने के प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में नहीं है।
6 बहु भुगतान नकदी में किया गया है।
7 वित्तीय नियमावली के तहत सिविल कार्य अनुबन्ध पर नहीं दिया जा सकता है। जबकि कई मामलों में खासकर जिला कांगड़ा में ऐसा हुआ है तथा उचित समझौता पत्र स्टांप पेपर पर ठेकेदार के साथ किया गया है।
8 यह भी पाया गया है कि अग्रिम राशी SMC's को निर्माण के लिए दी गई थी उसके हस्तलिखित बिल पाए गए हैं। उस अग्रिम राशी का कहीं भी समायोजन नहीं किया गया और आगे SMC's में बांट दी गई।

यहाँ पर तात्पर्य यह है कि निर्माण स्तर पर कमियों से अभियन्ता/खण्ड स्त्रोत समन्वयक आदि द्वारा सही ढंग से नहीं निपटा जाता हैं उनके द्वारा उपयुक्त प्रणाली की अनुपालन की जानी चाहिए (न कि प्रारूपिक लेखा पुस्तकों का अनुरक्षण परन्तु निर्माण कार्यों की जांच तर्कसंगत होनी चाहिए) उनसे सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के ऊपर निम्न प्रकार से जांच रखने की अपेक्षा की जाती है

1 सही प्रकार से हस्तलिखित भरे गए उपयोगिता प्रमाण पत्र।
2 निर्माण कार्य प्रगति दर्शाते फोटो।
3 निर्माण कार्य समय पर पूर्ण करना।

उपयोगिता प्रमाण पत्र व फोटो लेने का चलन नहीं हैं यदि उपयोगिता प्रमाण पत्र लिये जाते हैं तो निर्धारित हस्तारक्षित नहीं होते। लेखा परीक्षा के दौरान हमने पाया कि लगभग सभी जिलों में कुछेक को छोड़कर स्कूल प्रबधन समिति समय पर निर्माण कार्यों के अभिलेख अरक्षित करने में असफल रहीं। यदि निमार्ण कार्य आरंभ नहीं किया जाता या बीच में रोक दिया जाता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि कोई वहां जाए। परन्तु यदि निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तो कोई यदि की भी उल्टी रिपोर्ट न हो तथा हो तो जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय में पड़े अभिलेख की निर्णात्मक व स्वतः व्यक्त होना चाहिये। परन्तु जैसा हमने व्यक्त किया है कि कोई निर्धारित प्रद्धति सभी जिलों में सामान रूप से नहीं अपनाई गई है।

VI विवादित मामले :

वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा में कोई मामला नहीं पाया गया तथापि निम्नलिखित विवादित मामले कानूनी प्रक्रियाधीन गत वर्षों से लम्बित हैं नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है।

अ) परियोजना कार्यालय डॉ० ओ०सी० गुलेरिया ने समिति के रू 140700.00 का गबन किया। इस व्यक्ति को दोषारोपण पत्र दिया गया तथा एस०एस०ए० से इन्हें पेतृक विभाग को भेज दिया गया हमें बताया गया कि श्री ओ०सी० गुलेरिया ने

विभागीय जाँच पर न्यायालय से रोक ले ली है। आगामी कार्यवाही में निदेशक एस०एस०ए० ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 3712 दिनांक 3.10.2011 के तहत इस मामले में कानूनी राय लेने को कहा है तथा पैतृक विभाग ने भी श्री ओ०सी० गुलेरिया के मामले में माननीय न्यायालय को अपना उत्तर दे दिया है।

ब) श्री राजेश कुमार ड्राईवर (डी०पी०ई०पी०): उनके विरूद्ध रू 181995.00 के अग्रिम के दुर्विनियोजन का मामला दायर किया गया व न्यायालय ने मामले को समिति के पक्ष में निपटाया है। जैसे कि बताया गया यह व्यक्ति अभी नहीं खोजा जा सका है। निदेशक एस०एस०ए० ने जिलाधीश सोलन को उसकी चल व अचल संपत्ति की स्थिति जानने के संबंध में पत्र संख्या 2600—2601 दिनांक 04—08—2011 के अनुसार लिखा है ताकि श्री राजेश कुमार से वसूली की जा सके।

स) रू. 225210.00 (श्री मधु ठाकुर से) ज़िला परियोजना कार्यालय सोलन में क्रमशः स्टॉफ द्वारा दुर्विनियोजन छानबीन अधीन है। जिला परियोजना कार्यालय सोलन ने श्री मधु ठाकुर के मामले में पैतृक विभाग को चार्ज शीट भेज दी है व उक्त कर्मचारी को शिक्षा निदेशक प्रारंभिक के पत्र दिनांक 4.3.2008 के तहत निलंबित कर दिया गया है। हमें बताया गया है कि श्री मधु ठाकुर ने जाँच पर माननीय न्यायालय से रोक लगा दी है।

ज़िला स्वरीय अभियुक्तियां :—

ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिमला:—

1. NGO को गत वर्ष में 1800000.00 रू की राशी दी गई व इस राशी का कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाया गया।

2. निम्नलिखित राशियों पर कोई टी०डी०एस० नहीं काटा गया था :—

क्र०सं०	नाम	राशी (रू०)	दिनांक	बिल नं०
1	सुपर गुडज़ कैरियर	38,600 / —	23—06—2011	88
2	प्रेम ठाकुर	30,300 / —	07—03—2012	647
3	सुपर गुडज़ कैरियर	70,375 / —	13—12—2011	Nil

3. कैटरिंग सेवा पर कोई टी०डी०एस० नहीं काटा गया।

4. श्री अशोक शर्मा की 23—10—2011 का यात्रा भत्ता बिल 494 / — मात्र 346 Km. का दिया गया परन्तु यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार (346×1.11 = Rs. 384) 110 रू. ज्यादा दिया गया तथा DA 19/10/11 से 23/10/11 4 दिनों के बजाय 5 दिनों का दिया गया, 84 रू. दिया गया।

रू 1,85,839 की राशि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के खाते में जमा है। जो अनुदान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से प्राप्त हुई, उसे न तो अलग खाते में जमा किया गया और

न ही अलग से पुस्तकें रखी गई हैं जबकि आर०एम०एस०ए० एक अलग अभियान है। इससे संबंधित अभिलेख अलग से रखने चाहिए।

ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चम्बा :—

(1) 'मिड डे मील' और 'राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान' के लिए अलग से कोई भी बुक और अकाउंट नहीं रखी गई। एस०एस०ए० की पुस्तकों में प्राप्तियों, उपयोगिताओं / हस्तान्तरण व अनुपयोगिताओं के लिए अलग खाता बनाया गया है।

नीचे दिये गए आंकड़े सर्व शिक्षा अभियान के तलपट में दर्शाए गए है जो MDM और RMSA से सम्बन्धित है।

क्र०सं०	बैंक अकाउंट	राशी (रू०)
i)	SBI K /shed (MDM)	9,53,579.64
ii)	UCO K/shed (MDM)	58,93,261.36
ii)	PNB (RMSA)	5,23,425.50

2. NPEGEL के खाते में शिक्ष प्रशिक्षण के 4403 रू क्रेडिट शेष था जिसे वर्ष के दौरान समायोजित नहीं किया गया था और उसी के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया।

3. BRCC अपर प्राथमिक भरमौर के खाते में 1975 रू की राशि दिनांक 01.04.2011की खड़ी है। तथा 1950 रू एक दिन की CWSN पेरेन्टस को प्रशिक्षण के लिए अग्रिम के रूप में इस वर्ष दिए गए जो 31.03.2012 तक समायोजित करने के लिए लम्बित पड़े हैं, जिसमें 25 रू का अन्तिम शेष पड़ा है।

4. 01.04.2011 निम्नलिखित राशियों प्रारम्भिक शेष की अग्रिम के रूप में खड़ी हैं और जो अभी भी 31.03.2012 तक वसूलने योग्य है।

   i) अधीक्षक प्राथमिक निदेशक 5000=00

   ii) BRCC प्राथमिक पांगी 544=00

5. मदन लाल (चपरासी भरमौर) तथा महेश सिंह (चपरासी चवारी) के खाते में रू० 8684 और रू० 8816/ की राशि वेतन के रूप में दो बार जमा की गई जो 31.03.2012 तक समायोजित नहीं की गई है।

6. डाक रजिस्टर 1451 रू० की डाक टिकटों का शेष दिखा रहा है तथा उतनी ही राशि की खर्चे के रूप में गणना की गई है व जिसकी सम्पत्ति के रूप में तलपट शेष में कोई गणना नहीं की गई है।

7. कम्पूयटर सैन्टर CBA का 16,000 का खर्चा 24.06.2011 का है जिसका न तो कोई बिल है और न ही कोई समर्थन दस्तावेज अभिलेख में पाया गया है।

8. इस वर्ष बैंक समाधान विवरण में 30000 रू० की राशि का चैक दिखाया गया है जो 2005 में जिलाधीश चम्बा को नाम से काटा गया था।

9. हाज़री का रजिस्टर ज़िला परियोजना अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।

DIETS कार्यालय द्वारा टी०डी०एस० काटा गया तथा देरी से जमा करवाया गया जो इस प्रकार है:–

क्र०सं०	राशि टी०डी०एस०	काटने की तिथी	ज्मा करवाने की तिथी	Form	दिनों की संख्या
1	15770	28.02.2012	10.03.2012	24Q	3

डाईटस कार्यालय द्वारा जमा करवाई गई त्रैमासिक टी०डी०एस० विवरणी:–

Q.No.	रिटर्न	जमा करवाने की तिथि	जब जमा करवाई गई	जितने दिन देरी हुई
Q.1 (2009-10)	24 Q	15/7/2009	29/06/2011	714
Q.2 (2009-10)	26 Q	15/10/2010	29/06/2011	621
	24 Q	15/10/2010	20/06/2011	621
Q.3 (2009-10)	26 Q	15/01/2010	29/06/2011	529
	24Q	15/01/2010	29/06/2011	529
Q.1 (2010-11)	24Q	15/07/2010	29/06/2011	349
	26Q	15/07/2010	29/06/2011	349
Q.2 (2010-11)	24Q	15/10/2010	29/06/2011	256
Q.3 (2010-11)	24Q	15/01/2011	29/06/2011	164
	26 Q	15/01/2011	29/06/2011	164
Q.4 (2010-11)	24Q	15/05/2011	29/06/2011	44
Q.4 (2011-12)	26Q	15/05/2011	10/06/2011	26

(12) प्रबन्धन के खर्चे में 9997.00 रू की राशि के बिल (हरीश जनरल स्टोर) के नाम से हैं लेकिन बिल का उचित अनुक्रमांक व दिनांक बढ़ते हुए क्रम से जारी नहीं किये गए हैं। जिसे निचे दिखाया जा रहा है।

क्र०सं०	दिनांक	बिल नं०	राशी
1	03/04/11	1340	1743.00
2	13/04/11	1001	945.00
3	13/09/11	1077	252.00
4	13/09/11	1092	578.00
5	15/03/12	685	504.00
6	17/03/12	687	504.00
7	23/03/12	283	1039.00

ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हमीरपुर

(1) जैसे कि हमें स्पष्ट किया गया कि फोन और बिजली के बिलों का भुगतान DPO एवम एस०एस०ए०, उपलब्ध निधि से करते हैं, जो कि खर्चों का निर्धारण करने एक गलत तरीका है। विचारानुसार ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और एस०एस०ए० के खर्चों के आबन्टन करने के लिए एक प्रणाली बनाई जानी चाहिए।

(2) स्थायी सम्पत्ति स्टॉक रजिस्टर ऑडिट के दौरान प्रस्तुत किये गये थे और स्थायी सम्पत्ति का कोई शिनाख्त निशान नहीं था।

(3) टी०डी०एस० समय पर जमा कराया गया है परन्तु टी०डी०एस० रिटर्न ऑडिट के दौरान उपलब्ध नहीं थी।

ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर

1. स्थाई सम्मपति रजिस्टर बनाया गया है। परन्तु उन पर कोई शिनाख्त निशान मौजुद नहीं है।
2. टी०डी०एस० समय पर जमा कराया गया है परन्तु टी०डी०एस० रिर्टन ऑडिट के दौरान छानबीन के लिए प्रस्तुत नहीं की गई।
3. कम्पयूटरों के लिए हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रानिक विकास निगम को वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए अग्रिम राशि मूल्य रू 145525.00 और रू. 145525.00 का मूल्य वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए दी गई जोकि हमारी जानकारी में लाई गई है, परन्तु उसका कोई बिल रिकार्ड में नहीं पाया गया है।
4. बी०आर०सी०सी० स्वारघाट के मामले में, कोई खाता नहीं बनाया गया और टी०एल०एम० खर्चा रू. 6000.00 है। जिसका कोई भी सर्मथिक सबूत नहीं पाया गया।
5. बी०आर०सी०सी० झण्डूता के मामले में निम्नलिखित वाऊचर जो वित्तीय वर्ष 2010–11 से संबन्धित हैं परन्तु जो खर्चे हैं वह वित्तीय वर्ष 2011–12 के बुक किये गये है।

   (1) बिल नं० 605, दिनांक 15/02/2010 (सॉफ्टनेट इनफोटेक) टोनर को रिफिल करने हेतु मूल्य रू० 350/–

(2) बिल नं० 607, दिनांक 15/11/2010 (सॉफ्टनेट इनफोटेक) टोनर को रिफिल करने करने हेतु मूल्य रू. 350/–

(3) बिल नं० 935 दिनांक 04/3/2011 (सॉफ्टनेट इनफोटेक) टोनर को रिफिल करने हेतु, मूल्य रू० 450/–

(4) बिल नं० 72, दिनांक 24/9/2012 (सॉफ्टनेट इनफोटेक) टोनर को रिफिल करने हेतु, मूल्य रू० 400/–

ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कांगड़ा

(1) आर०टी०आई० फीस को कोन्टीजैंसी में जमा किया गया है जबकि उसे विविध आय में लेना चाहिए था।

(2) 15/9/2011 आई०ई०डी० अनुदान के 68,750.00 रू C.O.R.D. (an NGO) को दिये गए, जिसके लिए दो बिल पारित किए गए जो बिना दिनांक, अनुक्रंमाक व पुष्टि के हैं।

बिल नं०	दिनांक	राशी (रू०)	प्रार्थी
162	26/5/2011	1685	कृष्ण ब्रदर्स
164	25/5/2011	1200	कृष्ण ब्रदर्स

(3) शिव कम्पयूटर एवं साईबर के निम्नलिखित बिल बिना अनुक्रमांक व दिनांक के हैः–

बिल नं०	दिनांक	राशी (रू०)
289	07/04/2011	1,000.00
271	27/04/2011	400.00

(4) वेतन के ऊपर टी०डी०एस० हर महीने नहीं काटा गया है। पूरे साल का फरवरी, 2012 में काटा गया।

(5) 22/02/2012 को शिवम कम्प्यूटर एवं साईबर को 13640/– का भुगतान किया गया, जिसमें कुछ बिल बिना अनुकंमाक व दिनांक के है।

बिल नं०	दिनांक	राशी (रू०)
66	14/09/2011	1985
64	01/11/2011	1255

(6) डाईट कार्यालय द्वारा जमा करवाई गई त्रैमासिक टी०डी०एस० रिटर्न का विवरण नीचे दिया गया हैः–

तिमाही सं०	रिटर्न	जमा करवाने की तिथि	जमा करवाई गई	जितने दिन देरी हुई
तिमाही 1	24 Q	15/07/2011	13/08/2011	29
	26 Q	15/07/2011	13/08/2011	29
तिमाही 3	24 Q	15/01/2012	10/04/2012	86
	26 Q	15/01/2012	01/02/2012	17
तिमाही 4	24 Q	15/05/2012	12/07/2012	58

ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कुल्लू

डाईट कार्यालय द्वारा जमा करवाई गई त्रैमासिक टी०डी०एस० रिटर्न का विवरण नीचे दिया गया हैः–

तिमाही सं०	रिटर्न	जमा करवाने की तिथि	जमा करवाई गई	जितने दिन देरी हुई
तिमाही 1	24 Q	15/07/2011	28/07/2011	13
तिमाही 2	24 Q	15/10/2011	05/11/2011	20
तिमाही 3	24 Q	15/01/2012	04/02/2012	19
तिमाही 4	24 Q	15/05/2012	29/05/2012	14

ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लाहौल

70250.00 रू. के कैश मेमो नं० 0428767 के अन्तर्गत प्रबन्धन लागत से दिनांक 11/11/2011 के तहत पचास कैलेण्डर खरीदे गये, परन्तु 70285.00 रू. का भुगतान किया गया

अंकेक्षण के दौरान 175000.00 रू. का खर्चा ज्ञान वर्धक यात्रा पर किया गया जिसमें 23 छात्रों तथा 15 सदस्यों ने भाग लिया। व हमें 15 सदस्यों व 23 छात्रों की सहभागिता के बारे में कोई सन्तोष जनक उत्तर नहीं दे पाये।

ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्पिति

योगा शिक्षा/व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए श्री नरेन्द्र सिंह बी०आर०सी०सी० अपर प्राथमिक ने अग्रिम में से दिनांक 12–10–2011 को बिल नं० 5367 के अन्तर्गत मण्डी से कुल्लू का 200.00 रू. का यात्रा भाड़ा और कुल्लू से मण्डी का 150.00 और मण्डी से कांगड़ा का 600.00 रू० खर्च के रूप में दर्शाया गया है। जिसके अधीन उनके रिकार्ड में कोई प्रमाण नहीं पाया गया और न ही यात्रा भाड़े को न्यायोचित ठहराया गया।

ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मण्डी

अंकेक्षण के दौरान हमने पाया की ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मण्डी में विभिन्न अग्रिम राशियां स्टाफ व अन्यों के समायोजित नहीं किये गये हैं। नीचे दर्शाये गए अग्रिम प्रारम्भिक शेष समायोजित करने के लिए लम्बित पड़े हैं।

पार्टी के नाम	प्रारम्भिक शेष (डेबिट)	डेबिट चालू वर्ष	क्रेडिट चालू वर्ष	अन्तिम शेष (डेबिट)	टिप्पणियां
अलिभिकों कानपूर	6113	0	0	6113	प्रारम्भिक डेबिट समायोजित नहीं किया गया।
ब्लवीर भारद्वाज	216	0	0	216	—यथोपरि—
बी०आर०सी० चच्योट	2405	300000.00	300000.00	2405	—यथोपरि—
प्रिंसिपल डाईट मण्डी	320635	0	0	320635	—यथोपरि—
राजेश्वरी शर्मा प्रवक्ता	8194	0	0	8194	—यथोपरि—
आर०एम०एस०ए०	1919895	3231078.00	575000.00	736183	आर०एम०एस०ए० से राशि वापिस नहीं ली गई।
सुनिल रांगड़ा	3000	0	0	3000	प्रारम्भिक शेष समायोजित नहीं किया गया

ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लाहौल

70250.00 रू. के कैश मेमो नं० 0428767 के अन्तर्गत प्रबन्धन लागत से दिनांक 11/11/2011 के तहत पचास कैलेण्डर खरीदे गये, परन्तु 70285.00 रू. का भुगतान किया गया

अंकेक्षण के दौरान 175000.00 रू. का खर्चा ज्ञान वर्धक यात्रा पर किया गया जिसमें 23 छात्रों तथा 15 सदस्यों ने भाग लिया। व हमें 15 सदस्यों व 23 छात्रों की सहभागिता के बारे में कोई सन्तोष जनक उत्तर नहीं दे पाये।

ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्पिति

योगा शिक्षा/व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए श्री नरेन्द्र सिंह बी०आर०सी०सी० अपर प्राथमिक ने अग्रिम में से दिनांक 12–10–2011 को बिल नं० 5367 के अन्तर्गत मण्डी से कुल्लू का 200.00 रू. का यात्रा भाड़ा और कुल्लू से मण्डी का 150.00 और मण्डी से कांगड़ा का 600.00 रू० खर्च के रूप में दर्शाया गया है। जिसके अधीन उनके रिकार्ड में कोई प्रमाण नहीं पाया गया और न ही यात्रा भाड़े को न्यायोचित ठहराया गया।

ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मण्डी

अंकेक्षण के दौरान हमने पाया की ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मण्डी में विभिन्न अग्रिम राशियां स्टाफ व अन्यों के समायोजित नहीं किये गये हैं। नीचे दर्शाये गए अग्रिम प्रारम्भिक शेष समायोजित करने के लिए लम्बित पड़े हैं।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें

रू. 7798848/– की राशि इस शीर्षक के अन्तर्गत खर्चे में दिखाई गई है। जिसकी प्राप्ति व भुगतान के लिए स्टॉक रजिस्टर तैयार किया गया था परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा सही तरीके से प्रमाणीकृत नहीं की गई है। उन्होंने हमें यह स्पष्ट किया कि इन किताबों को बांटने का कार्य स्कूल स्तर पर होता है व सम्बन्धित बी०आर०सी० द्वारा स्कूलों के कोटे के आधार पर वितरित की जाती हैं। बी०आर०सी० द्वारा जो पुस्तकें बांटी गई हैं उसकी कोई भी सूचना हमारे पास डाईट में सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं की गई।

3. टी०एल०ई० अनुदान (व्यय शीर्षक)

रू. 1,00,000.00 का क्रेडिट प्रारम्भिक शेष इस शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जा रहा था। जिसके बारे में वे हमें कोई भी स्पष्टीकरण नहीं कर पाये।

4. कम्पयूटर शिक्षा खर्चावली (फर्नीचर एवं फिक्सचर)

नीचे दी गई जानकारी विभिन्न पार्टियों से खरीदे गए कम्पयूटर शिक्षा फर्नीचर एवं फिक्सचर है।

दिनांक	बिल नं०	पार्टी	राशि (रू०)	टिप्पणियां
20.12.2011	043	धीमान इंडस्ट्री	1,07,887/–	स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टि व स्टॉक के भौतिक सत्यापन की सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं करवाई गई। इन खर्चों का विशलेषण राजस्व व्यय के रूप में किया गया जिसके बारे में कोई संतोषजनक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई।
22.12.2011	020	हनी ग्रामोद्योग	86,310/–	……..
23.03.2012	049	राहुल माया एन्टरप्राइज़िज़	86,310/–	

31.03.2012	1053	वी०के० सरिल फर्नीचर उद्योग	86310/-	
31.03.2013		....	58,147/-	

5. रसोई शैड व्यय

यह पाया गया था कि दिनांक 31.03.2012 को वाउचर संख्या 13 में राशि रू० 25,11,093/- निदेशक प्राथमिक को डेबिट की गई और रसोई शैड को क्रेडिट किया गया (देनदारी)। यह राशि सर्व शिक्षा अभियान के अनुदान से ली गई। जबकि रसोई शैड बनाने के लिए यह राशि निदेशक प्राथमिक शिक्षा के अनुदान से ली जानी थी। यह राशि निदेशक प्राथमिक शिक्षा से वसूल की जानी है जो अभी ऑडिट की अवधि तक नहीं वसूली गई है।

6. पैरा अध्यापक का देय वेतन

यह पाया गया कि राशि रू० 2,10,428/- इस खाते में क्रेडिट किया गया है। यह राशि प्रारम्भिक शेष की है। तथापि हमें देय की कोई भी सम्पूर्ण जानकारी लेखापरीक्षा के समय जांच-पड़ताल हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई। परन्तु समाप्त वर्ष में यह व्यय दर्शाने के लिए किताबों में दिखाई गई थी, जबकि सही में यह व्यय अप्रैल 2012 में किया गया था।

7. ब्याज के आवेदन

यह पाया गया कि निम्नलिखित प्रविष्टियां किताबों में पारित की गई थी।

पी०एन०बी०	डेबिट	6,00,000/-	
ब्याज खाता	क्रेडिट		6,00,000/-

ब्याज खाता	डेबिट	6,00,000/-	
केनरा बैंक	क्रेडिट		6,00,000/-

(कथनः- चैक क्रमांक 901128 दिनांक 13.12.2010 रदद कर दिया गया)
इन प्रविष्टियों को करने का तर्क सन्तोषजनक नहीं था। तथापि हमें यह बताया गया कि उपायुक्त द्वारा इस राशि को सिविल कार्यों में जी०एम०एस० खलियार खर्च करने की अनुमति प्रदान की गई। परन्तु सत्यापन के दौरान हमारे समक्ष उपायुक्त की कोई लिखित अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई। सीविल कार्य का उपयोग प्रमाणपत्र हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। सीवित कार्य को डेबिट न करने बारे अग्रिम राशि के खाते में प्रविष्टि न करने बारे हमें कोई भी उचित जानकारी नहीं दी गई।

8. आई.ई.डी. (शारीरिक अक्षम बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा) खर्च

वाउचर क्रमांक 18 दिनांक 19.04.2011 के अनुसार शारीरिक अक्षम बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु एच.वी.पी. कार्यक्रम में बतौर विशेषज्ञ संसाधक आई०ई०डी० प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया। यह पाया गया कि अक्षम छात्रों का मेडिकल प्रमाण पत्र वाउचरों के साथ संलग्न नहीं है। अक्षम छात्रों की सूची आई.ई.डी. समन्वयक से विधिवत

सत्यापित करे तैयार होनी चाहिए व जब भी राशि का भुगतान किया जाना है, इस संदर्भ में सची के अनुसार उल्लेख होना चाहिए।

9. विशेष शिक्षक का वेतन

यह पाया गया कि दिनांक 10.05.2011 वाउचर क्रमांक 46 के अनुसार रू० 5,10,000/– 68 शिक्षकों का वेतन देने हेतु विभिन्न खण्डों को दिये गए किन्तु कोई भी हाजरी का रिकॉर्ड स्कूलों द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र इस शीर्षक में प्रस्तुत किया गया

10. पेशेवर के भुगतान पर कोई टी.डी.एस. कटौती नहीं

यह पाया गया कि जिला शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थान से फिजियोथैरापिस्ट नियोजित किए गए जिनके भुगतान अलग–अलग समय पर कोई टी०डी०एस० धारा 194 के अनुसार नहीं काटा गया। भुगतान के कुछ तथ्य निम्नलिखित हैः–

दिनांक	राशी (रू०)	टिप्पणियां
14.07.2011	16,279.00	इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 194 के अनुसार कोई टी.डी.एस. नहीं काटा।
26.06.2011	16,350.00	
20.06.2011	17,800.00	

11. पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद

हमने पाया कि एम/एस श्री. गणेश बुक शॉप (ऊना) से 31.03.2012 को वाउचर संख्या 1148, बिल संख्या 121 के अनुसार पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदी गई परन्तु पुस्तकों का प्राप्ति प्रमाणपत्र खण्ड से नहीं पाया गया जबकि यह भुगतान करने हेतु सबसे पहली शर्त है।

12. प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने का प्रमाण पत्र

हमने पाया कि दिनांक 23.12.2011 वाउचर संख्या 642 के अनुसार एम.एस. देव भूमि कोरपोरेट प्रिन्टिग प्रैस को प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने के लिए 20,000 कॉपी प्रिन्ट करवाने को रू0 80,000 की राशि दी गई तथा बी०आर०सी०सी० को जारी की गई। इनकी सुरक्षा के व भुगतान रजिस्टर का कोई प्रमाण पत्र हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। हमें यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या यह प्रमाण पत्र क्रम संख्या में थे।

जिला शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थान सिरमौर

1. जिला शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय ने टी०डी०एस० की कटौती देरी से जमा करवाई। जिसकी जानकारी नीचे दी गई हैः–

क्र० सं०	टी०डी०एस० की राशि	काटने की तिथि	जमा करवाने की तिथि	जितने दिन देरी हुई
1.	257	25.07.2011	19.12.2011	124

2.	1475	22.10.2011	19.12.2011	42
3.	2500	30.11.2011	19.12.2011	12
4.	2500	31.12.2011	19.01.2012	12
5.	14500	31.01.2012	9.02.2012	2
6.	9170	29.02.2012	17.03.2012	10

2. नीचे दी गई जानकारी जिला शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय द्वारा त्रैमासिक टी०डी०एस० रिटर्न जमा करवाने की हैः–

तिमाही	रिटर्न	जमा करवाने की तिथि	जब जमा करवाई गई	जितने दिन देरी हुई
पहली तिमाही	24Q	15.07.2011	07.07.2012	358
	26Q	15.07.2011	30.06.2012	241

3. एन०पी०ई०जी०ई०एल० के तहत रू 6,00,000/– के भुगतान लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र के सत्यापन की कोई जानकारी हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं करवाई गई।

जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान शिमलाः–

1. NGO को गत वर्ष में 1800000.00 रू की राशी दी गई व इस राशी का कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाया गया।
2. निम्नलिखित राशियों पर कोई टी०डी०एस० नहीं काटा गया था :–

क्र०सं०	नाम	राशी (रू०)	दिनांक	बिल नं०
1	सुपर गुडज़ कैरियर	38,600/–	23–06–2011	88
2	प्रेम ठाकुर	30,300/–	07–03–2012	647
3	सुपर गुडज़ कैरियर	70,375/–	13–12–2011	Nil

3. कैटरिंग सेवा पर कोई टी०डी०एस० नहीं काटा गया।
4. श्री अशोक शर्मा की 23–10–2011 का यात्रा भत्ता बिल 494/– मात्र 346 Km. का दिया गया परन्तु यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार (346×1.11 = Rs. 384) 110 रू. ज्यादा दिया गया तथा DA 19/10/11 से 23/10/11 4 दिनों के बजाय 5 दिनों का दिया गया, 84 रू. दिया गया।

रू 1,85,839 की राशि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के खाते में जमा है। जो अनुदान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से प्राप्त हुई, उसे न तो अलग खाते में जमा किया गया और न ही अलग से पुस्तकें रखी गई हैं जबकि आर०एम०एस०ए० एक अलग अभियान है। इससे संबंधित अभिलेख अलग से रखने चाहिए।

जिला शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थान ऊना :–

1. जिला शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय ने खाने का भुगतान पर मंगत राम का टी०डी०एस० काटा तथा देरी से जमा करवाया जो नीचे दर्शाया गया है:–

क्र० सं०	राशि का भुगतान किया	टी०डी०एस० की राशि	काटने की तिथि	जमा करवाने की तिथि	जितने दिन देरी हुई
1.	33540	578	19.07.2011	05.11.2011	89
2.	539	95	23.09.2011	17.11.2011	40

2. जिला शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय द्वारा जमा करवाई गई त्रैमासिक टी०डी०एस० रिटर्न का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

तिमाही	रिटर्न	जमा करवाने की तिथि	जब जमा करवाई गई	जितने दिन देरी हुई
पहली तिमाही	24Q	15.07.2011	2.12.2011	139
	26Q	15.07.2011	06.01.2012	174
दूसरी तिमाही	24Q	15.10.2011	17.11.2011	32
	26Q	15.10.2011	02.12.2011	47

3. प्रबन्धन लागत से लाल चन्द को यात्रा भाड़े के 434.00 रू० का भुगतान 20.07.2011 दिया गया जिसका कोई भी वाउचर रिकार्ड में नहीं पाया गया। यह यात्रा भाड़ा दो बार दे दिया गया जो लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान रू० 34.00 दिनांक 25.10.2012 को बरामद किये गये।
4. अंकेक्षण अवधि के दौरान दिनांक 25.10.2012 वाउचर संख्या 33 के अनुसार विशेष प्रशिक्षक श्री अनिल कुमार को अप्रैल, 2011 का पारिश्रमिक रू. 5121.00 दिया गया जिसमें रू. 5121.00 ज्यादा थे।
5. श्री राज कुमार को टिकटों की खरीद के लिए रू. 5000.00 अग्रिम राशि के रूप में दिये गए। जिसमें से दिनांक 31.03.12 तक रू. 3049.00 की टिकटें ली गई और रू. 1951 अभी भी असमायोजित है।
6. अतिरिक्त कक्षा कक्ष के खातों में 1.11.2011 में रू. 17,648.00 से डेबिट किया गया है और तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के लिए इस राशि का भुगतान किया गया है जबकि तीसरे पक्ष के लिए केवल रू. 10,000/– के भुगतान का ही प्रावधान निर्धारित है। इस व्यय के लिए कोई भी कोटेशन रिकार्ड में नहीं पाई गई और हमें बताया गया कि यह कार्य फर्म को राज्य परियोजना कार्यालय की सिफारिश पर दिया गया।
7. पिछले वर्ष रू. 9154.00 की राशि अग्रिम के रूप में बलविन्दर कौर को दी गई थी। जिसका समायोजन 20.02.2007 को Excursion Camp के विरूद्ध कर दिया गया व खर्चे

के फोटोस्टेट वाउचर रिकार्ड में पाए गए क्योंकि मूल वाउचर गुम हो गए थे परन्तु इस खर्चे के लिए कोई भी कोटेशन रिकार्ड में नहीं पाई गई।

8. वर्ष 2006–07 में सरकारी मुद्रणालय से प्राप्त शेष सत्यापन पत्र के आधार पर रू. 5520.00 का डेबिट शेष दिखाया गया है, परन्तु जिला शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थान की खातों में शून्य शेष दर्शाया गया है। 31.03.2005 को खातों में रू. 50,000.00 का व्यय दिखाया गया है लेकिन इसके लिए कोई सामग्री प्राप्त नही की गई। अतः 31.03.2012 को जिला शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थान की पुस्तकों में अन्तिम शेष रू. 71,400.00 (5520+50000+15880) दिखाया गया जोकि रू. 15880.00 था।

9. अग्रिम राशि रू. 2875.00 वित्त वर्ष 2009–10 की बी०आर०सी०सी० गगरेट को समायोजित करने के लिये है।

कृते अनिल के, सूद एवं कंपनी
सन्दी लेखाकार
फर्म रजि० नं० 07360एन
हस्ता–

स्थान : शिमला
(जितेन्द्र शर्मा) साझेदार

दिनांक : 31.01.2013
एम० नं० 511025

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति एवं सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन अथौरिटी (कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय)

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विशेष लेखनितियां व लेखों पर टिप्पणियां :–

1. समिति के लेखों का अनुसरण संकर प्रणाली आधार पर किया गया है। उन मामलों को छोड़कर जिनमें व्यय बढ़ौत्तरी आधार पर लेखाबद्ध किया गया है। मुख्यतः व्यय को नकदी आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

2. सहायता अनुदान :–

(अ) पूंजीगत व्यय :–

अनुदान राशि से स्थाई सम्पत्तियां क्रम करने पर जिन्हे समिति की संपत्तियां माना जाता है के अनुसार संचित पूंजी का सृजन किया जाता है। स्थाई सम्पत्तियों पर अवक्षय का प्रावधान नहीं किया गया है।

(ब) राजस्व व्ययः–

1. राजस्व व्यय अनुदान को उपयोग की सीमा तक वर्ष के दौरान आय माना जाता है। व्यय नहीं हुए अनुदान को लेखा पुस्तकों में अलग से दर्शाया गया है।
2. राजस्व व्यय को उस सीमा तक जिसे समान्यतः वर्ष के दौरान सुनिश्चि व अनुमोदित कर दिया गया है उसी को ही वर्ष में व्यय मान लिया गया है।

लेखों पर टिप्पणीयांः–

1. वित्तीय विवरण उन निधियों के लिए तैयार किया गया है जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए प्राप्त/उपयोग की गई।
2. कार्यकारी अभिकरणों के शेष कार्य जिला स्तर पर मिलान/पुष्टिकरण पर आधारित है।
3. पिछले वर्षों के आंकड़े जहाँ पर आवश्यक समझा गया का पुनः सामुहिकरण/व्यवस्था की गई है।

कृते अनिल के, सूद एवं कंपनी
सन्दी लेखाकार
फर्म रजि० नं० 07360एन

हस्ता–
(जितेन्द्र शर्मा)

स्थान : शिमला — साझेदार

दिनांक : 31.01.2013 — एम० नं० 511025

अनिल के० सूद एवम् कम्पनी
सन्दी लेखाकार

यू/फ 56, लोअर बाजार ,शिमला
दूरभाष : 0177—2652285
ई—मेल : aksco@rediffmail.com

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

1. स्थायी सम्पत्तियाँ

(a) स्थायी सम्पत्तियाँ रजिस्टर हमारे सामने सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(b) प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई थी।

2. जिला स्तर अवलोकन निम्नलिखित है :—

के०जी०बी०वी० चम्बा

मेहला

1. क्षमता निर्माण के लिए बजट रू० 30,000.00 था, परन्तु वास्तविक खर्चा रू० 31,194.00 था अतिरिक्त राशी वोकेशनल एवम Skill ट्रेनिंग से भुगतान की गई।
2. दैनिक खपत रजिस्टर हमें प्रस्तुत नहीं किया गया तथा खपत के मानदण्डों की जांचा नहीं जा सका।
3. 'जरियाल जनरल स्टोर' के बिल, बिल नं० व दिनांक के अनुसार नहीं थे।

वाउचर नं०	दिनांक	बिल नं०	दिनांक	मूल्य
07	16/6/2011	3258	16/6/2011	220.00
17	30/7/2011	3477	5/7/2011	376.00
19	4/10/2011	3284	26/9/2011	552.00
12	30/11/2011	3200	28/11/2011	3206.00

केराईन

1. दैनिक खपत रजिस्टर हमारे प्रत्यक्ष नहीं रखा गया इसलिए खपत के मानदण्ड ज्ञात नहीं किए जा सके।

2. किहार

निम्नलिखित खर्चों के असली बिल नहीं पाए गए।

दिनांक	पार्टी	मूल्य
13/10/2011	सिलाई के लिये अश्वनी कुमार की प्रदत्त	8000.00
13/08/2011	शर्मा मेडिकल स्टोर	100.00
13/10/2011	डलहोजी गैस सर्विस	1840.00
13/12/2011	प्रेम लाल टेलर	2700.00
12/12/2011	जगदीश जनरल स्टोर	240.00

21/12/2011	ओमी टैंट हाउस	2500.00
03/03/2012	बी०एस०एन०एल०	500.00

यह पाया गया कि नजीर मोहम्मद एवम सन्स के बिल जो राशन (KGBV) के भुगतान से सम्बन्धित थे, वे लेटर पैड पर थे। दिनांक शीर्ष के तहत बिलों का ब्यौरा नहीं दिया गया था। राशन की खरीद के तहत कोई भी उद्धरण नहीं पाई गई।

महीना	मूल्य
मई	20774.00
मई	26665.00
जून	23930.00
जुलाई	24970.00
अगस्त	21699.00
सितम्बर	14107.00
अक्तूबर	26365.00
नवम्बर	16838.00
दिसंबर	20482.00
जनवरी	23486.00
मार्च	6994.00
मार्च	15809.00

दैनिक खपत रजिस्टर हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तथा खपत के मानदण्ड सत्यापित नहीं किए जा सके।

तिस्सा

1. दैनिक खपत रजिस्टर हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तथा खपत के मानदण्ड सत्यापित नहीं किए जा सके।

बाघेईगड़

1. छात्रों को दिए गए वजीफे की कोई रसीद नहीं पाई गई।
2. दैनिक खपत रजिस्टर हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तथा खपत के मानदण्ड सत्यापित नहीं किए जा सके।

शिमला

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के दिए गए रु. 7,00,000.00 एवं NPEGEL की रु. 1,00,000.00 की राशि को आगे स्थान्नातरित किया गया है एवं पिछले दो वर्षो से असमायोजित पड़े हैं।

कृते अनिल के, सूद एवं कंपनी
सन्दी लेखाकार
फर्म रजि० नं० 07360एन

हस्ता–
(जितेन्द्र शर्मा)

स्थान : शिमला

साझेदार

दिनांक : 31.01.2013

एम० नं० 511025

अनिल के० सूद एवम् कम्पनी
संन्दी लेखाकार

यू/फ 56, लोअर बाजार ,शिमला
दूरभाष : 0177–2652285
ई–मेल : aksco@rediffmail.com

सर्वशिक्षा अभियान की 31.3.2012 को समाप्त हुए वर्ष का उपयोगिता प्रमाण पत्र

राज्य का नाम – हिमाचल प्रदेश

क्र० सं०	स्वीकृति पत्र संख्या व दिनांक	राशि			
	विवरण	एस०एस०ए०	एन०पी०जी०ए०ए ल०	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	योग
ए	सहायता अनुदान भारत सरकार अंश				
(i)	प०सं० एफ० 19/2/2011 ई ई 8 (i) to (vi) दिनांक : 25/5/2011	490540000	2403000	4237000	497180000
(ii)	प०सं० एफ० 19/2/2011 ई ई 8 (i) to (vi) दिनांक 27/06/2011	248590000			248590000
(iii)	प०सं० एफ० 19/2/2011 ई ई 8 (i) to (iii) दिनांक 20/7/2011	173508000			173508000
(iv)	प०सं० एफ0 19/2/2011 ई ई 8 दिनांक 20/10/2011	500000000			500000000
	योग	**1412638000**	**2403000**	**4237000**	**1419278000**
बी	सहायता अनुदान राज्य अंश				
(i)	प०सं० ई०डी०एन० सी०–सी० (1),2/2011 दिनांक :16/5/2011	206425000	1294000	2281000	210000000
(ii)	प०सं० ई०डी०एन० सी०. एफ० (2), दिनांक 30/4/2011	87758000			87758000
(iii)	प०सं० ई०डी०एन० सी०एफ० (2) –4109 दिनांक 8/8/2011	401568000			401568000
(iv)	प०सं० ई०डी०एन० सी० एफ० (2)4/09 दिनांक 17/11/2011	93427000			93427000
(v)	प०सं० ई०डी०एन० सी० एफ० (2) 4/09 दिनांक 01/02/2012	120947000			120947000
	योग				
	कुल योग	**910125000**	**1294000**	**2281000**	**913700000**

सी	पिछले वर्ष का अव्ययित शेष	318096857.93	442470	4085357.23	322624685.16
डी बैंक	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	38415779.81		688573.00	39104352.81
ई	अन्य प्राप्तियां	108406.00			108406.00
	कुल योग (ए+बी+सी+डी)	2679384043.74	4139470	11291930.23	2694815443.97
	घटावः खर्चे (10–11)	1870631993.44	3136293.00	10539563.82	1884307850.26
	अव्यय शेष	808752050.30	10031771	752366.41	810507593.71
	प्रस्तुत कर्ता				
	अग्रिमें (एस.एस.ए./डी.पी.ई.पी.)	756307395		832156	75713955
	शुद्ध अव्यय शेष	355469831.30	1003177	11475458.41	367948466.71
	चालू देनदारियां व अन्य	303025176		11555248.00	314580424.00
	योग	808752050.30	1003177.00	752366.41	810507593.71

यह प्रमाणित किया जाता है कि रू. 2,33,29,78,000.00 (रूपये दो सौ तेतीस करोड़ उन्नतीस लाख अठहतर हजार) मात्र जो कि अनुदान सहायता वर्ष 2011–2012 के निजि मेंबर सेकरेटरी हि०प्र०, प्रा०शि० समिति के पक्ष में गए तथा वर्ष 2011–12 के दौरान अर्जित ब्याज की राशि रू. 39104352.81 (तीन करोड़ इकानवे लाख चार हजार तीन सौ बावन व इक्यासी पैसे मात्र) तथा पिछले वर्ष रू 108406.00 (एक लाख आठ हजार चार सौ छः मात्र) एवं रू. 322624685.16 (बत्तीस करोड़ छब्बीस लाख चौबीस हजार छः सो पच्चासी व सोलह पैस मात्र) की अव्ययित राशि तथा मु० रू. 1,88,43,07,850.26 रू. (रुपए एक सौ अठठासी करोड़ तैतालीस लाख सात हजार आठ सो पचार एवम छब्बीस पैसे मात्र) उस प्रायोजन के लिए खर्च किए जिसके लिए स्वीकृत किए गए थे तथा शेष रू. 810507593.71 (इक्यासी करोड़ पांच लाख सात जहार पांच सौ त्रयानवे एवं इक्हतर पैसे मात्र) की राशि की अन्य प्राप्तियों जोकि उसी प्रयोजन के लिये खर्च की गई जिसकी मंजूरी की गई थी जो कि रू. 75,71,39,551.00 (पच्हतर करोड़ इकहतर लाख उन्तालीस हजार पांच को इक्यावन माा) का अग्रिम घटाने के पश्चात तथा रू. 314580424.00 (इक्तीस करोड़ पैंतालीस लाख अस्सी हजार चार सौ चौबीस मात्र) की राशि देय लेखे में जोड़ने के पश्चात तथा रूपए 810507593.71 (इक्यासी करोड़ पांच लाख सात जहार पांच सौ त्रयानवे एवं इक्हतर पैसे मात्र) की अव्ययित राशि अगले वर्ष में देय सहायता अनुदान में समायोजित कर दी जाएगी।

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने इस सम्बन्ध में अपनी संतुष्टि कर ली है जिन शर्तों पर सहायता अनुदान मंजूर किया गया था उनका पूर्ति की गई है और यह देखने के लिए कि निधि वस्तुतः उसी प्रयोजन के लिऐ खर्च की गई है, जिसके लिये वह मंजूर की गई थी, हमने निम्न जांच की है।
2. जाँच हेतु प्रयुक्त की गई विधियां।
   (अ) लेखा का लेखपरीक्षित विवरण (प्रतिलिपि संलग्न)
   (ब) उपयोगिता प्रमाणपत्र
   (स) प्रगति रिपोर्ट (प्रतिलिपि संलग्न)

हस्ता

राज्य परियोजना निदेशक

लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र

हमने हमारे समक्ष सत्यापन के लिये प्रस्तुत बहियों और अभिलेखों से उक्त विवरण का सत्यापन कर लिया है और यह पाया कि वह तदानुसार तैयार किया गया है।

कृते अनिल के, सूद एवं कंपनी
सन्दी लेखाकार
फर्म रजि० नं० 07360एन

हस्ता–
(जितेन्द्र शर्मा)

साझेदार
एम० नं० 511025

स्थान : शिमला

दिनांक : 31.01.2013

अनिल के० सूद एवम् कम्पनी
संन्दी लेखाकार

यू/फ 56, लोअर बाजार ,शिमला
दूरभाष : 0177–2652285
ई–मेल : aksco@rediffmail.com

31.3.2012 को समाप्त वर्ष डी०पी०ई०पी० का उपयोगिता प्रमाण पत्र

Sr. No.	राज्य का नाम	हि०प्र०	
	स्वीकृति पत्र संख्या और तारीख		
	विवरण	डी०पी०ई०पी०	योग
A	सहायता अनुदान भारत सरकार अंश	शून्य	शून्य
	योग	शून्य	शून्य
B	सहायता अनुदान राज्य सरकार अंश	शून्य	शून्य
	योग	शून्य	शून्य
	उप–योग	शून्य	शून्य
C	पिछले वर्ष का अव्यय शेष	**2538952.86**	**2538952.86**
D	वर्ष के दौरान अर्जित बैंक ब्याज	71711.00	71711.00
E	अन्य प्राप्तियाँ	35694.00	35694.00
	कुल योग (ए+बी+सी+डी+ई)	2646357.86	2646357.86
	घटाने वाले खर्चे–2011–12	2464362.86	2464362.86
	अव्यय शेष	181995.00	181995.00
	प्रतिनिधि द्वारा		
	अग्रिमी	181995.00	181995.00
	शुद्ध अव्यय शेष (नगदी व बैंक शेष)	–	–
	चालू देयताएं	–	–
	योग	181995.00	181995.00

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के पत्र संख्या, राज्य सरकार के पत्र जी प्रत्येक के सामने दर्शाये गए हैं वर्ष 2011–12 के लिए मेबंर सेकेरेटरी हिमाचल प्रदेश प्रा०शि० समिति के पक्ष में स्वीकृत किये गए शून्य रूपयों के सहायता अनुदान तथा वर्ष 2011–12 के दौरान अर्जित ब्याज की राशि 71,711.00 (रुपए इकहतर हजार सात सौ ग्याहर मात्र) तथा पिछले वर्ष के अव्यय बकाया के रू. 2646357.86 (रुपए छब्बीस लाख छयालिस हजार तीन सौ सतावन व छयासी पैसे मात्र) में से राशि रू. 2464362.86 (चौबी लाख चौंसठ हजार तीन सौ बासठ व छयासी पैसे मात्र) उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गई है

जिसके लिये वह मंजूर की गई थी व 181995.00 (रुपए एक लाख इक्यासी हजार नौ सौ पचानवे मात्र) को शेष अव्ययित रहा।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने इस संबन्ध में अपने आप को आश्वस्त कर लिया है कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान मजूर किया गया था उनकी पूर्ती की गई है और यह देखने के लिए कि निधि वस्तुतः उसी परियोजना के लिए खर्च की गई है, जिसके लिये वह मंजूर की गई थी, हमने निम्न जाँच की हैः–

जांच हेतु प्रयुक्त की गई विधियां :–

क) लेखा का लेखापरीक्षित विवरण (प्रतिलिपि संलग्न)

ख) उपयोगिता प्रमाण पत्र

ग) प्रगति रिपोर्ट (प्रतिलिपि संलग्न)

तारीख :–

हस्ता

राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान

लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र हमने हमारे समक्ष सत्यापन के लिये प्रस्तुत बहियों और अभिलेखों से उक्त विवरण का सत्यापन कर लिया है अैार यह पाया कि तदानुसार तैयार किया गया है।

कृते अनिल के, सूद एवं कंपनी
सन्दी लेखाकार
फर्म रजि० नं० 07360एन

हस्ता–
(जितेन्द्र शर्मा)

साझेदार
एम० नं० 511025

स्थान : शिमला

दिनांक : 31.01.2013

General Information About Himachal Pradesh

Came into existence	15th April, 1948
Achieved Statehood	25th January, 1971
Location :	
Longitude	75^0, 45' 55'' E to 79^0 04' 20" E
Latitude	30^0 22' 40'' N to 33^0 12' 40" N
Area	55,673 Sq. Km.
Districts	12
Tehsils :	83
C.D. Blocks :	77
Inhabited Villages :	17495
Population (2011) :	
Total Population	68.57 lakh
Males	34.74 laks
Females	33.83 lakh
Density :	
Population Density	123* per sq. Km.
Highest	406 per sq. Km. (Hamirpur)
Lowest	2 per sq. Km.(Lahaul-Spiti)
Sex Ratio :	974/1000 F/M
Population Status (2011) :	
Rural	61.7 lakh
Urban	6.9 lakh
SC	15.0 lakh
ST,	2.4 lakh
Literacy Rate (2011) : 83.78%*	
Literacy Rate	83.78
Male Literacy	90.83
Female Literacy	76.60
Electrified Villages :	100%
No. of Legislative Assembly Constituencies :	68
No. of Parliamentary Constituencies :	
Lok Sabha	4
Rajya Sabha	3

Source : Department of Economics & Statistics, Himachal Pradesh, Shimla-9.

Literacy Rate of Districts in Himachal Pradesh (2011)

District	Population	Male population	Female population	Growth	Sex ratio	Literacy	Density
Bilaspur	382056	192827	189229	12.08	981	85.67	327
Chamba	518844	260848	257996	12.58	989	73.19	80
Hamirpur	454293	216742	237551	10.08	1096	89.01	406
Kangra	1507223	748559	758664	12.56	1013	86.49	263
Kinnaur	84298	46364	37934	7.61	818	80.77	13
Kullu	437474	224320	213154	14.65	950	80.14	79
Lahul and Spiti	31528	16455	15073	-5.1	916	77.24	2
Mandi	999518	496787	502731	10.89	1012	82.81	253
Shimla	813384	424486	388898	12.58	916	84.55	159
Sirmaur	530164	276801	253363	15.61	915	79.98	188
Solan	576670	306162	270508	15.21	884	85.02	298
Una	521057	263541	257516	16.24	977	87.23	338

District	Female per thousand male
Kinnaur	818
Solan	884
Sirmaur	915
Lahul & Spiti	916
Shimla	916
Kullu	950
Una	977
Bilaspur	981
Chamba	989
Mandi	1012
Kangra	1013
Hamirpur	1096

Chapter - 1

SARVA SHIKSHA ABHIYAN (SSA)

SSA is a holistic and convergent programme targeting primary and upper primary education with the main focus on providing basic quality education within a clear time frame. It aims at providing access to schooling to all children in the age group of 6-14 years. SSA is an effort to improve the performance of the school system and provide community owned quality Elementary Education in a mission mode.

For the last five decades, Universalization of Elementary Education (UEE) and the fulfilment of the mandate of Indian Constitution have been attracting the attention of educational planners, administrators, educationists and the nation. The National Policy of Education (NPE) 1986 and programme of action (POA) 1992 have given top priority to the achievement of the goals of Universal Elementary Education. Education for the Children of 6-14 years age group has been made fundamental right by the 86th constitutional amendment Act. Many projects and programmes have been undertaken at micro and macro levels in this direction. This has resulted in considerable progress in providing access to Elementary Education, increase in enrollment & retention, improvement in school attendance and generation of strong demand for education especially for girls.

The National Elementary Education Mission (NEEM) was constituted in 2001 under the Chairmanship of the Prime Minister in the MHRD, Govt. of India to speed up the achievement of the goal of Universal Elementary education. Similar missions have been constituted at the State level under the Chairmanship of Chief Minister of the State. Number of programmes and projects have been implemented over the years to provide useful inputs for achieving the constitutionally mandatory goal of Universalization of Elementary Education.

Sarva Shiksha Abhiyan is :

A programme with a clear **time frame** for UEE.

A response to the demand for **quality basic education** all over the country.

An opportunity for promoting **social justice** through basic education.

An effort for **effectively involving** the PRIs, School Management Committees, Village and Urban Slum Level Education Committees, Parents' Teachers' Associations (PTAs), Mother Teacher Associations (MTAs), Tribal Autonomous Councils and other grass root level structures in the management of elementary schools.

An expression of **political will** for Universal Elementary Education across the country.

A partnership between Central, State and local government.

An opportunity for State to develop their **own vision** for Elementary Education and implement them.

An effective convergence with other departments is concerned with poverty alleviation and promotion of quality of life.

During the 11th five year plan, after most of states reported improvement in infrastructural facilities, the issue of providing quality education to the children over shadowed all other objectives.

Programme Implementation

SSA is being implemented in all the twelve districts of the Pradesh and the work has increased manifold. The existing structure of State Project Office, established under DPEP has been sustained for implementation of SSA.

The meetings of the GC are to be convened twice a year and efforts have been made to convene the meetings of EC every quarter. The SRG for the State in the thrust areas of pedagogical renewal and inclusive education for disabled children has been activated. Efforts were made to activate SCERT to take up the SSA implementation in H. P.

To build the capacity of key functionaries of the HPPES and SPO staff in the innovations in the field of education, exposure visits have been planned. The key functionaries of HPPES and SPO staff have also been trained at the national level through various trainings and workshops organized at National level, other institutions and MHRD for efficient implementation of SSA. Internal review, audit and monitoring has also been strengthened to accelerate the pace of expenditure in a planned manner for the achievement of SSA goals.

Efforts have been made for better linkage with main line administration. Capacity building of Block Primary Education Officers and Central Head Teachers in Financial Management and Administration has been taken-up and they will also be involved in academic support. Convergence with State Government will be ensured and matters like rationalization, deployment, filling up of the vacant posts of teachers, strengthening of DIETs, SCERT and SIEMAT will be taken up.

Chapter - 2

PROGRAMME MANAGEMENT

Progress Overview

To implement SSA & DPEP in H.P. an autonomous society namely Himachal Pradesh Primary Education Society (HPPES) has been registered under Societies Registration Act. 1860 by the Registrar of Societies Shimla district, H.P. at Sr. No. 120/95, with Principal Secretary Education to the Government of H.P. as the Chairman of the Society and having its headquarters at the Directorate of Primary Education, Glen Hogen, Lal Pani, Shimla-171001.

Management structure

District Primary Education Programme is being implemented in a mission mode by Himachal Pradesh Primary Education Society (HPPES) which has two organs Governing Council with Chief Minister as ex-officio President and Executive Committee under the Chairmanship of Secretary Education to the Government of Himachal Pradesh.

GOVERNING COUNCIL

(Constituted under Rule-7 of the MOA)

H.P. Primary Education Society-cum-SSA State Mission Authority

1	Hon'ble Chief Minister, H.P.	President
2	Hon'ble Education Minister, H. P.	Vice President
3	Chief Secretary, Govt. of H.P.	Ex. Officio Members
4	Principal Secretary (Finance) H.P.	-do-
5	Principal Secretary (Planning , Eco. & Statistics) H.P.	-do-
6	Principal Secretary (Social Justice & Empowerment) H.P.	-do-
7	Principal Secretary (Education) H.P.	-do-
8	Principal Secretary (Pub. Health & Family Welfare) H.P.	-do-
9	Principal Secretary (Panchayti Raj & Rural Dev.) H.P.	-do-
10	Principal Secretary (Local Self Govt.)	-do-
11	Principal Secretary (Public Relations)	-do-
12	Commissioner / Secy. Tribal Development	-do-
13	Principal, SCERT	-do-
14	Chairman, H.P. Board of School Edu.	-do-
15	Ms. Indira Chauhan, CHT, GPS, Paonta Sahib, Sirmour	Nominated Members
16	Sh Chaman Thakur, Retd BPEO Vill. Kothi, PO Cholthra Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi	-do-
17	Sh. Ramesh Thakur JBT, Govt. Primary School, Bailag da Ghat Tehsil Bhoranj, District Hamirpur	-do-
18	Sh. Baldev Chand Dhiman Retd. Principal Vill. Kakryana P.O.	-do-

	Tikkar Didwin, Distt. Hamirpur	
19	Sh. Braham Dutt Sharma, Retd. Dy. Director V&PO Bela Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur	-do-
20	Mrs. Premi Devi, BEEO, Jhanduta, Distt. Bilaspur	-do-
21	Smt. Kiran Gera, Pragya(NGO), Jeevan Jyoti Building V&PO Reckong Peo, Distt. Kinnaur	-do-
22	Mrs. Sanjana Goyal, IAMD, Hospital Road Tehsil & Distt. Solan	-do-
23	Dr. N.K. Sharma, Clinical Psyshologist, National Street, Mandi	-do-
24	Sh. Baldev Raj Awasthi (Ayurvedic Officer) Near Gas Agency, Kullu	-do-
25	Smt. Chander Kala, CDPO Drang, Vill. Darang P.O. Kunnu, Distt. Mandi	-do-
26	Smt. Satvir Kaur, W/O Sh. P.S. Bonsra VPO Dehlan, Tehsil & Distt. Una	-do-
27	Sh. S.N Shouriee, Retd. Dy. Director Dharamsala	-do-
28	Sh. Jagdish Sharma, Shri Hari Knj, Lower Kaithu Shimla-3	-do-
29	Concerned Joint Secretary or his/her nominee	GOI Nominees
30	Financial Advisor MHRD or his/her nominee	-do-
31	Dr. Govind, NUEPA	-do-
32	The Vice Chacellor, H.P. University Shimla	-do-
33	Shri J.B.G. Tilak, Sr. Fellow NUEPA	-do-
34	Prof. Shyam Menon, CIE Delhi University	-do-
35	Dr. Aloka Guha, Disability Corp. New Delhi	-do-
36	Sh. R.D. Munda, EX-VC, Ranchi University	-do-
37	Sh. Subhash Mahdapurkar, SUTRA, Solan	-do-
38	Mrs. Kunjana Singh, Ranger Palace, Nahan, Sirmour	-do-
39	Dr. Pam Rajput, Punjab University, Chandigarh	-do-
40	Director, NCERT of his/her nominee	-do-
41	Director, NUEPA of his/her nominee	-do-
42	Director, Ele. Edu.-cum-Mission Director, SSA, H.P.	Member Secy.
43	Additional/Joint/Deputy Secy. Edu.	Member
44	State Project Director, SSA, H.P.	Member

Executive Committee of HPSES (SSA)

Shimla-1

(Constituted under Rule-24 of the MOA)

H.P.School Education Society

GOI Nominated Members		
Sr. No.	**Name and Designation**	**Designation**
1.	The Joint Secretary Department of EE&L, MHRD, New Delhi	GOI Nominees
2.	Finance Adviser, Department of EE&L MHRD New Delhi	-do-
3.	Dr. R.Govinda Vice Chancellor, NUEPA, 17-B Sri Aurobindo Marg, New Delhi - 110016	-do-
4.	Dr. Rita Malhotra Amar Jyoti Charitable Trust Karkardooma, Vikas Marg, New Delhi-110092	-do-
5.	Ms. Vimala Ramachandran , R/O Xci-s-sehvikas apartment , 68- IP Extention, New Delhi 110092	-do-
	Members Nominated By State Government	
1.	Principal Secretary Education to the Govt. of Himachal Pradesh Shimla-2	Chairman
2.	Principal Secretary Finance, to the Govt. of Himachal Pradesh Shimla-2	Member
3.	Principal Secretary (SJ&E), to the Govt. of Himachal Pradesh Shimla-2	-do-
4.	Principal Secretary, (Planning ECO & Statics) Govt. of Himachal Pradesh Shimla-2	-do-
5.	Additional Secretary, Education to the Govt. of Himachal Pradesh Shimla-2	-do-
6.	Secretary H.P. Board of School Education, Dharamshala, Kangra	-do-
7.	Director Higher Education Shimla-1	-do-
8.	Director Elementary Education-cum-Mission Director SSA Shimla-1	-do-
9.	State Project Director (SSA/RMSA) Member Secretary	Member Secy.
10.	The Principal SCERT Solan H.P.	Member
11.	Mrs. Sanjana Goyal, IAMD, Hospital Road Solan H.P.	-do-
12.	Sh. Jagdish Sharma Shri Hari Kung, Lower Kaithu, Shimla-3	-do-
13.	Director (SSA monitoring Institute) H.P.U. Shimla-5	-do-
14.	Sh. B.D.Sharma Retd. Dy. Director, VPO-Bela Tehsil Nadaun, District-Hamirpur	-do-

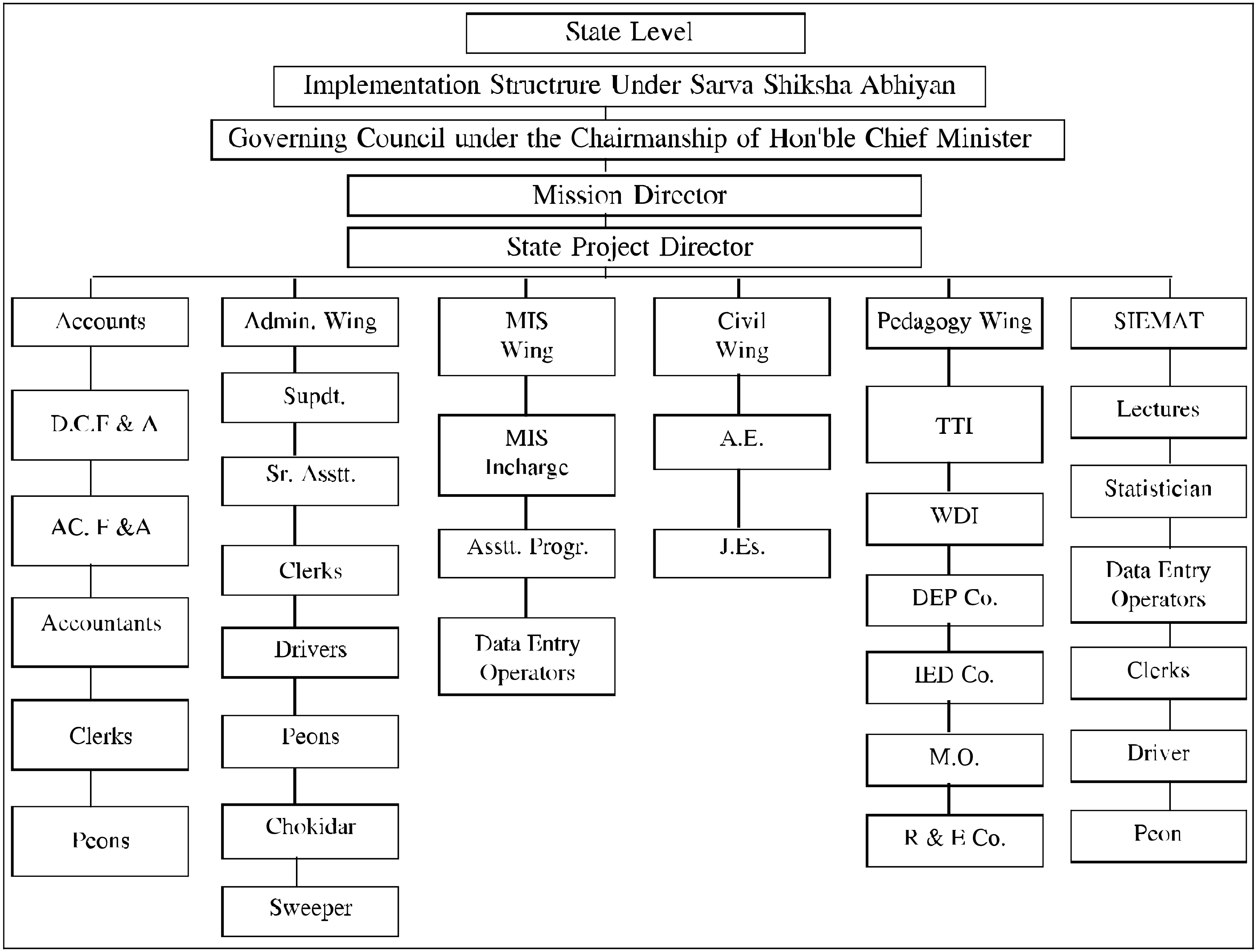
State Level
Implementation Structrure Under Sarva Shiksha Abhiyan
Governing Council under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister
Mission Director
State Project Director
Accounts
D.C.F & A
AC. F &A
Accountants
Clerks
Peons
Admin. Wing
Supdt.
Sr. Asstt.
Clerks
Drivers
Peons
Chokidar
Sweeper
MIS Wing
MIS Incharge
Asstt. Progr.
Data Entry Operators
Civil Wing
A.E.
J.Es.
Pedagogy Wing
TTI
WDI
DEP Co.
IED Co.
M.O.
R & E Co.
SIEMAT
Lectures
Statistician
Data Entry Operators
Clerks
Driver
Peon

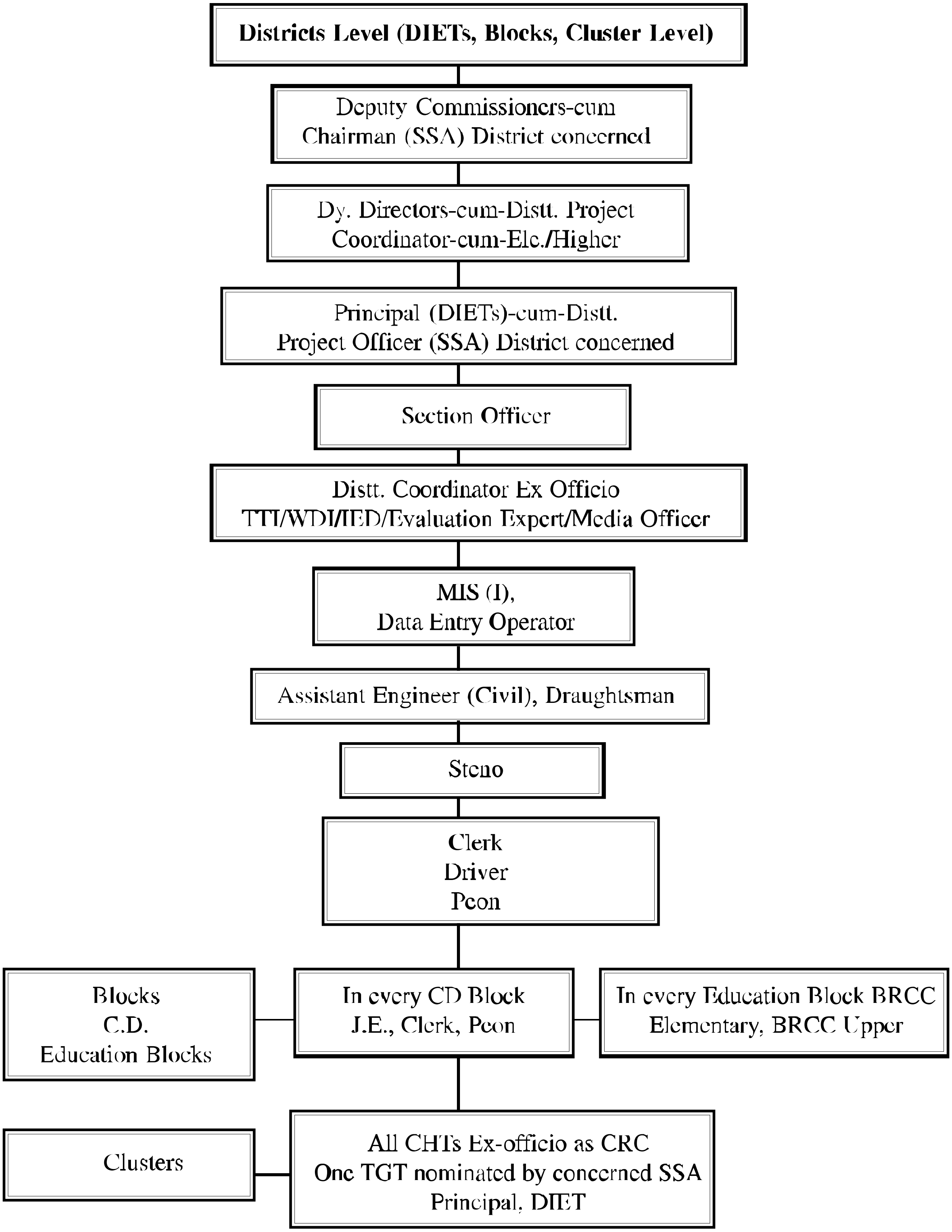
Districts Level (DIETs, Blocks, Cluster Level)
Deputy Commissioners-cum Chairman (SSA) District concerned
Dy. Directors-cum-Distt. Project Coordinator-cum-Elc./Higher
Principal (DIETs)-cum-Distt. Project Officer (SSA) District concerned
Section Officer
Distt. Coordinator Ex Officio TTI/WDI/IED/Evaluation Expert/Media Officer
MIS (I), Data Entry Operator
Assistant Engineer (Civil), Draughtsman
Steno
Clerk Driver Peon
Blocks C.D. Education Blocks
In every CD Block J.E., Clerk, Peon
In every Education Block BRCC Elementary, BRCC Upper
Clusters
All CHTs Ex-officio as CRC One TGT nominated by concerned SSA Principal, DIET

Consolidated Category Wise Status of Post Under SSA in H.P. as on 31.03.2012				
Category	**Sanctioned**	**Filed**	**Vacant**	**Remarks**
State project Office				
Mission Director	1	1	0	Ex-officio
State Project Director	1	1	0	HAS
Dy. Controller (F &A)	1	1	0	
Assistant Controller (F &A)	1	1	0	On secondment
Supdt., Gradt-II	1	1	0	On secondment
Senior Assistant	1	1	0	On secondment
Legal Assistant	1	0	1	
Junior Assistant	1	0	1	
Lecturers	6	6	0	On secondment
P.A. to Mission Director	1	0	1	
P.A. to State Project Director	1	0	1	
Accountants	2	2	0	On secondment/ contract
MIS (Incharge)	1	1	0	On contract basis
Statistician	1	1	0	On contract basis
Asstt. Engineer	1	0	1	
Asstt. Programmer	1	1	0	On contract basis
Junior Engineer	2	1	1	Draughtsman is presently working against the post of JE
Women Development Incharge	1	1	0	On contract basis
Teacher Training Incharge	1	1	0	On secondment
Evaluation Expert	1	1	0	On secondment
Media Officer	1	1	0	On secondment
IED Coordinator	1	1	0	On contract basis
DEP-Coordinator	1	1	0	
Data Entry Operator	4	4	0	On contract basis
Stenographer	1	0	1	
Steno typist	1	0	1	
Clerk	6	6	0	On contract basis
Storekeeper	1	1	0	On contract basis
Drivers	4	4	0	On contract basis
Chowkidar	1	1	0	On contract basis
Peons	10	6	4	On contract basis
Sweeper	1	1	0	On contract basis
Total (A)	**59**	**47**	**12**	
District Level :				
RC-cum-APC (District Chamba)	1	1	0	The RC pangi, ADC Kaza
ADC-cum-APC (SSA) Kaza	1	1	0	
District Project Officer	12	12	0	Principals, DIETs, Deputy Directors are working as Distt. Project Officers and
District Project Coordinator	12	12	0	
Section Officer	12	9	3	
Accountant	12	12	0	

Assistant Engineer	12	2	10	IDstt. Project Coordinators and RC-cum-APC, ADC-cum-APC to run SSA as Ex-officio Capacity. Their appointments are made by the Govt. and the BRCCs are appointed by Directorate of Elementary Education.
Lecturer	9	6	3	
MIS Incharge	12	9	3	
Women Development Incharge	3	2	1	
Evaluation Expert	3	2	1	
Junior Engineer	77	73	4	
Draughtsman	12	11	1	
Steno	12	3	9	
Data Entry Operator	24	21	3	
Clerk	87	61	26	
Driver	7	7	0	
Peon	87	52	35	
Block Resource Centre Coordinator (UP)	124	97	27	
Block Resource Centre Coordinator (P)	124	113	11	
Total (B)	**643**	**506**	**137**	
G. Total (A+B)	**702**	**553**	**149**	

Chapter - 3

INTERVENTION WISE PROGRESS

1. Civil Works

Civil Works under SSA is being implemented through community participation at all the sites. Experiences of DPEP, cost-effective designs using local material and technologies, alternate designs, child friendly elements, solar passive design features are being shared and implemented. VEC Manual devised at the State Project Office for execution of Civil Works through community participation has been disseminated to all the schools. Capacity building /training of field staff has been made a regular feature as the staff has been appointed in all the districts at CD block level. Water & toilet facilities are being provided in the schools in convergence with I & PH and Rural Development Department.

The Civil Wing at the State Project Office is facilitating the following :-

- Replication/improvement of the designs developed under DPEP for school room construction under SSA using low cost technologies and material.
- Preparation of designs, drawings and estimates of BRC and CRC buildings under SSA and disseminating to the field for execution.
- Estimation and execution of minor works.
- In- house coordination with other wings for implementation of SSA.
- Convergence with other departments like Irrigation & Public Health Department and Rural Development Department for providing toilets and water supply in the schools.
- Sharing of the book titled "Building as a Learning Aid" (BaLA) with the districts and incorporating the features enumerated in the book to make school more child friendly.
- Monthly meeting, monitoring and to convey the instructions of Authorities for implementation of Civil Works being carried out in the State under SSA.
- Correspondence with MHRD, Ed.CIL. districts, GOI, GOHP, public representations, etc.
- Execution of construction of Kitchen Sheds of all elementary schools under MDM scheme.
- Training/Capacity building of SMC so that stake holders are encouraged for overall development of infrastructure under SSA.
- KGBVs for girls of disadvantaged group have been constructed where they have been enrolled.

Sr.	Activities	Planned till	Completed	In Progress	Expenditure	Remarks

No.		date (Units) Cumulative	(Units) Cumulative	(Units) Cumulative	(Rs. in lacs) Cumulative	Completion % age
1	BRCs	56	55	1	336.00	98.21
2	CRCs	538	512	26	1061.09	95.17
3	New School Buildings(Primary)	80	0	4	45.50	0.00
4	New School Buildings(Upper Primary)	20	0	0	0.00	0.00
5	Existing schools/ building less school (Primary)					
6	Existing schools/building less school (Upper Primary)					
7	Additional classrooms (Pry.)	11087	9021	933	12989.53	81.36
8	Additional classrooms (Upper Primary)					
9	Toilets (Primary)	4448	4441	7	1365.95	99.84
10	Toilets (Upper Primary)					
11	Separate Girls Toilet (Pry.)	9819	3421	4044	3613.95	36.22
12	Separate Girls Toilet (U. Pry.)					
13	Drinking Water (Pry)	2417	2323	94	464.03	96.12
14	Drinking Water (Upper. Pry.)					
15	Boundary Wall (Pry.)	3607	2802	567	2212.24	77.68
16	Boundary Wall (Upper Pry.)					
	Boundary Wall (2010-11) in rmts.	216323	0	0		
17	Kitchen Shed	88	87	1	46.84	98.86
18	Major Repair (Primary)	1051	519	106	303.42	49.38
19	Major Repair (Upper Primary)	389	179	50	103.875	46.02
20	Furniture				388.81	0.00
21	Headmaster Room (Primary)	28	0	0	10.04	0.00
	Headmaster Room(U.Pry.)	1624	297	870	3672.16	18.29
22	Library (P)	19479	6363		272.71	32.67
23	Library (U.P)	7875	2768		371.26	35.15
24	Augmentation of BRC	25	0	0	3.39	0.00
25	Electrification	6398	0	0	217.95	0.00
	Grand Total	69029	32788		27478.745	47.50

Physical and Financial Status for the year 2011-12

Cummulative approved outlay for Civil Works till date (Rs. in lacs)	Cummulative expenditure in Civil Works till date (Rs. in lacs)	Percentage Expenditure (Cummulative)	Remarks
38778.28	**27478.75**	**70.86%**	

FINANCIAL STATUS*

*** Source :- PMIS**

Cummulative approved outlay for Civil Works in NPEGEL till date (Rs. in lacs)	Cummulative expenditure in Civil Works in NPEGEL till date (Rs. in lacs)	Percentage Expenditure (Cummulative)	Remarks
102.00	**101.70**	**99.70%**	

Cummulative approved outlay for Civil Works in KGBV till date (Rs. in lacs)	Cummulative expenditure in Civil Works in KGBV till date (Rs. in lacs)	Percentage Expenditure (Cummulative)	Remarks
150.00	**114.75**	**76.50%**	

2. Present Status of out of School Children (OOSC) in H.P.

There were 2309 out of school children in the age group of 6-14 years in different districts of Himachal Pradesh in the month of March, 2011. NRBC centres have been opened for the out of school children who cannot join the mainstream of education due to various reasons. Age appropriate and class appropriate Education is being imparted as per the RTE ACT 2009 which came into force in April 2010. Special Training to the older children was imparted after notifying the RTE norms. Bridge courses were started to impart the age appropriate and class appropriate education to out of School Children. Instructors to impart special training were recruited as per the NCTE norms so that quality education could be imparted as per the letter and spirit of RTE Act, 2009.

98 NRBC centres & 21 Mobile NRBC Schools have been opened across the State. 2780 children (newly identified and continued from last year) have been enrolled in these centres across the State. Some children were identified in the month of August and were simultaneously enrolled.The mobile schools are quite similar to the non residential bridge curse centres except for the fact that here the location of the centres keeps shifting from one place to another. These centres are catering to the education of migrants and drop outs. NRBC centres will be opened only for 3 to 9 months and can be extended upto 2 years. After enrolling the children in nearby

primary schools, children especially with higher age group are taught in NRBC centres in the vicinity of Pr. Schools or as per convenience of the children. After age appropriate competence these children are enrolled in formal schools. Migratory children are enrolled in NRBC centres and migratory children from other states whose sojourn in the state is for limited periods, identity cards will be provided so that these children can be given educational benefits when inter or intra state migration takes place. There is also the negligible number of dropouts especially in the far flung areas of Chamba, Sirmaur, Shimla and Mandi.

At present the number of OOSC has come down as we have been able to enroll most of children in Govt. Schools through special enrolment drives, motivational camps and counseling camps across the State. Due to seasonal migration, the data related to OOSC fluctuates from time to time. There are negligible numbers of out of schools children who are the inhabitants of Himachal Pradesh. Most of them are migrant Gujjars who shift to the higher reaches during summers and come back to low lying areas during winters. For migratory community (Gujjars), 21 mobile NRBC centres have been opened (15 in shimla, 5 in Sirmaur, 1 in Chamba)

Proper counseling has been started in these pockets as the parents are not aware of the benefits of education. SSA is doing the best to counsel and motivate the parents & community in these vulnerable areas in convergence with other departments & NGOs. Before starting the NRBC centres care was taken to close down all the existing EGS Centres. If in some location there was a felt need for starting some special training for OOSC, NRBC centre was provided.

3. Early Childhood care and Education

Presently the ECCE Programme is being run by the Dept. of women & Child Development under ICDS Prigrammme. State Project Office (SSA) is also supporting this programme by providing funds for different activities.

The following initiatives are taken by SPO:-

- ❖ Out of 18376 Anganwari centers 1926 Anganwari have been clubbed with the Govt. primary school in the entire State to increase enrollment in Govt. Primary school.
- ❖ Master Trainers was trained in Pre-school activities by DIET faculty and pre school activity calender was designed and percolated down to cluster level.
- ❖ In 2011 a Programme(Udan) for Anganwadi children has been broadcasted from Delhi Doordarshan in which the Anganwari children from Distt. Shimla had participated. The Programme was broadcasted on 18th June, 2011 from Doordarshan.

4. Inclusive Education for CWSN

With the mandate of providing education to every child with special needs (CWSN), irrespective of the kind, category and degree of disability, in an appropriate environment, Inclusive Education For Disabled (IED) in state was commenced in 1999-2000. SSA is a flagship programme for universalization of Elementary Education and there is a special component under SSA which covers CWSN. In Himachal Pradesh there are nearly 18211 CWSN who suffer from one or the other disability, 15616 CWSN have been integrated in formal schools and for 2595 out of school CWSN have been identified. Different strategies have been adopted to bring them in educational system.

There are 2595 CWSN who are of severe and profound category. For these children Home-Based Programme has been implemented at elementary level in the age group of 6-18 years in H.P. Out of these 2595 CWSN, 550 have been adopted by the 24 NGOs in various districts and remaining are being covered through In-Service trained teachers.

- For education and training of children with severe disabilities "Home based Programme" has been started. The case histories, Individual Educational Plan\ Individual Training Plan (IEP/ITP) have been prepared for these children.
- For initiating and enhancing NGOs participation in this programme, meeting with NGOs have been conducted to have their convergence with SSA for the Education / Training of severely disabled children under' Home Based Programme'. To facilitate education/training of out of school CWSN, Rs. 1037/- per child per month is being provided to the NGOs which are providing HBP to the severe and profound CWSN. Total children who are being benefitted under HBP are 550.
- The remaining out of school CWSN are being covered through Home Based Education through designated in-service trained teachers.
- 2 Day Care Centers in the Primary schools in the integrated set up have been established at Shimla and Mandi. These special wings are rehabilitating around 32 MR children.
- Medical Assessment Camps for CWSN are being organized and the Aids/Appliances are being distributed to the CWSN as per requirement. To expedite the process of organizing more medical camps for certification and to assess the degree of disability of CWSN, Health Authorities at higher level have also been approached and synergy with them has been chalked out.
- To and fro local bus fare has been allowed to the CWSN with their one attendant in the medical camps for formal assessment. Hiring of conveyance at the local transport rate for group of severely CWSN has also been allowed so that they can be brought to the medical camps for assessment.
- Free text books have been allowed to the all CWSN who are mainstreamed in the formal school at upper primary level.
- Braille Books from class 1st to class 8th have been provided to the Special school Dhalli Shimla and Good quality of enlarged Print Books have also been provided in all District of H.P.
- Capacity building of teachers for inclusive education is an integral part of 10 days Compulsory Teacher training programme. Under SSA, Teachers have received:-

Total teachers trained for 3-5/5-7 days on IE*	26331
Teachers trained for 45/90 days on IE	1472

- Barrier free access has been made available in 8530 schools where the location of building permits and in 120 schools disabled friendly toilets have been made.
- Parents counseling sessions especially under "Home Based Programme" have been initiated in all the districts.

- Vocational Training i.e. Candle making, Chalk Making, Computer Education have been imparted to eligible CWSN in all Districts.
- Escort allowance has been provided as per the need of CWSN.
- 375 IE Resource persons have been trained in 20 days multi category training by SPO SSA.
- 141 special educators have been appointed in those school where enrollment of CWSN is highest in H.P.
- The escort Allowance of Rs. 300 per month is being given to the person escorting the child to & fro from the school.

5. Distance Education Programme – Under – SSA

The programme is being sponsored by MHRD, Government of India and IGNOU in the country. The DEP-SSA is functioning in all the States/ UTs from class I to VIII, however, there are also initiatives which extend further from elementary to secondary level. The main focus of DEP-SSA is strengthening training of elementary school teachers through distance mode, producing quality training material (print, audio-video, multimedia and teleconferencing) providing workplace-based training without dislocating the functionaries and facilities and facilitating States/ UTs in content generation for utilization of ICTs for ensuring qualify in elementary education. Hence through distance mode we are "reaching the unreached" large section of target group. Since inception,/DPEP/DEP-SSA has played key role in capacity building and developing training materials for training of in-service teachers both trained and untrained, newly recruited teacher, serving teachers and Para- teachers etc.

Objectives:

DEP-SSA has following major objectives:

- To provide technical and financial support in designing, developing and delivering distance learning materials, audio/video programmes for training elementary school teachers and other functionaries.
- To strengthen institution by creating infrastructural facilities like Direct Reception Set. (DRS) Satellite Interactive Terminals (down link facilities) at the SPO, SCERT, SIEMAT, SIE and DIETs in state.
- To monitor SSA activities and their implementation through teleconferencing.

Development of Audio-Video Material:-

The content based (Science, Mathematics and English) Audio/ Video programme for in service teacher training were already developed by DEP-SSA. On the basis of recommendation of the experts, need based programmers were identified and are in the process of duplication/procurement from NCERT (CIET) for wider dissemination to different districts and schools in accordance to their need.

Teleconferencing:

Teleconferencing is a powerful and effective mode of Distance Education; it covers a much larger client group and reduces the loss of transaction. It is a more cost effective when used for largest number of learners. During the year DEP-SSA organized the 8 teleconferences.

8 Teleconferences have been organized during and refresher Progrannes with the help of DEP-SSA IGNOU from August, 2011 to March, 2012 on various topics i.e. Maths, Sciences, English, RTE09, Inclusive Education and CCE.

- State level Resource group was formed and oriented at SPO,SSA
- The material developed at national level was disseminated to the field for its use.
- Refresher course was held at zone level in the subject of maths, science and English. The course was organized in three phases. 31 teachers were trained in first phase. 32 in second phase. The teachers trained under this programme are being used as master trainers in general training of SSA.

6. Research Activities:-

Research and evaluation are very important for the quality improvement and implementation of any programme given by the GOI or State Government. It is the research which gives base for the future policies and planning through qualitative and quantitative data the SSA plans may be formulated, the impact of all SSA Interventions evaluated.

Providing quality education to all the children is the major focus of the Department of Elementary Education. Provisions were made in the Annual Work Plan and Budget for the year 2010-11 that in order to determine and measure initial efficiency of the education system at the upper primary and secondary level through different flow indicators.

Through SSA 2010-11 COHORT study (VI-VIII) & (IX-X) has been launched by SSA which is done by the State, Distt, Block Coordinators and teachers. This study has been done in all the district of a State in those schools in 2003. The main objective of this study is to find the reasons for school dropout and repeaters in the same class.

The main objectives of the Study:-

- To Study the indicator of coverage of children with regard to enrollment and completion of upper primary and secondary level education.
- To study the transition with help of 'TRUE COHORT METHOD' from class VI-VIII & IX-X.
- To Study the indicators of efficiency of school system.

Major findings of the Study:-

- The average duration of the stay of the dropouts was noticed as 0.00 in district Lahaul Spiti and 3.06 percent in case of Shimla for general category students. In other districts the figures ranged between these two figures.
- In case of other categories of students, the figures varied between1.00 and 3.67 percent. This indicates wastage on the part of the dropouts.

- Cohort survival rate was observed 100.00 percent in district Lahaul Spiti from grade VI to VIII for all categories of students except ST students in VI grade where it was observed as 99.22 percent.
- In case of other districts for all categories, the survival rates varied from 81.29 to 100.00 percent from grade VI to VIII.

District Level Research Studies (2011-12)

- Achievement level in Maths in class 6th to 8th (Distt. Chamba)
- Scholastic Achievement of student in EVS after the implementation of CCE in Distt. Hamirpur - A trend analysis (Distt. Hamirpur).
- A comparative study between Monograde and Multigrade schools in Distt. Kangra .
- Research study on teacher absence and attendance of students at Elementary level (Distt. Kinnaur)
- Toilet facilities in Elementary level at schools of District Kullu – An Appraisal (Distt. Kullu).
- Toilet facilities in the Elementary schools of Distt. Mandi : An Evaluative Study. (Distt. Mandi).
- A study of functional of Mahila Shakti Group. (Distt. Sirmour)
- Teaching of Science at Primary level in Distt. Sirmour.
- A Micro study on the use of TLM in the actual classroom Teaching Learning Process in Distt. Solan.
- A study to find the difficulties among the 5th class student in understanding the Mathematical concepts (Distt. Una)

The meeting of Research Advisory Committee for the year 2011-2012 was held in the month of April, 2011 at State Project Office SSA to review the status of on going research activities under Sarva Shiksha Abhiyan.

7. Girl Education, KGBV and NPEGEL 2011-12

Girl Education

The main activities undertaken are:

State Gender Resource Group (Adhyapika Manch): Resource group presents a symbol of continuity in translating the set objectives. The services of these resource groups are being utilized in training of teachers, orientation of community and in the organization of different programmes especially for girls. Gender Resource Group needs an orientation on regular basis. This practice will be continued this year also. This resource group would lend all types of needed support to the teachers in the area of empowerment of girl child and gender related issues. Gender resource group comprises of gender coordinators, community coordinators, and selected lady teachers, members of selected NGOs and selected community members

Development of module for gender training: For the year 2011-12 for gender sensitivity module for teachers training was developed at district level and was incorporated in 9 days training module. This training has been given to all the elementary teachers in the state.

Girls' Resource Room- Resource room is a place other than a classroom where girl children feel free to express their feelings; ideas about various issues, show their talent and share their problems. They learn qualities like leadership, cooperation, sharing and self confidence through performing various gender specific activities. GSSS of block headquarter where we can use existing infrastructure were identified for Resource room.

Orientation /training of District Gender Resource Groups: The district gender coordinators and Master trainers were trained at state level. This group was used in general teachers training. Gender Resource Groups of different districts are being oriented about gender issues every year.

Review Meeting of Gender Coordinators: Regular meetings of the district gender coordinators were organized at SPO to review the progress in the field of Gender.

Workshop on International Women's Day: Women day is being celebrated every year as women empowerment through education is an important agenda of SSA. On 8th March 2011 state level women day was celebrated at DIET Bilaspur where 1000 lady SMC members attended the programme.

Monitoring of Innovative activities, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) and NPEGEL activities by monitoring team: Girls child related activities were monitored by DRG (gender) and faculty from SPO .

Life skill Education for girls

Different activities are being undertaken in different districts based on the local needs namely ; Karate, electrification , Horticulture, floriculture handicraft , mushroom production knitting and embroidery cutting and tailoring , book binding , candle making , Training in Health and Hygiene, production of soft toys, embroidery in Chamba Rumaal, first aid, Yoga, painting, cutting and tailoring, Carpet weaving, Sewing, computer education and pickle and jam making, Judo, Karate etc.

Empowerment through Exposure Visit:

To provide a chance to the children of remote areas who belong to poor families and to know about various landmarks of various educational, historical, cultural values, exposure visits are being conducted. They can learn so many qualities like leadership, sharing and travelling. They can exchange idea of their own culture, monuments and social customs. Meritorious SC/ST/deprived/minority girls were given exposure to the historical places. To give experience of train journey , to enable them to understand historical places, to understand the working of Bank/Post officers/Panchayat/ Police station etc., to give them exposure of working of various agencies by mean of travel/visit exposure visits have been planned by all the district

MEENA Initiative- Organization of Camps: Girl child is being provided enough opportunities at different levels for her personality development through Meena Manch. Meena

Utsav at state level and MEENA WEEK/Balika Saptah at Block and cluster level are being celebrated once in a year. It has resulted in better understanding of girls' related issues and also more participation of girls in different co-curricular activities in schools. MEENA WEEK will be organized in the month of September. A set of activities will be performed by girl children selected at district level. Children, Parents, VECs, members of Mahila Mandals SMC particularly mothers will participate in this campaign.

Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBVs)

Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBVs)

There are **10** Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBVs) functioning in Himachal Pradesh. Eight KGBVs are in District Chamba, one each in district Shimla and Sirmour. Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas are functioning under model- III, in which hostel facility is provided in the existing Government schools.

S.No	District	Block	Name of the Hostel
1	Chamba	Salooni	GHS Himgiri Kothi
2			GSSS Kihar
3		Tissa	GHS Bagheigarh
4			GMS Tissa
5		Mehla	GSSS Mehla
6			GHS Krian
7		Pangi	GSSS Sach
8		Bharmour	GHS Bharmour
9	Shimla	Chauhara	Gonsari
10	Sirmour	Shillai	GSSS Shillai

Activities undertaken in these Vidyalayas along with normal studies.

- **Girls are being imparted need based life skill / vocational education.**

  Chamba district- Chamba Rumaal, Chamba chukh, Chamba badiyan, Khadi unit and computer education and in Shimla district activities related to horticulture and in Sirmour making of soft toys, tat Patti etc.

- Curriculum instructions are being supplemented through tutoring. Learning gaps are being identified through CCE checklist register and accordingly remedial measures have been taken through tutoring. Enhancement in learning level will be ensured through regular monitoring. Monitoring team comprises of gender coordinator, DPO SSA and members of gender resource group.
- **Exposure visits** to different places within and out side the district through Bal Melas.
- **Exposure visits within state and out of state**

- **To inculcate reading habit** libraries have been established in all KGBVs in collaboration with' Room to Read'. These libraries are being managed by KGBV girls.
- **Regular monitoring** of Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBV) by state level and district level monitoring team. Monitoring report is being shared at SPO in monthly meeting.

National Programme for Education of Girls at Elementary level (NPEGEL)

The programme is being implemented in 8 educationally backward blocks of four districts ie., Mehla, Pangi, Tissa, Bharmour and Salooni blocks of Chamba, Seraj block of Mandi, Chhauhara block of Shimla and Shillai block of the Sirmour district where the rural female literacy rates are below the national average and the gender gap is above the national level as per 1991/2001 census. Three blocks namely Bharmour in Chamba, Chhauhara in Shimla and Seraj in Mandi district were earlier covered under NPEGEL as these blocks were fulfilling the conditions as per the 1991 census but now as per Census 2001, the literacy rates in these blocks have improved and found above the national level but the recurring activities of NPEGEL are being implemented in these blocks also. There are eight educationally backward CD blocks where NPEGEL programme is being implemented.

Activities undertaken

Community Mobilization: Community orientation workshops are being organized at cluster level in all the NPEGEL blocks. SMC members specially mothers, PRIs of these clusters participated in these workshops.

Life skill Education: Under Life Skill Education different activities are being undertaken in different districts based on the local needs. The details of activities are as follows:

Chamba: Embroidery in Chamba Rumaal, Health education, first aid, Yoga, painting, cutting and tailoring, Carpet weaving, Sewing, computer education and pickle and jam making, Judo, Karate.

Sirmour: Training in Health and Hygiene, production of soft toys, bag making, Knitting of Tat Patties and making of brooms with the help of local date tree

Mandi: Karate, Health hygiene, electrification, Horticulture, floriculture, handicraft, mushroom production, knitting and embroidery, cutting and tailoring, book binding, candle making disaster management, mushroom growing, wiring and carpentry, fire fighting, pruning and grafting, handicraft, horticulture and floriculture

Shimla: Tailoring, Training in Health and Hygiene, pickle making and fruit preservation, computer education, karate.

PEDAGOGICAL RENEWAL AND QUALITY IMPROVEMENT-2011-12

Progress Overview

Revision of curriculum and Text Book Development for Primary classes on the basis of NCF-2005:

State is following NCERT curriculum at upper primary level but at primary level state has its own curriculum which has been developed and designed by the practicing teacher educators. This material is contextual and takes care of play way methods of learning. But since it was developed about seven years back, we have already started the process of its review with active involvement of SCERT and HP Board of School Education. Draft text books for class-1 have been developed based on NCF-2005. The text books for class-II are under process of development.

Continuous and comprehensive Evaluation: The CCE pattern of evaluation has been adopted in the State as per RTE 2009. For smooth and effective implementation of CCE, teacher's check list register, teacher diary and pupil progress cards are well maintained in all the schools. All the teachers of primary and upper primary level were trained in the concept of CCE at block level in general training under teacher training programme during the year 2011-12.

Revision of Pre-service training curriculum:

As per quality plan 2011-12, pre-service training syllabus has been revised for JBT on the basis of National Council of Teachers education (NCTE) guidelines. It was prepared with the help of teacher educators from teachers training institutes (DIETs), educational administrators, Directorate of Elementary Education, SCERT, HPBSE and training wing of State Project Office (SSA) and the working school teachers. The revised two years syllabus has been sent to all the training institutes of the Pradesh.

Reference Material Development:

Reference material on the basis of training syllabus has been developed by subject expert of DIETs and sent to all the DIETs.

Training of untrained teachers: RTE Act 2009 attaches immense significance to the academic and professional qualification of teachers. SSA supports training of untrained teachers to meet NCTE requirements. Training syllabus has been revised for PAT on the basis of National Council of Teachers education (NCTE) framework. It was prepared with the help of teacher educators from teachers training institutes (DIETs), educational administrators, Directorate of Elementary Education, SCERT, HPBSE and training wing of State Project Office (SSA) and the working school teachers. The training curriculum is divided into two parts -face to face training and through assignments. The duration of this two year course is 52 days annually.

In-service teacher training :

Teacher Empowerment is one of the main focus areas under SSA. 15 days annual teacher training is being provided to all the elementary teachers. For the year 2011-12, fifteen days training to all teachers have been approved .To ensure that teachers are trained in actual classroom settings 6 days District/Block level training and 9 days cluster/school level trainings have been imparted. All the Teachers are being trained for effective teaching learning process. This training is being implemented in two phases. Block level phase is of six days duration and cluster level phase is of nine days duration.

Development of modules for teacher training in different areas:

Training module for 6 days general teachers training (both for primary and Upper Primary) has been developed at DIET /DPO level. The following issues were discussed:

- ✓ Provision of RTE,
- ✓ Effective Use of TLM,
- ✓ Preparation of School Development Plan,
- ✓ Active involvement of SMCs ,Multi grade teaching ,
- ✓ Effective use of Library and Labs ,
- ✓ Continuous and comprehensive Evaluation (CCE),
- ✓ Education of CWSN and
- ✓ Gender issues.

Need based training modules have been developed at the district level with the active participation of teachers and teacher educators.

9 days teachers training module, training material have been developed at the State level with the active participation of teachers, teacher educators and **National level resource group.**

Development of training material (reading material for teachers):

9 days teacher training materials have been developed for primary and upper primary at the State level with the active participation of teachers, teacher educators and National level resource group.

Training of State Resource Group:

A state resource group including district quality coordinators, identified teachers, NGOs, retired teachers form the resource group. A strong group of resource persons has been developed to accomplish the task of effective teacher training in the state. The resource persons are being trained by national level resource group for implementation of activity based teaching and learning in the classroom.

Development of Supplementary reading material:

The curriculum will be transacted in an activity based manner and to that end the textbooks will be supplemented by a workbook giving an indicative list of activities and the teachers and the students will be encouraged to explore their own ideas related to various concepts through trainings. Aadhar and Samvridhi supplementary reading materials have been provided to all the elementary schools of the Pradesh. Through Aadhar material at the primary level and Samvridhi at the Upper- primary level, the learning gaps of the students are also being addressed.

Training of BRCCs and Review meetings district coordinators:

The zonal level workshops with the BRCs have been conducted for their capacity building and concerns for quality education. State quality plan was discussed with all the BRCC.

Regular meetings of the district quality coordinators have also been organized.

Training of CRCCs :

All the CRCCs/CHTs are being trained at state level with the active participation of SRG. The training module and training material to train CRCCs have been developed at state level.

TLM Exhibition / Bal Mela :

This event is a big attraction among both the teachers and students. Participating teachers and students get an opportunity for useful interaction with the resource teachers and guest faculty thereby widening their intellectual horizon.

Functional Libraries:

Quality plan 2011-12 emphasizes the need to focus on reading skills during the primary school years and on creating a print –rich environment in order to encourage reading as a lifelong habit. For making libraries functional following activities are being undertaken at different levels:

- ✓ Library movement is being strengthened by constituting Children Book Clubs in each of the schools.
- ✓ Use of library as an integral part of training modules and teaching learning process in actual classroom.
- ✓ Expertise of Room to Read is being utilized in this process. This NGO has covered 470 schools with children libraries and created the model libraries for children.
- ✓ Collaboration with Room to Read for establishment of libraries in 470 Schools and 10 KGBVs.
- ✓ 361358 books have been checked out in schools libraries of the state.

Library programme has been observed as a best practice in a study by 'Save the Childrens which was funded by European Union.

8. Community Mobilization

Composition/Formation of School Management Committee in all 15083 Schools of Himachal Pradesh. Six days Residential training imparted to seven members of each SMC of Primary / Upper Primary schools. It comprises from Executive Council one from Teaching, five from parents of students, one from elected members of concerned ward/ Panchayat. Six days non- Residential Training imparted to other than these members of SMC.

For this training purpose Master Trainers / Resource Persons trained at two levels viz (State/District) for three days each.

Guidelines for SMC Training Module developed at State Project Office with the help District Community Coordinators. About 106600 copies of SMC training module printed at SPO level. Seven copies of SMC training module distributed in the executive members of each SMC.

About 250 Master Trainers / Resource Persons trained in the month of August and September 2011, at different venues viz State Project Office SSA Shimla, SIEMAT Shamlaghat, and SCERT Solan. Two members from each Elementary Education Block along with one Community Coordinator of Each DIET trained at state level. These 250 Resource Persons trained

about 744 Resource Persons at District level and all of these trained RP's took this training at cluster level for SMC executive members.

In State level training Resource Persons from National Institute of Rural Development Dr. T. Vijay Kumar (Sr. Consultant) and Mrs. T. Praveena (Consultant) Centre of Equity and Social Development Rajender Nagar Hyderabad were the special invitee from national level who were our Resource Person for Community Mobilization, Community Participation and capacity building of Community leadership. Dr. Gopal Chauhan from NRHM Shimla also took the Session on Health and Hygiene among children in schools.

Components of Training:

- Composition of SMCs in every school except unaided schools as per RTE Act- 2009.
- Role and Functions of SMCs
- School Development Plan.
- Right of Free and Compulsory Education Act -2009 and Right of Free and Compulsory Education Rules of Himachal Pradesh March 2011.
- Continuous Comprehensive Evaluation.
- MDM, Girls Education, CWSN, Civil work, Teacher Training, value Education were special components which added in the training.

9. Media Activities

Media plays a significant role in disseminating information and message of Sarva Shiksha Abhiyan to the target population by using different modes of publicity like Print Media /Electronic Media/Transport Buses / Post Cards /Calendars/ Banners and other publicity material like; Brochures, Booklets, etc. In Himachal Pradesh under Media Activities a number of initiatives have been taken.

Initiatives undertaken in Himachal Pradesh during the year 2011-12:

1. To disseminate information and highlight SSA and RTE achievements of Himachal Pradesh, two pages (Centre spread) in Giriraj Saptahik are being published on last Wednesday of every month. Since the Sptahik reaches to all Panchayats, Mahila Mandals, Schools, various Departments of the state, it has proved to be an effective means to take programme upto grass root level.
2. Press releases and Write-ups based on SSA, RTE activities/ achievements are being regularly released for publication in Print Media.
3. Electronic media like Radio, Doordarshan and private channels are also being used for the coverage of activities organized at Block, District and State level to publicize and impart information to the community. SSA related news is a regular feature of Regional News from Doordarshan Shimla.
4. All the meetings/Workshops/Training Programmes organized at State/ Distt. Level are being regularly covered in the Regional News on Doordarshan and All India Radio Shimla.

5. Annual report of Sarva Shiksha Abhiyan for the year 2011-12 has been printed and submitted to GOI and process to prepare Report for the year 2012-13 is in progress.
6. Advertisement have been prepared and released for Print Media, Souvenirs, Magazine, and Periodicals etc.
7. Media file has been maintained for future references.
8. To highlight activities under Sarva Shiksha Abhiyan (RTE) Write-ups, Articles with photographs are regularly being sent to Public Relation Department/ Print Media for vast publicity of the programme and disseminating information and message of Sarva Shiksha Abhiyan amongst the community.
9. Department of Information & Public Relations, Himachal Pradesh installs the Hoardings highlighting activities/achievements of SSA(RTE), Himachal Pradesh at the gateways of the state and other places.
10. Publication of the activities (RTE) which has been carried in the schools for quality education in a Booklet ' **Gunnatamak Shiksha ke Shikhar Par Himachal**'.
11. RTE day celebrated on the state level.

10. Management Information System (MIS)

In order to collect the annual school information and to meet the data processing needs of Sarva Shiksha Abhiyan, MIS wings have been established in all the DIETs and at State Project Office. These MIS wings have been fully equipped with requisite Computer Hardware & Software along with professional/ trained manpower.

The detail of hardware in the SPO and in the Districts is as under:

Every Non-DPEP district have (one Server & seven Nodes), two laser printers, one Dot Matrix Printer and one UPS, whereas DPEP districts (Chamba, Kullu, Sirmour & Lahaul-Spiti) have 8 PCs, 4 printers (Laser-2, Dot Matrix, Inkjet) and one UPS.

State Project Office has 2 Servers and 12 Nodes, 5 Printers and 2 UPSs. Besides this every officer at State Project Office has been provided with one computer. All computers at State Project Office are connected through LAN.

Detail of Software in SPO and in the Districts is as under:

Window-NT 4.0 Server, MS Office 97, Office XP, Office 2003 Professional, Office 2007 Professional, Visual-Foxpro, Oracle, DISE, STEPS Internet connection with Broad Band facility is installed at State Project Office besides HIMSWAN connection of Department of Information Technology. All the SSA offices have internet facility at their respective DIETs.

Address of Website: www.hp.gov.in/ssa

E-mail address: spdssahp@gmail.com

Man power

There is one post of MIS Incharge, One Asstt. Programmer and two data Entry Operators at State Project Office and in each district One post of MIS Incharge and two data entry operators have been sanctioned.

Capacity Building

- A state level MIS workshop was organized on 6th August, 2011 at State Project Office to discuss and finalize the DCF and time schedule for the collection of DISE data as on 30-9-2011, where in all the MIS staff participated and gave their suggestions.
- MIS Incharge & Planning coordinator from State Project Office attended a National level MIS workshop-cum review meeting w.e.f. 3rd to 4th November, 2011 at Pune (Maharashtra)
- MIS Incharge & One data entry operator from State Project Office and all the MIS Inchages of districts attended a National Level regional workshop on training & capacity building from 23rd to 24th December, 2011 at Patna (Bihar).
- MIS incharge and one data entry operator from State Project Office attended National Level Workshop on preparation of AWP&B for the year 2012-13 on 30th December, 2011 at New Delhi.

PMIS

Monthly and Quarterly PMIS report on five formats are being submitted to Govt. of India regularly under SSA.

EMIS

EMIS data for the year 2011-12 of all the 12 districts of the State was compiled and submitted to GOI during the month of January, 2012. Districts have been asked to share the respective DISE reports with the schools, CRCCs, BRCCs, BPEOs and Deputy Directors. Further, the districts have been asked to undertake Social Audit by sharing & discussing the DISE-School Report Card with the Community i.e. SMC/MTA etc.

EMIS data is being utilized for preparation of AWP&B and in State level Planning. Directorate of Elementary & Higher Education also uses DISE data for their planning of various schemes. Department of Economics & Statistics also uses DISE data besides NIC H.P. State Unit, Health Department, H. P. University etc.

Steps taken to improve the quality of DISE data:

a. Districts have been directed to cover all the schools under the DCF training in order to get accurate and authentic information on DISE from every school.

b. Districts have been directed to physically check and count the DCFs with the list of schools maintained in the clusters to ensure that all the schools have been covered and none is left. CRC coordinator is made accountable for this activity.

c. Districts have been directed to verify and check every column of the DCF to find out that no column is left blank. CRC coordinator has to ensure that all the columns of the DCF have been filled up correctly and none is left blank or without response.

d. At the block level, the BRC coordinator will ensure that DCF in respect of all the schools falling in his block are covered and received. He will also ensure that there is no blank entry in the DCF before passing on to the district. He is supposed to verify 20% to 25% DCFs of his block.

e. When the work of data entry of a particular block gets started at the district level, districts have been advised that BRCC of that block is officially present at the district level for a day or two for any clarification on items where such clarification is required.

f. 5% Random Sample Checking of DISE Data for the year 2011-12 was got conducted in two selected Districts viz. Kangra & Una through an independent agency. The report submitted by the independent agency has been shared with GOI (NUEPA) and districts. The broad findings of the survey indicate that there is very meager variation in the two sets of data collected by two different agencies at two different point of time for the same date i.e. 30th September, 2011.

Sharing of DISE data:

Districts have been directed to share different DISE reports with the concerned authorities i.e. Deputy Commissioners, Deputy Director (Primary & Upper Primary), Block Education Officers, BRCCs, CRCCs etc. School Report Cards generated through DISE is also being sent to every school for verification & record. Districts have been asked to share the DISE Data with other Department in the District.

Analyses and Usage of DISE data:

The DISE data is analyzed at State and District Level and is used in planning. The AWP&B of Sarva Shiksha Abhiyan is based on DISE data. The Department of Elementary Education and Higher Education also uses DISE data for their planning.

11. Planning and Management

Planning and Management of Education

State Institute of Educational Management & Training (SIEMAT)

The institute was established in Himachal Pradesh as a part of State Project Office during DPEP. Posts of three faculty members and one statistical assistant were created at that time. Three more posts were added during the year 2002-03. The present status of the posts sanctioned and filled up is as follows:-

Name of Post	Posts Sanctioned	Posts filled up	Vacant Posts
1. Faculties	6	6	0
2. Statistical Assistant	1	1	0
3. Clerks	2	2	0
4. Data Entry Operator	2	2	0
5. Peon	1	1	0
6. Driver	1	1	0

Total	**13**	**13**	**0**

The SIEMAT as an institute is mainly responsible for the capacity building of the district education administrators in the development of perspective and annual work plan & budget and formulation of the State plan. Educational administrators are trained in maintaining proper administration at the school level and the management of Financial Rules and Regulations of the State Government. SIEMAT is imparting training in Micro Planning and School Development Planning areas. Faculties are also looking after special training for out of school children, research, monitoring and evaluation of the programme implementation.

Activities undertaken during the year 2011-12:

- Appraised the district plans under SSA and developed the Annual Work Plan & Budget for the year 2012-13 in respect of State Project Office. All these plans were first approved from the State EC and further submitted to the Government of India during the month of March, 2012.
- Attended Project Approval Board meeting in New Delhi with Mission Director and State Project Director. PAB approved the Annual Plan for '**30261.655 lac** including '**44.478 Lac** under NPEGEL and '**139.500 lac** under KGBV for the year 2011-12.
- SIEMAT is also involved in the arrangement of EC/GC meetings, Internal and Joint Review Missions.
- SIEMAT faculties were involved in planning and monitoring of the SSA activities. To strengthen the monitoring component, monthly review meetings of the District level officers were organized at the State Project Office for taking regular feedback on the progress of SSA at the district level.
- A team of seven State coordinators from the State Project Office attended the workshop in New Delhi on pre-planning exercise for the year 2012-13. In the workshop, a set of guidelines for the formulation of SSA-RTE annual plans were shared and provided by the Technical Support Group of the GOI. Accordingly the work for the development of District Elementary Education Plans on SSA-RTE for the year 2012-13 was initiated with the districts during the month of January, 2012. Successive meetings were conducted with the planning teams at the State Project Office during the month of February, 2012. District plans were appraised and approved in the State EC meeting held on 5th March, 2012.
- Annual Work Plan & Budget in respect of State Project Office was developed with the involvement of the concerned State Coordinators during the month of **February 2012**. The plans will be submitted to Government of India by **13th March, 2012.**

12 Evaluation

As per RTE (2009) students from Ist to VIII th class are to be evaluated under Continuous and comprehensive evaluation CCE and this has been implemented upto VIII th class from this session.

13 RTE

Introduction:

The crucial role of universal elementary education for strengthening the social fabric of democracy through provision of equal opportunities to all has been accepted since inception of our Republic. The Constitution (86th Amendment) Act, 2002 inserted Article 21-A in the Constitution of India, the Government of India enacted the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and this Act came into effect on 1st April, 2010 with the objective of fulfilling the Constitutional mandate of free and compulsory education till the completion of elementary education in the age group of 6-14 years. The RTE Act provides for the removal of all gaps to education for every child regardless of his/her social, economic, religious or physical background. It also emphasized the foundation of equity and quality within a rights perspective , entitlement for every child and the duties of duty bearers which includes the State, Teachers, Parents , School Management Committees' and community at large. The nation has given itself 31st March, 2013 as the deadline for a neighborhood of prescribed quality for every child.

Provision made to implement the RTE Act, 2009 and Status of Implementation of RTE Act in Himachal Pradesh.

RTE Act Sections	Provision	Implementation Status
I.	**Access**	
3(1)	Every child of the age of 6-14 years shall have a right to free and compulsory education in a neighborhood school till completion of elementary education	**Government of Himachal Pradesh has issued G.O. vide notification No. EDN-C-F (10)-8/09 dated 5th March, 2011 to implement the provisions.**
6	For caring out the provisions of the Act the Government and the Local Authority shall establish a neighborhood school if it is not so established	
18(1)	No school shall be established without obtaining a certificate of recognition from the Government or Local Authority	**Government of Himachal Pradesh has issued G.O. vide** Notification **No. EDN-C-A (3)-3/2011 dated 25.11.2011**.

II	**Enrollment**	
9(d)	The Local Authority shall maintain records of children upto age of 14 years residing within the jurisdiction such manners may be prescribed	**Government of Himachal Pradesh has issued G.O. of rule 7 vide notification No. EDN-C-F (10)-8/09 dated 5th March, 2011 to implement the provisions.**
9(k)	The local authority shall ensure admission of children of migrant families	
11	The Government has to make necessary arrangement for providing pre-school education with a view to prepare children ready for admission into class-1	
12(1)(C)	25% children belonging to weaker section and disadvantaged group shall be admitted in a private schools.	
13(1)	No school shall collect any capitation fee and conduct any screening procedures while admitting a child	
14(2)	No child shall be denied admission in a school for lack of age proof	
III	**Out of School Children**	
4	Where a child above 6 years of age may be a non-starter or drop out shall be admitted in a class appropriate to his or her age	State Government has issued directions for special training to these children vide letter No. EDN-C-A (3)-3/2011 dated 20.12.2011 and also notified vide Rule 3 of the Right to Free and Compulsory Education, Himachal Pradesh Rules, 2011
15	A child shall be admitted in a school at the commencement of the academic year or within such extended period as may be prescribed	**Government has issued instructions regarding No denial of admission** of Rule 6 of the Right to Free and Compulsory Education, Himachal Pradesh Rules, 2011

IV	**Retention**	
16	No child admitted in a school shall be detained in any class or expelled from school till the completion of elementary education	As per RTE Act provisions
17	No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment	State Government has issued instructions regarding **complete ban on Corporal Punishment and Harassment of Children vide letter No. EDN-C-A (3)-3/2011 dated 20.10.2011.**
24(1)(e)	The teacher hold regular meeting with parents and apprise them about the child's regularity in attendance and progress made	**Government has issued notification regarding duties to be performed by teachers vide** Rule 16 of the Right to Free and Compulsory Education, Himachal Pradesh Rules, 2011
25(1)	The Government and Local Authority shall ensure that the PTR is maintained in each school	As per norms and standard of RTE Act 2009
V	**Special Focus Groups**	
8(c)	The Government shall ensure that the children belong to weaker sections and disadvantaged groups are not to be discriminated and prevented from completing elementary education	**Government has issued notification regarding special focus groups vide** Rule 5(2) and 5(3) of the Right to Free and Compulsory Education, Himachal Pradesh Rules, 2011
21(1)	Proportionate representation shall be given to the parents of children belonging to disadvantage groups and weaker sections in the school management committees	**Government has issued notification regarding** school management committees vide No. EDN-C-F (10)-7/2010 dated 6th March, 2010 to implement the provisions.
VI	**Children with Special Needs(CWSN)**	
3(2)	A Child suffering from disability (as defined in clause (1) of section 2 of "The persons with disability Act 1996) shall have the right to pursue free and compulsory elementary education	**Government has issued notification regarding Children with Special Needs vide** Rule 4(7) of the Right to Free and Compulsory Education, Himachal Pradesh Rules, 2011
VII	**Quality Education**	

8(m)	The local authority shall decide the academic calendar	**Government has issued notification regarding** school management committees vide No. EDN-C-F (10)-7/2010 dated 6th March, 2010 to implement the provisions.
19(1)	No School shall be established (under section-18) unless it fulfills The Norms and Standards • Atleast one class-room for every teacher • Barrier-free access • Separate toilets for boys and girls • Safe and adequate drinking water • Kitchen • Playground with play material • Boundary wall • School Library with books • Office-cum-Headmaster's room as per norms	**Government of Himachal Pradesh has issued G.O. vide** Notification **No. EDN-C-A (3)-3/2011 dated 25.11.2011**. No school shall be established or recognized unless it fulfills the norms and standard specified in the RTE provisions.
21(2)	The School Management Committee shall • Monitor the working of the school • Prepare and recommend School Development plans • Monitor the utilization of grants	**Government has issued notification regarding** school management committees vide No. EDN-C-F (10)-7/2010 dated 6th March, 2010 to implement the provisions.
23(1)	Persons possessing minimum qualification as laid down by academic authority shall be eligible for appointment as a teacher	**Government has issued instructions regarding qualification of teachers** vide Rule 14 of the Right to Free and Compulsory Education, Himachal Pradesh Rules, 2011
24(1)	Duties to be performed by teachers	**Government has issued instructions regarding this section** vide Rule 16 of the Right to Free and Compulsory Education, Himachal Pradesh Rules, 2011
28	No teacher shall engage himself or	**Government has issued instruction**

	herself in private tuition or private teaching activity	**regarding ban on Private Tuition by Teachers vide letter No. EDN-H (21) B (15)01/2008 dated 01.03.2008.**
29(1) & 29(2)	Constitute the Academic Authority for the purposes of curriculum frame work and the evaluation procedure for elementary education	**Government has issued notification regarding Constitution the Academic Authority vide No. EDN-C-A(3)-3/2011 dated 12.12.2011 to implement the provisions.**
30(1)	No child shall be required to pass any Board examination till completion of elementary education but there will be school test, which will be based on the principles of continuous comprehensive evaluation of the students.	**Government has issued notification regarding no Board Examination vide No. Shiksha-II-Kha (12)-3/2010 dated 23.7.2010 to implement the provisions.**
30(2)	Every child completing his/her elementary education shall be awarded a certificate	**Government has issued instructions regarding awarding a certificate to every child after completion of elementary education vide order No. HPPES-SSA/RMSA-06/2011-RTE Act, 2009 dated 5th October, 2011 to implement the provision.**
VIII	**Safe Guarding Child Rights**	
31(3)	State Government shall constitute a authority/commission to monitor the rights/legal entitlement	Government has issued notification regarding constitution the Right to Protection Authority under the Chairmanship of Chief Secretary, Himachal Pradesh vide No. EDN-C-A (3)-3/2011 dated 12th December, 2011
32	Any person having any grievance relating to the right of a child under this Act may make a written complaint to • School Level Authority • Cluster/Complex school	Under Process

	level Authority • Block Level Authority • District Level Authority • State Level Authority	REPA has been constituted at State level Authority as an Appellate Authority.
34(1)	Government shall constitute a State Advisory Council to advise the State Government on implementation of the provisions of the Act in an effective manner	Government has issued notification regarding constitution the State Advisory Council under the Chairmanship of Hon'ble Education Minister, Himachal Pradesh vide No. EDN-C-A(3)-3/2011 dated 18th November, 2011 to implement the provisions.
IX	**Miscellaneous**	
36	No prosecution for offences punishable under section (2) of section 13, sub-section (5) of section 18 and sub-section (5) of section 19 shall be instituted except with the previous sanction of an officer authorized	**Government has issued notification regarding** No prosecution for offences without the previous sanction of an officer authorized vide No. EDN-C-A(3)-3/2011 dated 12th December, 2011 to implement the provisions.

Progress overview of Shiksha Ka Haq Abhiyan 2011-12

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 was passed by the Indian Parliament on August 27, 2009 and came into effect on April 01, 2010 is a landmark in the history of Indian Legislation. Education as a Fundamental Right and enjoins the State to fulfill its duty in ensuring that all children have access to free and compulsory education. With the passing of this Act, India joined the list of 135 nations across the world that has declared Education as a Fundamental Right.

Implementation of the RTE Act requires the coordinated efforts of a wide variety of stakeholders. This needs widespread awareness among the different stakeholders and the general public about the rules and entitlements that are part of the RTE Act, as this Act is for every child

regardless of gender, caste, ethnicity, class or physical ability. The Act also acknowledges and stresses the importance of community involvement and ownership in the education process by conferring specific powers on the School Management Committees which are made up of members of the community.

Recognizing both the importance of the RTE Act in the process of nation building and the challenges that obtain in ensuring the effective implementation, the Ministry of Human Resource Development had launched the year-long nation-wide Shiksha Ka Haq Abhiyan from November 11, 2011, as a National Education Day to raise awareness and move forward in ensuring that children secure their entitlement in a mission mode. In Himachal Pradesh, we had launched Shiksha Ka Haq Abhiyan on November 11, 2011 in all schools, blocks districts and State level in which Hon'ble Prime Minister message, Hon'ble Chief Minister message and Hon'ble HRD Minister message was read out with different activities performed by the children on this occasion. Stakeholders have taken active part to ensure the success of the programme.